खण्ड-153, अंक-4
गुरूवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1877
(31 मार्च, 1955 ई0)

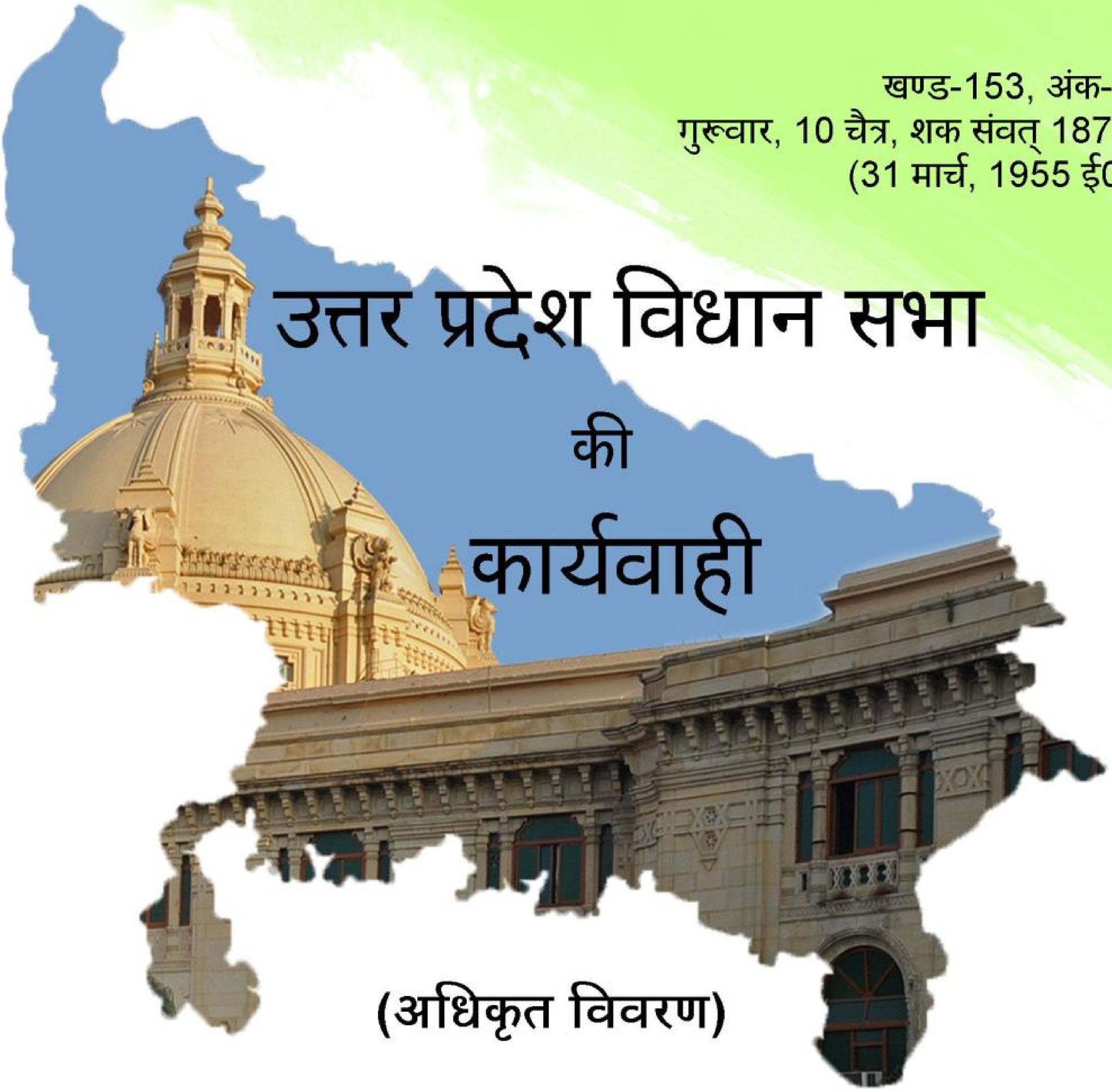

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 153 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
वैधानिक आपत्ति के समय पूर्ववक्ता द्वारा स्थान ग्रहण विषयक निर्णय ..	२८७
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापित किया गया) ..	२८७
कानपुर में अभिनवीकरण योजना के सम्बन्ध में वक्तव्य की पूर्व सूचना ..	२८७
उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेन्टिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५ (विचारोपरान्त पारित)	२८७–२९०
उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ (प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाय, स्वीकृत—विचार स्थगित)	२९०–३२७
कानपुर में अभिनवीकरण योजना के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री का वक्तव्य ..	३२७–३३१
श्री गेंदा सिंह व श्री राजवंशी के दण्ड के सम्बन्ध में सूचना	३३२
कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में घोषणा ..	३३२–३३४
पडरौना शुगर मिल की चीनी की बिक्री से सम्बद्ध २५ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३० व ३१ के विषय पर विवाद	३३४–३४२
त्थी	३४३–३४५

विधान पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३१ मार्च, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७८)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पाण्डेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलास प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद ,श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पत्तूलाल, श्री
पुद्दन राम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री

बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन,श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहानरपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज्जफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहमद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजुरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेश्वरसिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती

संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरदयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरखयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३१ मार्च, १९५५ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गवर्नमेंट इस्टेट दुद्धी, जिला मिर्जापुर में तेंदू की पत्तियों का नीलाम

**१—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि गवर्नमेंट इस्टेट दुद्धी, जिला मिर्जापुर में तेंदू की पत्ती का ठेका जो श्री जे० बी० कम्पनी के साथ हुआ था, उसकी अवधि गत जून मास में ही समाप्त हो गयी है ? यदि हां, तो अब तक खुले नीलाम द्वारा वह क्यों नहीं बेचा गया और इस प्रकार सरकारी आय में क्यों घाटा किया जा रहा है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी हां। तेंदू की पत्तियों के नीलाम के लिए आदेश जारी हो चुके हैं, इस लिए प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

**२—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या यह बात सच है कि उक्त वन क्षेत्र की तेंदू पत्ती के सम्बन्ध में कई बार नीलाम किये जाने का आदेश हो जाने पर भी प्रत्येक बार स्वयं सरकारी आदेश से ही उसे रोक दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह ठीक है कि सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करने के लिए कुछ समय के लिए नीलाम को रोकना पड़ा।

**३—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार पत्ती चुनने का समय बीतता जानकर शीघ्र ही उक्त पत्ती का आम नीलाम करने का आदेश जारी करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री व्रज भूषण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी के पास कुछ ऐसी शिकायतें आयी हैं कि पहले उसको २० लाटों में नीलाम करना था, लकिन वक्त पर उसको एक ही लाट में नीलाम कर दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---एक तार आया है उसमें उन लोगों ने लिखा है कि सूचना २० लाटों की थी, लेकिन उसको एक ही लाट में नीलाम कर दिया गया। अभी सरकारी तौर पर कोई रिपोर्ट नहीं आयी है, यदि आप नोटिस देंगे, तो आगे बता दिया जायगा।

श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कितने सालों के लिए और कितने रुपये में नीलाम किया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह चार साल के लिए नीलाम किया गया था। टेलीफोन से मालूम हुआ कि वह २४१ हजार कुछ सौ रुपयों में नीलाम किया गया था।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह नीलाम हुआ है उसमें प्राइवेट होल्डिंग्स की पत्ती भी नीलाम हुई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी नहीं, प्राइवेट होल्डिंग्स की पत्ती नीलाम नहीं हुई।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार प्राइवेट होल्डिंग्स वालों की पत्तियों के नीलाम की व्यवस्था करने की कृपा करेगी, ताकि कोई संघर्ष न हो ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---सरकार इस पर विचार कर रही है क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है मध्य प्रदेश में इस तरह का घपला हुआ है और वहां उसके लिए कोई ऐक्ट बना है। जब तक कोई ऐक्ट न बने अगर माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे, तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पत्ती किस काम आती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह बीड़ी बनाने के काम आती है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी मध्यप्रदेश की तरह इसके सम्बन्ध में कोई कानून बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी वर्किंग प्लान कन्जरवेटर मिले, उन्होंने यह कठिनाइयां बतायीं। उन्होंने कहा कि जो ठेका सरकार की ओर से दिया जाता है और जो प्राइवेट होल्डिंग्स के पेड़ होते हैं उनमें घपला होता है, इस लिए विन्ध्य प्रदेश की भांति या दूसरे अन्य प्रदेशों की भांति कानून बनाया जाय। जब वह आयेगा तो विचार किया जायगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करने की कृपा करेंगे जब कोई ऐसी पत्ती का नीलाम हो, तो छोटे-छोटे ब्लाक्स में नीलाम किया जाय, ताकि नीलाम की बोली अधिक मिल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहां तक सम्भव होता है यही कोशिश की जाती है कि छोटे-छोटे ब्लाक्स में नीलाम किया जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी के पास लिखित आवेदन पत्र कुछ लोगों के हस्ताक्षर से आया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक लाट में बदल देने से वे ज्यादा रुपया नहीं ला सके थे, और उसकी वजह से बोली नहीं बोल सके ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जी हां, इस तरह के आवेदन पत्र पहुंचे हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सरकारी लाट के पेड़ हैं और प्राइवेट होल्डिंग्स के पेड़ हैं उनमें नम्बरिंग है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं, ऐसी कोई नम्बरिंग तो नहीं है। सरकारी पेड़ों की नम्बरिंग है, लेकिन प्राइवेट वालों की नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बीड़ी की पत्तियों को फिर से नीलाम करने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सरकारी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी पर आक्षेप

**४—श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को विदित है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री मदन मोहन उपाध्याय ने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सम्बन्ध में भाषण देते हुए श्री बद्रीनाथ मन्दिर कमेटी पर कतिपय आक्षेप किये थे ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां।

**५—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार ने उक्त आक्षेपों के सम्बन्ध में कोई जांच करायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके परिणाम पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। जांच करायी गयी, परिणाम का ब्योरा संलग्न है।

(ब्योरा नीचे अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में छपा है)।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी संलग्न ब्योरा सदन की जानकारी के लिए सुना देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह इस प्रकार है :—

आक्षेप	जांच का परिणाम
१—आज बदकिस्मती से बद्रीनाथ में असली सोना चढ़ाया जाता है और बाहर बम्बई बिकने जाता है तो पीतल बन जाता है।	श्री बद्रीनाथ के चढ़ावे का सोना बद्रीनाथ-पुरी से बम्बई बिकने को नहीं गया।
२—एक फिल्म 'यात्रिक' बनी है, जिसमें बद्रीनाथ की फिल्म निकली है, उसमें लव स्टोरी है, उसको बनाने का बद्रीनाथ कमेटी ने उसको अधिकार दिया है।	यह फिल्म न्यू थियेटर्स लिमिटेड ने बनायी है। बद्रीनाथ कमेटी ने इसको बनाने का कोई अधिकार नहीं दिया, बल्कि जब यह फिल्म आयी तो कमेटी ने उसका विरोध किया।
३—श्री बद्रीनाथ की भूमि के किसानों से आज इतनी अधिक बेगार ली जा रही है कि जहां एक रुपया लगान है, वहां २४ रुपया की किसान बेगार पड़ रही है।	कमेटी की ओर से किसानों से कोई बेगार नहीं ली जाती है।

आक्षेप	जांच का परिणाम
४--श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक मुकुट मद्रास में बन रहा है। यह कार्य उत्तर-प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है ?	मुकुट रत्न जटित बन्द जड़ाऊ काम का बन रहा है। बनारस व लखनऊ का जड़ाऊ का काम न तो उच्च कोटि का होता है, न उतना टिकाऊ ही होता है जैसा कि मद्रास का। इस सम्बन्ध में आर्टस् ऐन्ड क्रैफ्ट्स स्कूल के प्रिंसिपल श्री एल०एन० सेन तथा श्री पी० सेन से सलाह ली गयी। उन्होंने एक डिजाइन बनाया परन्तु काम नहीं करवा सके। मेसर्स श्री कृष्णदास उर्फ खुनखुनजी ने लखनऊ के प्रसिद्ध जौहरी हैं, की भी सलाह ली गयी। उन्होंने सलाह दी कि उत्तरी भारत (बनारस, देहली व लखनऊ) में बन्द जड़ाऊ का काम चपड़े पर जिसके नीचे डांक होता है, किया जाता था, जो उतना टिकाऊ नहीं होता जितना होना चाहिए। मद्रास का जड़ाऊ काम उससे कहीं अधिक अच्छा व टिकाऊ होता है। अतएव कमेटी ने मद्रास में काम बनवाने का निश्चय किया।
५--हवाई यात्रायें यह देखने के लिए की गयीं कि कार्य में कैसी प्रगति हो रही है।	प्रारम्भ में कमेटी के एक सदस्य तथा सचिव ने बहुमूल्य रत्नों को मद्रास ले जाने के लिए हवाई यात्रा की थी, जो अन्यथा रेल द्वारा पुलिस संरक्षण में करनी पड़ती। खर्चा अधिक होने के साथ-साथ रेल द्वारा यात्रा खतरनाक भी थी।
६--यात्रा इसके लिए रेल द्वारा भी की गयी।	मन्दिर के खर्चे से कोई यात्रा रेल द्वारा नहीं की गयी।

श्री व्रजविहारी मिश्र--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चढ़ावे का सोना बिना सरकार की आज्ञा के बेचा नहीं जा सकता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी, नहीं बेचा जा सकता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच आक्षेप के बारे में करवायी गयी है, वह किसके द्वारा करवायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं, वे खुद सरकारी अफसर रह चुके हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसको सरकार ने सन्तोषजनक माना।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ६ साल में जो सोना चढा वह कितना चढ़ा और कहां बेचा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--६ साल का ब्योरा तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जब कभी भी वह बिकता है तो गवर्नमेंट की परमिशन से बिकता है ?

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह मुकुट जो मदरास में बनने गया है उसको कितना समय हो गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं समझता हूं कि करीब २ साल के हो गये ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब यह मुकुट हवाई जहाज से मदरास गया तो उसको कौन ले गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--एक तो उसके सेक्रेट्री थे और एक शायद श्री नेगी थे जो उसके सदस्य हैं, यह दो व्यक्ति थे ?

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस वक्त मुकुट मदरास भेजा गया था तो वह किस वेल्यूयेशन का था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--३०,००० रुपये का था ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि न्यू थियेटर्स द्वारा निर्मित "यात्रिक" फिल्म पर बद्रीनाथ कमेटी ने किन आधारों पर आक्षेप किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वह तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वही आधार होगा कि उसमें जो लव स्टोरी वगैरा है, उसी पर आक्षेप हो सकता है ।

श्री बचनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जो मुकुट बनने गया है उसकी कुल लागत कितनी होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--करीब ५०,००० रुपए से ऊपर होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक सरकार ने पिछले सालों में कितना सोना बेचने की इजाजत बद्रीनाथ कमेटी को दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ?

श्री जोरावर वर्मा--क्या बद्रीनाथ कमेटी के पास कोई ऐसा रजिस्टर या एकाउन्ट रहता है जिसमें यह दर्ज रहता है कि कितना सोना चढ़ा और बिका ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रत्येक चीज का पूरा-पूरा रजिस्टर रहता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या यह सही है कि "यात्रिक" फिल्म में सब से पहले यह दिखाया जाता है कि बद्रीनाथ कमेटी की कृपा से ही यह फिल्म निकली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैंने देखा नहीं लेकिन अगर ऐसा है तो यह तो एक और भी कारण है कि जिसकी वजह से कमेटी ने उसका विरोध किया होगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बद्रीनाथ कमेटी ने एक निर्णय यह किया कि कल्चरल डेलीगेशन तिब्बत को भेजा जाय और उसके लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मना कर दिया ? क्या इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी प्रकाश डालेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हमारे पास इसकी सूचना नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं शायद उपाध्याय जी की बात सही होगी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या मुख्य मंत्री जी यह सब जो आक्षेप किये गये हैं उनकी किसी निष्पक्ष कमेटी द्वारा जांच कराने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे तो अभी कोई ऐसी खास अवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री हरदयालसिंह सिन्हा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी ने बद्रीनाथ मंदिर कमेटी से इस बात की जानकारी प्राप्त की है कि इस मंदिर से वार्षिक आय कितनी होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हर साल उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट में आती है।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जो सोना चांदी वगैरह या रत्न आदि चढ़ावे में चढ़ते हैं वह प्रतिदिन उसके रजिस्टर में इंटर किये जाते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर मैं प्रश्न को ठीक समझा हूं तो जो भी वहां चढ़ता है रजिस्टर में उसकी इन्ट्री होती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि जो अशरफियां मंदिर में चढ़ती हैं वह ट्रेजरी में डबल लाक में रहती है और उसकी चाभी हमारे यहां के जो सेक्रेट्री हैं उन्हीं के पास रहती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इतने ब्योरे की बात ठीक नहीं कह सकता हूं। संभवतः ऐसा ही होगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह जो आय होती है क्या उसके हिसाब की जांच भी होती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। सरकारी आडिटर उसकी जांच करते हैं।

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री झारखंडे राय—[स्थगित किये गये।]

बहराइच के बाबागंज डकैती केस के बन्दी

*३—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच के बाबागंज केस के कम्युनिस्ट राजबन्दी किन-किन जेलों में कितनी-कितनी संख्या में रखे गये हैं ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—बाबागंज डकैती केस के सभी बंदियों को सेंट्रल जेल बनारस में रक्खा गया है।

अनुशासन जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर विभागीय आदेश

*४—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अनुशासन जांच समिति (Disciplinary Proceedings Inquiry Committee) की शिफारिशों के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा कौन-कौन से आदेश जारी किये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानंद—अनुशासन जांच समिति (Disciplinary Proceedings Inquiry Committee) की रिपोर्ट के प्रथम भाग में की गई सिफारिशों के संबंध में जो आदेश जारी किये गये हैं वे समिति की सम्पूर्ण रिपोर्ट के अन्त में प्रकाशित किये गये हैं। कुछ आदेश रिपोर्ट के दूसरे भाग में की गई सिफारिशों के संबंध में भी जारी हो चुके हैं।

*५—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार उन आदेशों की प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

†डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्त (ख) विभाग का जो आदेश है उसके पृष्ठ २ पर १५ वें उपखंड में जो संबंधित अनुशासन कार्यवाही जांच समिति की रिपोर्ट के मातहत सरकारी कर्मचारियों के आचरण, अनुशासन आदि के संबंध में मैनुअल तैयार करने के लिये एक विभागीय विधान बनाने के लिये समिति नियुक्त करने की बात है, क्या वह की गई या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरा ख़याल है अभी नहीं हो सकी है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—उसी के पृष्ठ५ के परिच्छेद १४ के अनुसार विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण के लिये बाहरी एजेंसी के संगठन के बारे में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य जो इस रिपोर्ट के बारे में प्रत्येक पृष्ठ से प्रश्न पूछते हैं उसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। रिपोर्ट आपके पास मौजूद है आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कार्यवाही इस रिपोर्ट के बारे में होनी है उसके बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इस प्रकार तो उसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं; इतने ब्योरे के प्रश्नों की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जो आदेश जारी किये गये हैं अब तक उसमें अदालतों के निरीक्षण वगैरा की बाबत दरख्वास्त देने के लिये सरकार ने क्या किया है? क्या उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यहां प्रश्न तो यह पूछा गया कि क्या-क्या आदेश जारी किये गये। अब इस ब्योरे का सवाल कि किस आदेश का पालन हो रहा है इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

राज्य के आदर्श थाने

*६—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलायेगी कि आजकल राज्य में आदर्श थाने हैं या नहीं और यदि हैं तो कितने ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—आजकल राज्य में कोई आदर्श थाने नहीं हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ये जो आदर्श थाने कायम किये गये थे पहले, वे आदर्श थाने क्या हो गये ?

---

†कार्यवाही में छापी नहीं गई।

श्री जगनप्रसाद रावत--पहले आदर्श थाने के नाम पर कुछ थाने कायम किये गये थे क्योंकि उस समय कुछ नये प्रयोग करने की जरूरत समझी गई, लेकिन अनुभव ने यह बताया कि उन प्रयोगों से कुछ अधिक लाभ नहीं निकला इसलिये वह प्रथा हटा दी गई।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--क्या सरकार इस प्रदेश के थानों को आदर्श बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--यह उत्पन्न नहीं होता, मूल प्रश्न तो पुराने आदर्श थानों के बारे में है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आदर्श थानों का प्रयोग इस कारण असफल रहा कि उनमें जो कर्मचारी भेजे गये वे सब आदर्श नहीं थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह बात नहीं कि उनमें जो कर्मचारी भेजे गये वे आदर्श नहीं थे बल्कि इसलिये कि कुछ थानों को आदर्श थाना कहा जाय और बाकी दूसरों को आदर्श न कहा जाय इस तरह की विभिन्नता करने से शासन में कोई अच्छा असर नहीं पड़ता।

रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालय का पुस्तकालय

*७--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेशीय राज्य कोआपरेटिव बैंक के कार्यालय में कोई पुस्तकालय है ? यदि हां, तो इस पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, कितनी पत्रिकायें तथा पत्र आते हैं और इस पर कितने रुपये बैंक तथा कितने रुपये सरकार व्यय करती है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)--उत्तर प्रदेशीय राज्य कोआपरेटिव बक के कार्यालय में कोई पुस्तकालय नहीं है, बल्कि रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां उत्तर-प्रदेश के कार्यालय में एक पुस्तकालय है।

उक्त सहकारी पुस्तकालय में कुल १०,९५१ पुस्तकें हैं और ४२ पत्रिकायें आती हैं। सहकारी बैंक से पुस्तकालय को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। सरकार १,५०० रु० का अनुदान भारत की पुस्तकों और पत्रिकाओं तथा २०० रु० का अनुदान इंग्लैन्ड के साहित्य के क्रय के हेतु देती है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय मंत्री जी क्या कृपा कर बतायेंगे कि उक्त पुस्तकालय कब से स्थापित है और किसके प्रयत्न से ?

श्री धर्मसिंह--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यह कोआपरेटिव के कार्य के लिये है और वहां के अधिकारियों के द्वारा स्थापित है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि जो अनुदान उस पुस्तकालय को सरकार द्वारा दी जाती है उसका पूरा व्यय हर साल हो जाता है ?

श्री धर्मसिंह--इस तरह के तो आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। जब दिया जाता होगा तो अवश्य खर्च हो जाता होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस लाइब्रेरी में जो किताबें रखी जाती हैं वह बैंक से संबंधित किताबें होती हैं या किसी और प्रकार की भी होती है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ७ से ९ तक श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री धर्मसिंह--वैसे तो बैंक से ही संबंधित होती हैं और जिनसे कोआपरेटिव को प्रोत्साहन दिया जाता है उसके लिये भी होती हैं। इसके अलावा वहां सामान्य विज्ञान, समाज विज्ञान, कलात्मक इत्यादि इसी तरह की संबंधित पुस्तकें रहती हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बैंक में कोई कमरा ऐसा है जहां पर बाहर के लोग भी उन किताबों को पढ़ा करते हैं ?

श्री धर्मसिंह--वह तो मैंने देखा नहीं है। माननीय सदस्य ने देखा होगा।

देवरिया जिले के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट

*८--श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)--राज्य में इस समय कितने जुडिशियल अफसर ऐसे हैं जो शासन का भी कार्य कर रहे हैं और क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय राज्य में २६ जुडीशियल अफसर शासन क्षेत्र (Executive side) में कार्य कर रहे हैं।

इन जुडीशियल अफसरों को शासन संबंधी कार्यों (Executive duties) में इसलिये लगाना पड़ा क्योंकि उत्तरोत्तर बढ़ते हुये शासन कार्यों के लिये उपयुक्त संख्या में अनुभवी डिप्टी कलेक्टर उपलब्ध नहीं है।

*९--श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)--देवरिया जिले के लिये कितने जुडिशियल अफसर स्वीकृत हैं, कितने कार्य कर रहे हैं और कितने ऐसे हैं जो शासन विभाग का कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--देवरिया के लिये ६ जुडिशियल अफसर स्वीकृत हैं और इस समय ५ वहां पर कार्य कर रहे हैं, जो कि काम की वर्तमान स्थिति में पर्याप्त समझे जाते हैं।

ये जुडीशियल अफसर मुख्यतः मुकद्दमों का ही कार्य करते हैं किन्तु इस जिले में न्याय तथा शासन के पृथक्करण की योजना लागू न होने के कारण, आवश्यकता पड़ने पर जिलाधीश इन्हें शासन संबंधी अन्य कार्य भी सौंप सकते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह जो २६ अफसर सरकारी काम में लगे हैं वे शासन का कार्य कर रहे हैं या और कोई काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसमें से १६ अफसर तो तीन जिलों में चकबन्दी जो हो रही है उनमें काम कर रहे हैं और ५ अफसर कम्पेंसेशन का काम कर रहे हैं। ३ अफसर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर का काम कर रहे हैं और २ एस० डी० ओ० का या दूसरा काम डिप्टी कलेक्टरों का कर रहे हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जुडिशियल आफिसर जो शासन का काम करते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत रहकर के काम करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, जिस हद तक शासन का काम करते हैं जरूर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के मातहत करते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस वजह से जुडिशियल वर्क में दखल तो नहीं होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जहां तक जुडीशियल वर्क की बात है ये हाईकोर्ट के मातहत हैं और अभी तक ऐसी कोई शिकायत आई न हो कि उनके जुडिशियल काम में कोई फर्क पड़ता हो।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे जुडीशियल आफिर जो शासन प्रबन्ध के कार्य में लगे हैं, उनमें कितने अस्थायी हैं और कितने स्थायी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इनमें से कितने स्थायी हैं या अस्थायी, यह मैं सूचना बिना नहीं कह सकता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ऐसे जुडिशियल आफिसर्स से एग्जिक्युटिव काम न लिये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, सिद्धांततः यह अच्छी चीज है जरूर, ऐसा कर सकें तो अच्छा है। जरूर हम ऐसा समझते हैं।

श्री बलवन्तसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पी० सी० एस० जो एग्जिक्युटिव है, क्या उसके कैडर में कुछ कमी है प्रांत में ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, कमी भी है और कम से कम ऊपर के ऐसे आदमी जो अनुभवी हों, उनकी तो खास तौर से कमी है ।

सचिवालय के लिए किराये की इमारतें

*१०—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रादेशिक सचिवालय के कितने ऐसे विभाग हैं, जो विधान भवन के बाहर किराये की इमारतों में स्थित हैं और उन पर सालाना कितना व्यय होता है ?

श्री धर्म सिंह—प्रादेशिक सचिवालय के तीन विभाग किराये की २ इमारतों में स्थित हैं, उन पर सालाना ११,१२० रुपये ९ आना व्यय होता है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतायेगी कि इन विभागों के नाम क्या हैं ? ये विभाग कहां-कहां स्थित हैं ?

श्री धर्मसिंह—ये विभाग हैं इलेक्शन डिपार्टमेंट और पंचायत राज डिपार्टमेंट और ये १६ एबट रोड पर स्थित हैं। दूसरा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है और यह भी १६ आउटरम रोड पर स्थित है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जस्टिस (बी) डिपार्टमेंट विधान भवन के बाहर स्थित है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कौन कौन से कार्यालय हैं कि जो विधान भवन में स्थित हैं, लेकिन वह सचिवालय के अंग नहीं हैं ?

श्री धर्मसिंह—इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है और इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं बता दूंगा।

जिला टेहरी गढ़वाल के जंगलात की कतिपय चौकियों मे मासिक आय

*११—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला टेहरी गढ़वाल के जंगलात की क्यूडी चौकी, नैनू चौकी और डोग चौकी की गत तीन वर्षों से न्यूनतम और अधिकतम मासिक आय क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिला टेहरी गढ़वाल के जंगलात की क्यूडी चौकी, मैनू चौकी और डोग चौकी की गत तीन वर्षों की न्यूनतम मासिक आय १८५ रु० १४ आ० है और अधिकतम मासिक आय १,३८४ रु० २ आ० है।

*१२—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन चौकियों में कितने कर्मचारी रखे गये हैं और उनका मासिक खर्चा गत तीन वर्षों से क्या है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इन चौकियों में तीन कर्मचारी काम करते हैं, जिनका मासिक खर्चा १५३ रु० है।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह चौकियां कब और क्यों रखी गई हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह तो बहुत पुराने जमाने से हैं और जो निकासी उस जगह से होती रहती है उस पर वह अपना पैसा वसूल करती है।

श्री गंगाधर मैठाणी—पुराने जमाने से मतलब समझ में नहीं आया। क्या यह राजा के जमाने से हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां।

श्री सत्यसिंह रावणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या यह सही है कि यह पैसा जो निकासी के लिये लिया जाता है, उसकी वसूली आसानी से नहीं हो पाती?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जो रास्ता चलते हैं (अथवा राहदारी के तौर पर वसूल किया जाता है) उसे वहां वसूल किया जाता है। आसानी और दिक्कत का कोई सवाल नहीं पैदा होता।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि टेहरी गढ़वाल, कुमायूं डिवीजन का हिस्सा होने के कारण से वहां की चौकियों के सिस्टम में कुछ परिवर्तन भी किया गया है या नहीं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इन कुमायूं जंगलों के रूल्स और हैं और टेहरी के बकिंग प्लान्स के रूल्स जो राजा के समय में थे न वही वे गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐक्ट के मुताबिक नोटिफीकेशन कर दिये गये थे इसलिये उनके रूल्स अलग हैं।

श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार बतलायेगी कि कुमायूं डिवीजन का एक हिस्सा टेहरी गढ़वाल भी हो गया है तो माननीय मंत्री ने यह आवश्यक क्यों नहीं समझा कि कुमायूं फारेस्ट लाज भी टेहरी गढ़वाल में लगाये जायं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह जो आपने बात कही है वह कुमायूं में भी लागू नहीं है क्योंकि कुमायूं सिविल डिवीजन का बहुत सा हिस्सा ऐसा है कि जो कुमायूं फारेस्ट सर्किल रूल्स के अन्तर्गत नहीं आता है। वैसे ही टेहरी में, जो कि उसके अपने रूल्स हैं उन्हीं को लगाया गया है। तो जंगलों के अलग-अलग सर्किलों के लिये अलग रूल्स होते हैं।

*१३—श्री नारायणदत्त तिवारी—[स्थगित किया गया।]

हरिजन बिक्री-कर अधिकारी

*१४—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष कुल कितने बिक्री कर अधिकारियों (Sales Tax Officers) को स्थायी किया गया और इनमें से कितने अधिकारी हरिजन समुदाय के हैं?

श्री धर्मसिंह--पिछले साल कोई बिक्री-कर अधिकारी (सेल्स टैक्स अफसर) स्थायी नहीं किया गया। इसलिए अनुसूचित जाति के किसी बिक्री कर अधिकारी (सेल्स टैक्स अफसर) को स्थायी करने का सवाल नहीं उठता।

*१५--श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार इस वर्ष कुछ सहायक बिक्री कर अधिकारियों (Asst. Sales Tax Officers) को स्थायी करने जा रही है? यदि हां, तो कितने?

श्री धर्मसिंह--१९५५-५६ की नई मांगों की अनसूची में सहायक बिक्री कर अधिकारियों (असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसरों) की ५० फीसदी जगहों को स्थायी करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई निश्चय अन्तिम रूप से नहीं किया गया है कि वर्तमान सहायक बिक्री कर अधिकारियों में से कितनों को इन जगहों पर स्थायी किया जायगा।

*१६--श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस समय प्रदेश में सहायक बिक्री-कर अधिकारी (Asst. Sales Tax Officer) के पद पर कार्य करने वाले हरिजन कर्मचारियों की संख्या क्या है?

श्री धर्मसिंह--इस समय विभाग में अनुसूचित जाति के दो सहायक बिक्री-कर अधिकारी (असिस्टेंट सेल्स टैक्स अफसर) काम कर रहे हैं।

श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिन आफिसर्स को स्थायी किया जा रहा है उनके स्थायीकरण के लिये क्या आधार रखा गया है?

श्री धर्मसिंह--इसके तो बहुत से नियम बने हुये हैं। उनकी सर्विस कितनी है, रेकार्ड किस प्रकार का है, किस तरीके का वह अब तक काम करते आ रहे हैं, बहुत सी उसमें बातें हैं।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में भी कुछ सेल्स टैक्स आफिसर रखे गये हैं?

श्री धर्मसिंह--जी हां, रखे गये हैं।

श्री कमलासिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उनका कार्य क्या है?

श्री अध्यक्ष--मैंने पहले एक विसंगत सवाल की इजाजत दे दी, यह उसी प्रकार भिन्न प्रश्न है और बहुत ब्योरे का सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने सेल्स टैक्स आफिसर ऐसे हैं कि जो स्थायी नहीं किये गये और कितने समय से वह सरकारी कर्मचारी रहे हैं?

श्री धर्मसिंह--मैंने यह कहा कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि उनको परमानेन्ट किया जाय। यह सन् १९४८ से कार्य कर रहे हैं। उसके बाद जैसा अभी बताया गया १९५५-५६ के बजट में इस बात का प्राविजन किया गया है कि हम उनको परमानेंट करेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--कितने हैं?

श्री धर्मसिंह--साठ हैं।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह अधिकारी कितने वर्षों से अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष--इसका तो अभी जवाब दिया जा चुका है।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार बतायेगी कि जो ५० फीसदी बचे हुए असिस्टेंट सेल्स टैक्स आफिसर्स रह जायेंगे उनको कब तक स्थायी किया जायगा ?

श्री धर्मसिंह---जब हम पहले ५० फीसदी तक स्थायी कर लेंगे तब उसके बाद विचार किया जायगा कि शेष ५० फीसदी को भी स्थायी किया जाय।

जिला झांसी के सिजारी ग्राम में डाके से क्षति

*१७---श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सिजारी, तहसील मऊ, जिला झांसी में दिनांक १८ जनवरी, १९५५ को जो डाका पड़ा था उसमें कितनी क्षति हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस डाके में लगभग १२,५०० रु० की क्षति हुई।

*१८---श्री गज्जूराम---क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि उपरोक्त डाके के समय वहां पुलिस मौजूद थी और उसने डाकुओं का सामना नहीं किया ? यदि हां तो सम्बन्धित पुलिसमैनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---डकैती के समय सिजारी ग्राम में कोई पुलिस कर्मचारी उपस्थित नहीं था। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री गज्जूराम---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिसके ऊपर डकैती पड़ी उनका नाम क्या है, और डकैती किस समय पर पड़ी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अभी इसकी तफतीश हो रही है इसलिये इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डाके के सिलसिले में कुछ लोग पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जिस समय यह सूचना मेरे पास आयी थी उस समय तक कोई नहीं पकड़ा गया और इस बीच में कोई कार्यवाही हुई हो तो मेरे पास उसकी इत्तला नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---क्या मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे कि गांव वालों द्वारा पुलिस को थाने से बुला लाने पर भी पुलिस वाले घटनास्थल पर नहीं पहुंचे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने मुझसे कुछ बातें भी की हैं और मैं उसका पता भी लगाने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे डाका पड़ने के कितने समय बाद पुलिस जांच के लिये पहुंची ?

श्री जगनप्रसाद रावत---काफी जल्दी पहुंच गई थी।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि कितने लोगों के नाम वारन्ट गिरफ्तारी जारी हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अभी तफतीश में पता नहीं हो पाया है कि किस किस की गिरफ्तारी की जाय।

*१९---श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)---[स्थगित किया गया।]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जालौन जिले के लिए बिजली

*२०---श्री चित्तर सिंह निरंजन (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में बिजली लगाने का विचार वह पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर रही है ?

नोट---तारांकित प्रश्न २० व २१ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

श्री धर्मसिंह—जी हां।

*२१—श्री चित्तर सिंह निरंजन (अनुपस्थित)—यदि हां, तो उक्त कार्य कब से और किस-किस तहसील (स्थान) में आयोजित किया जायेगा ?

श्री धर्मसिंह—कालपी, उरई और जालौन के कस्बों को बिजली दी जायगी। इस योजना पर काम शुरू हो गया है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन स्थानों का नाम उन्होंने लिया है इनको बिजली कहां से प्राप्त होगी ?

श्री धर्मसिंह—कानपुर के केसा पावर हाउस से।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह स्कीम जालौन जिले के लिये ही है या बुन्देलखंड के और दूसरे जिलों हमीरपुर, बांदा वगैरा के लिये भी है ?

श्री धर्मसिंह—जी हां, यह ३६ टाउन्स के लिये है। यदि आप इजाजत दें तो मैं उनके नाम भी बतला सकता हूं।

*२२-२३—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—[स्थगित किये गये।]

बदायूं जिला जेल में बन्दियों को सिखाये जाने वाले उद्योग-धन्धे

*२४—श्री केशव राम (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिला जेल में ऐसे कितने कैदी हैं जो गत १० वर्षों से बन्दी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—केवल एक ऐसा बन्दी है।

*२५—श्री केशव राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उक्त जेल में बन्दियों को क्या-क्या उद्योग धन्धे सिखाये जाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उक्त जेल में कैदियों को दरी बुनना, निवाड़ बिनना, मूंज की चटाइयां और बान बनाना सिखाया जाता है।

*२६—श्री केशव राम (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जेल में कितनी महिलायें और बालक हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस जेल में २ महिलायें तथा १९ बालक (Juveniles) हैं।

भरथना, जिला इटावा में बिजली की आवश्यकता

*२७—श्री मिहरबान सिंह (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कब तक जिला इटावे के भरथना कस्बे को बिजली मिलने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—इस समय जिला इटावे के भरथना कस्बे को बिजली देने की कोई योजना नहीं है।

डाकू मान सिंह द्वारा जिला सूचना अधिकारी आगरा की कार को प्रयोग करने का आरोप

*२८—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार के पास सूचना है कि मार्च के प्रथम सप्ताह में डाकू मानसिंह और उसके साथियों ने जिला सूचनाधिकारी, आगरा की कार को लगभग ३ दिन तक प्रयोग किया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

*२९--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार यह बतायेगी कि उपर्युक्त कार किस प्रकार डाकुओं के हाथ लगी और उसे किस प्रकार लौटाया गया?

श्री जगनप्रसाद रावत--प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोरावर वर्मा--क्या मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि जब आगरा के सूचना अधिकारी बाह तहसील के अन्तर्गत धौलपुर रोड पर आगरा से ४० मील दूर पर दौरे के बाद आगर को लौट रहे थे तो डाकुओं ने उनको घेरा और कार छीन ली?

श्री जगनप्रसाद रावत--मैं उत्तर दे चुका हूं कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

श्री जोरावर वर्मा--इस घटना की जांच उन्होंने किसके द्वारा करायी, क्या मंत्री जी बतायेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत--स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसका पता लगाया गया और उन्होंने कोई सूचना इस घटना के सम्बन्ध में नहीं दी कि ऐसी कोई घटना हुई।

जौनपुर जिले की रजिस्टर्ड सहकारी समितियां

*३०--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)--क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३-५४ के अन्त तक जौनपुर जिले में कितनी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सन् १९५३-५४ के अन्त तक अर्थात् ३० जून, १९५४ तक कुल ९२४ सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं।

*३१--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचायत सेक्रेटरियों को प्रत्येक गांव सभा के अन्दर सहकारी समिति बनवाने के लिये अधिकार दिया गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, पंचायत सेक्रेटरियों को प्रत्येक गांव सभा के अन्दर सहकारी समिति बनवाने के लिये अधिकार दिया गया है।

कायमगंज व शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद में बिजली की मांग

*३२--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला फर्रुखाबाद में नगरपालिका कायमगंज और टाउन एरिया शमशाबाद को कब तक बिजली मिलेगी और यह बिजली कहां से लाई जायेगी?

श्री धर्मसिंह--इस समय जिला फर्रुखाबाद में कायमगंज और शमशाबाद कस्बों को बिजली देने की कोई योजना नहीं है।

*३३--श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि इन कस्बों की तरफ से बिजली की मांग काफी अरसे से की जा रही है?

श्री धर्मसिंह--सिर्फ कायमगंज से बिजली की मांग आई है परन्तु शमशाबाद से कोई ऐसी मांग नहीं आई है।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो योजना टाउन्स को बिजली देने की है उसके अन्तर्गत कायमगंज और शमशाबाद को बिजली देने के लिये विचार करेगी।

श्री धर्मसिंह--वह तो पहले ही निर्णय हो चुका है किन टाउन्स को बिजली दी जायगी। अब उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री मथुरप्रसाद त्रिपाठी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में इन टाउन्स में भी बिजली देने के लिये विचार किया जायगा?

नोट--तारांकित प्रश्न ३२ से ३४ श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी ने पूछे।

श्री धर्म सिंह—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह कोशिश की जा रही है कि इनको भी उसमें सम्मिलित कर लें।

फ़र्रुखाबाद जिले में बिजली का वितरण

*३४—श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में नलकूपों को देने के बाद कितनी बिजली बचेगी और उसका किस तरह पर बंटवारा होगा?

श्री धर्मसिंह—मैनपुरी पावर हाउस से जो कि बन रहा है ८,००० किलोवाट बिजली वितरण के लिये पैदा होगी, इसमें से ६,००० किलोवाट स्टेट ट्यूबवेलों के लिये जरूरत है और बाकी २,००० किलोवाट दूसरे कार्यों के लिये जिला मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा में मिल सकेगी। सिर्फ फर्रुखाबाद के लिये कोई खास तादाद नियत नहीं की गई है। क्योंकि बिजली का वितरण भिन्न-भिन्न जिलों की मांग तथा उसकी टेक्निकल सम्भावना पर निर्भर होगा।

श्री मथुराप्रसाद त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी से दो हजार किलोवाट बिजली बचेगी उसमें फर्रुखाबाद के ऐग्रीकल्चर तथा काटेज इंडस्ट्रीज के परपजेज के लिये बिजली देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा?

श्री धर्म सिंह—जी हां, अवश्य विचार किया जायगा।

पडरौना तथा हाटा तहसीलों के माल तथा फौजदारी के मुकदमे

*३५—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि कसया की अदालत में ही हाटा और पडरौना तहसील के वह सभी मुकदमे देखे जाते थे जो दीवानी के नहीं थे और अब ऐसे मुकदमों में से बहुत से देवरिया में देखे जाते हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पडरौना तथा हाटा तहसीलों के माल तथा फौजदारी के सभी मुकदमे और पडरौना तहसील के सेशन सुपुर्दगी के सभी मुकदमे अब भी कसया में ही देखे जाते हैं। केवल हाटा तहसील के सेशन सुपुर्दगी के मुकदमे कुछ समय से देवरिया में इसलिये देखे जाते हैं क्योंकि कसया में एक ही ए० पी० पी० है और ऐसे मुकदमों की पैरवी ठीक से नहीं हो पाती। देवरिया में इस प्रकार के सब मुकदमें एक ही इजलास में होने से ए० पी० पी० द्वारा पैरवी ठीक से हो जाती है और मुकदमों के निवर्तन में विलम्ब की सम्भावना कम रहती है।

*३६—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि हाटा और पडरौना के इजलासों को कसया में रखने के लिये वहां की जनता तथा सदस्यगण, विधान सभा, ने सरकार से अनुरोध किया है और उस अनुरोध को स्वीकार कर सरकार जिलाधीश को आदेश दे चुकी है कि जिलाधीश पहले ही जैसा प्रबन्ध रहने दें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तहसील हाटा की जनता की कुछ जमाअतों तथा विधान सभा के सदस्यगणों ने विगत जुलाई-अगस्त में सरकार से यह अनुरोध किया था कि वह हाकिम परगना, हाटा की अदालत को, जिसे जिलाधीश ने कसया से हटाकर देवरिया स्थानान्तरित कर दिया था, कसया में ही रहने दें। इस अनुरोध को सरकार ने मान कर जिलाधीश को ऐसा ही आदेश दिया था जिसका पालन उन्होंने अगस्त, १९५४ में ही कर दिया।

तारांकित प्रश्न ३५ व ३६ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को ज्ञात है कि जब हाटा तहसील के सारे मुकदमे कसिया तहसील में देखे जाते थे तो वहां पर दो ए० पी० पी० थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे उसकी ठीक इत्तिला नहीं है, सम्भव है होंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार को विदित है कि हाटा तहसील के जो केसेज कसिया में देखे जाते हैं वहां पर जनता को जाने में काफी कष्ट होता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जरूर खर्चा होता होगा।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी तमाम हाटा तहसील के मुकदमों को जो कसिया और देवरिया में देखे जा रहे हैं वह निकट भविष्य में हाटा में ही देखे जायं, इस पर विचार कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, विचार तो नहीं हो रहा है क्योंकि सुविधा इसी में देखी गयी है। लेकिन अगर ऐसा सिद्ध हो कि असुविधा ज्यादा होती है और खर्चा भी ज्यादा होता है तो इस पर विचार किया जायगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि देवरिया कचहरी तहसील हाटा के उत्तरी क्षेत्र से कितनी दूर पर है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप स्वयं ज्यादा जानते होंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि माननीय गेंदासिंह को सजा कसिया में हुई या देवरिया में ?

श्री अध्यक्ष—इसकी तो मैंने ही आपको सूचना सुना दी थी।

अतारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले में मऊ पावर हाउस से बिजली का वितरण

१—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के मऊ पावर हाउस से कितने शहरों और कस्बों को अब तक बिजली दी गई है और शेष को कब तक दे दी जायगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मऊ पावर हाउस से इस समय मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के शहरों को बिजली दी जा रही है और दूसरे शहरों को मऊ में नये पावर हाउस के बन जाने पर बिजली दी जायगी।

२—श्री श्रीनाथ—क्या मऊ कस्बे को कुछ दूर सड़क पर अस्थायी बिजली दी गई थी जो इस समय नहीं दी जा रही है ? इसका क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, इसका कारण यह है कि नगर पालिका ने दिसम्बर, १९५४ और जनवरी, १९५५ के बिजली के बिलों का अभी तक भुगतान नहीं किया है।

इलाहाबाद जिले में कत्ल तथा डकैतियों की संख्या

३—श्री कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि जनवरी, १९५५ में इलाहाबाद नगर तथा जिले में कितने कत्ल हुए और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—नगर में ३ तथा बाकी जिलों में ४ कत्ल हुए जिनमें से ४ मामले अदालत में विचाराधीन हैं और ३ में अभी जांच जारी है।

मैनपुरी जिले में बन्दूक तथा रिवाल्वरों के लाइसेंस

४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में सन् १९५४ ई० में बन्दूकों व रिवाल्वरों के लायसेंसों की कुल कितनी दरख्वास्तें लगीं हैं और कितनों को लायसेंस दे दिये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कुल ८५२ दरख्वास्तें लगीं और २७३ व्यक्तियों को लाइसेंस दिये गये ।

५—श्री गणेश चन्द्र काछी—कितनी दरख्वास्तें ऐसी हैं जिनको छै माह से अधिक हो चुके हैं परन्तु उन पर कोई फैसला नहीं हो सका ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसी दरख्वास्तें ८७ हैं।

पुलिस विभाग की अंगुल छाप ब्यूरो तथा वैज्ञानिक शाखा के कर्मचारी

६—श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग की अंगुल छाप ब्यूरो तथा वैज्ञानिक शाखा (Finger Print Bureau and Scientific Section) में इस समय कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अंगुल छाप ब्यूरो तथा वैज्ञानिक शाखा में इस समय कुल ६३ कर्मचारी हैं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(१)	एस० पी०	१
(२)	डी० एस० पी०	२
(३)	इन्सपेक्टर	४
(४)	सब-इन्सपेक्टर	१८
(५)	हेड कानस्टेबिल	११
(६)	फोटोग्राफर	३
(७)	लेबोरेटरी असिस्टेंट	१
(८)	क्लर्क	५
(९)	स्टेनोग्राफर	२
(१०)	ए० पी० कान्स्टेबिल	२
(११)	इन्फीरियर स्टाफ	१४
	कुल	६३

सहारनपुर जिले की रजिस्टर्ड उपभोक्ता सहकारी समितियां

७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सहारनपुर जिले में रजिस्टर्ड उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या क्या है और उनमें कुल कितनी पूंजी लगी हुई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सहारनपुर जिले में ३१ दिसम्बर, १९५४ तक उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या ९ थी और उनमें लगी हुई पूंजी उक्त तिथि तक ७, २६,८१६ रु० १४ आ० ४ पा० थी।

जौनपुर जिले की सहकारी समितियां

८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला जौनपुर में १,०७७ सहकारी समितियां हैं ।

९—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया ।]

जिला सहकारी फेडरेशनों का संचालन

१०—श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में कितने जिला सहकारी फेडरेशनों का संचालन गैर-सरकारी हाथों में है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रदेश में सभी जिला सहकारी फेडरेशनों का संचालन गैर सरकारी हाथों में है।

लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर के मजदूरों द्वारा होने वाली हड़ताल के सम्बन्ध में दो कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज २,३ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। उनमें दो तो एक ही विषय पर हैं। उनमें पहला श्री जगन्नाथ मल्ल का प्रस्ताव इस प्रकार है कि "लार्ड कृष्णा शुगर मिल्स, सहारनपुर के १,२०० मजदूरों के मिल मालिक तथा जिलाधीश के सम्मिलित अन्याय तथा जोर-जुल्म के विरोध में होने वाली हड़ताल से उत्पन्न आवश्यक तथा गम्भीर विषम परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है", इसके सिलसिले में उक्त जिले से श्री ताराचन्द सेठी का तार मिला है और उसी की बुनियाद पर यह कामरोको प्रस्ताव आया है।

इसी तरह से श्री झारखंडे राय का इस हड़ताल के संबंध में इसी तरह का कामरोको प्रस्ताव आया है। इसमें सरकार से कोई भी संबंध नहीं मालूम होता है। एक स्थानीय मिल मालिक से झगड़ा होने से इस प्रकार के हड़ताल होने की खबर आयी है। उसके विषय में एकदम कामरोको प्रस्ताव नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव में कोई निश्चित बात भी जिस पर विवाद आवश्यक हो, नहीं है। इसलिये मैं उन दोनों ही को उपस्थित करने को इजाजत नहीं देता हूं।

बरेली के सरकारी अधिकारियों द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड के पदाधिकारियों को अवैधानिक सहायता के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा प्रस्ताव श्री रामसुभग वर्मा का है जो बरेली के सरकारी अधिकारियों द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड के वर्तमान पदाधिकारियों को अवैधानिक रीति से सहायता देने के संबंध में है। यह भी कुछ उसी प्रकार के अनिश्चित विषय है। इसलिये मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं।

पुस्तकालय समिति के लिये नियुक्त सदस्यों को नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—पुस्तकालय समिति के लिये मैंने अगले वर्ष के लिये इन सदस्यों को नियुक्त किया है। इनके नाम इस प्रकार से हैं :—

१—श्री हरगोविन्द पंत,	उपाध्यक्ष	सभापति
२—श्री कमलापति त्रिपाठी, मंत्री	एम० एल० ए०	सदस्य
३—श्री मंगला प्रसाद, उपमंत्री	,,	,,
४—श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी	एम० एल० सी०	,,
५—श्री महाबीर सिंह	,,	,,
६—डा० ईश्वरी प्रसाद	,,	,,
७—श्री परिपूर्णानन्द वर्मा	एम० एल० ए०	,,
८—श्री नारायण दत्त तिवारी	,,	,,
९—राज० वीरेंद्र शाह	,,	,,
१०—श्री अजीज इमाम	,,	,,
११—डा० सीताराम	,,	,,
१२—श्री कैलाश प्रकाश, उपमंत्री	,,	,,

१३—श्रीमती विद्यावती राठौर	एम० एल० ए०	सदस्य
१४—श्री वीरेंद्रपति यादव	,,	,,
१५—श्री वीरेंद्रनाथ मिश्र	,,	,,
१६—श्री नेकराम शर्मा	,,	,,
१७—डा० जवाहर लाल रोहतगी	,,	,,
१८—श्री इस्तफा हुसेन	,,	,,
१९—श्री शिवकुमार लाल श्रीवास्तव	एम० एल० सी०	,,
२०—श्री लक्ष्मी शंकर यादव	एम० एल० ए०	,,
२१—श्री हरदयाल सिंह पिपल	,,	,,
२२—श्री रामसुमेर (फैजाबाद)	,,	,,
२३—श्री मोहन लाल गौतम	,,	,,
२४—श्री लक्ष्मण राव कदम	,,	,,
२५—श्रीमती शांतीदेवी अग्रवाल	एम० एल० सी०	,,

यह २५ सदस्य इस पुस्तकालय समिति के लिये अगले वर्ष के लिये नियुक्त किये गये हैं। इसके सभापति नियम के अनुसार श्री हरगोविन्द पंत, उपाध्यक्ष होंगे।

'पायोनियर' द्वारा स्थायी समितियों के निर्वाचन विषयक आपत्तिजनक समाचार छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान २७ तारीख के पायनियर की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें फ्रंट पेज पर एक खबर छपी है और उसका हेडिंग है "Scramble for Seats in Assembly Committees" इसमें श्रीमन्, उन्होंने हमारे मेम्बर साहबान के खिलाफ लिखा है उनका मंशा यह है कि एसेम्बली कमेटीज में जाने के लिये सदस्यों में रस्साकशी है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं :—

"What is the monetary gain that the membership of a committee of the House brings an M.L.A.?

According to a source which should know the estimated earnings —in the shape of travelling and halting allowances—for attending committee meetings are. Rs.500 (Standing Committee) Rs.4,000 (Public Accounts Committee), Rs.5,000 (Finance Committee), and Rs.6,000 (Estimates Committee) respectively.

These extra earnings are of course, in addition to the coveted free trip of each committee member to Naini Tal during the summer at the tax-payer's expense.

मैंने, अध्यक्ष महोदय, इस बात की कोशिश की कि सेक्रेटेरियट से आंकड़े इसके बाबत मुझे मिल पायें। चूंकि साल के आखीर का समय है इसलिये मुझे पब्लिक एकाउन्ट्स व फाइनेंस कमेटीज के आंकड़े तो न मिल सके क्योंकि स्टाफ पेमेंट के कार्य में अधिक व्यस्त था। ऐस्टीमेट्स कमेटी के आंकड़े मुझे मिले। श्रीमन्, यह ऐस्टीमेट्स कमेटी ५ सितम्बर, १९५२ को बनी थी इसको दो साल ७ महीने हो गये। जो टोटल आमदनी मेंम्बरों को हुई वह ४२,६१३ रुपया हुई। इस प्रकार से २५ मेम्बरों में से प्रत्येक को औसतन ६६० रुपया पड़ा। इस संबंध में एक बात और कही गयी कि नैनीताल को फ्री ट्रिप हर मेम्बर को टेक्स पेयर के खर्चे पर मिलता है। मुझको इससे केवल आश्चर्य ही नहीं बल्कि दुःख भी हुआ।

श्री अध्यक्ष—क्या आप इस संबंध में प्रिविलेज या कंटेम्पट का सवाल उठाना चाहते हैं?

श्री नवल किशोर---श्रीमन्, यह जो खबर है वह कुछ मेंम्बरों के प्रति ही नहीं है वह सारे सदन के प्रति है। मैं समझता हूं कि इसमें सदन के प्रिविलेज का क्वेश्चन इन्वाल्व्ड है।

श्री अध्यक्ष---इसके लिये आपको नोटिस देना होगा।

श्री नवल किशोर---नोटिस तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यह मैं सूचना दिये देता हूं।

श्री अध्यक्ष---आपको इसके लिये समय व्यतीत हो जाने की म्याद की कोई बाधा न होगी। यह मैं बता देना चाहता हूं कि यदि आप इस प्रश्न को उठाना चाहें तो उसे नियमों के अनुसार उठायें। इसके तीन तरीके हो सकते हैं, एक तो कंटेम्प्ट का प्रश्न रख कर, दूसरा प्रिविलेज का सवाल उठाकर और तीसरा तरीका यह है कि आप इसकी शिकायत मेरे पास भेज दें और मैं इंतजामी तरीके से कार्यवाही करूं। जो भी तरीका आप अपनाना चाहें वह कायदे से अपनायें। सदन का ध्यान इस ओर आपने आकर्षित कर ही दिया है।

श्री नवल किशोर---मेरी मामले को बढ़ाने की इच्छा नहीं है, आपके आदेशानुसार आपको लिख कर भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष---आप जिस तरह से भी इसे मेरे सामने रखेंगे मैं उसी के अनुसार कार्यवाही करूंगा। इस समय इतना ही काफी है कि आपने सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया।

सिंचाई-कर में कमी होने का प्रभाव

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---श्रीमन्, आज यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां उपस्थित हैं। आज हमने समाचार-पत्रों में कैनाल रेट्स के कम होने की सूचना पढ़ी है। हमारी मांग पूरी तो होनी चाहिये थी लेकिन वह आधी ही रह गयी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सत्याग्रह के सिलसिले में जो पारसाल लोग पकड़े गये थे और नहर कर के विरोध में जेलखाने भेजे गये थे, उनके संबंध में सरकार ने क्या पालिसी बनायी है? माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमसे बार-बार कहा था कि जुरमाना जो हुआ है वह नहीं लिया जायगा। जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ था उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सरकार सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील भी हो गयी है। हमने कहा था कि कुछ समय में आखिरी फैसला ले लें। दूसरी बात यह कही थी कि जो बाकया है किसानों का·····

श्री अध्यक्ष---एक-एक प्रश्न अगर आप उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री राजनारायण---पहला प्रश्न यही है कि गतवर्ष जो आन्दोलन हुआ था उसमें करीब ३ हजार आदमी गिरफ्तार हुए थे और उन लोगों पर जो जुरमाना हुआ था, जो वसूल होना बाकी है या जो वसूल हो गया है, उस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा, मैंने उनसे कहा था कि यह एक कानूनी प्रश्न है। इसलिये इसका अंतिम फैसला कानूनी तरीके से होना चाहिये लेकिन चूंकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है इसलिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री राजनारायण---दूसरा प्रश्न यह है कि सिंचाई-कर का जो बकाया किसानों के पास रह गया है, उनसे वसूल नहीं हुआ है, क्या उनसे वह भी ५० प्रतिशत कम करके वसूल किया जायगा?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---यह जो ५० फीसदी कमी की गयी है, सन् ५३ में जो रकम बढ़ी उसमें तत्काल ५० फी सदी कमी हुई। जो रबी की वसूली होने वाली है उसमें कमी की जायगी। सन् ५४ की रबी में भी यह लागू हो जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं यह जानना चाहता हूं कि जो रेट्स में रिबेट हुआ है वह केवल सन् ५४ की रबी के लिये हुआ है या आगे के लिये भी होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह गल्ले की कीमत गिरने की वजह से कमी की गयी है और यह कमी जारी रहेगी।

श्री राजनारायण—क्या यह नलकूपों पर भी लागू होगा ? क्योंकि इसमें सिंचाई रेट लिखा है।

श्री अध्यक्ष—आप लिखित रूप में उनसे पूछ लें।

समय बढ़ाने के प्रस्ताव पर उठायी गयी वैधानिक आपत्ति के सम्बन्ध में दिये गये निर्णय के स्पष्टीकरण की मांग

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आप कल सदन में उपस्थित नहीं थे तो एक विशेष प्रश्न हमारे सामने आया। अब तक जब भी कोई कार्यवाही समय बढ़ाने के सिलसिले में हुआ करती थी तो आप ध्यान रखते थे कि समय के अन्दर ही उसका प्रस्ताव पेश हो जाय और कभी-कभी ऐसी परम्परा भी रही है कि हाउस दो चार मिनट देर तक भी बैठ जाता था, लेकिन आप हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि विधान सभा के किसी सदस्य को कोई आपत्ति तो नहीं है, या इम्पलाइड कंसेंट से ही कार्य होता था। आप इसका पूरा ध्यान रखते हैं लेकिन कल जब कंसालिडेशन आफ होल्डिंग पर विवाद हो रहा था तो माननीय उपमंत्री, श्री चतुर्भुज शर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा था उसके बारे में कुछ इधर-उधर की बातचीत करते करते और पूछते ५ बजकर कुछ मिनट हो गये। इस पर हमारी तरफ से आपत्ति उठायी गयी कि ५ बजे के अन्दर ही समय बढ़ाने का प्रस्ताव हो जाना चाहिये था और चूंकि ५ बजे गये हैं इसलिये इस पर आज बहस नहीं हो सकती। जाहिर है कि कोई इम्पलाइड कंसेंट भी नहीं था फिर मैं बहुत विनय के साथ निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष द्वारा उक्त प्रस्ताव ले लिया गया। यह नियम का अतिक्रमण है कि बिना हाउस की सलाह के समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—कल जो फैसला दे दिया गया या उसके मुताल्लिक आज यहां कोई सवाल तो उठ नहीं सकता। अगर कोई इस कुरसी से फैसला देता है तो वही अंतिम फैसला होता है। इस संबंध में आगे के लिये क्या करना चाहिये, क्या प्रथा हो, उसके बारे में आप लिखित सुझाव भेजें तो उस पर मैं फैसला दूंगा। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि सदन के जहां तक प्रोसीज्योर का संबंध इस बारे में है वह स्पष्ट है कि सदन एक बार जब बैठ जाता है और हाउस में कोरम न भी हो और अध्यक्ष भी सदन में मौजूद हों तो यह सदन ही समझा जाता है। जब तक कि संविधान में कोई उसे सदन समझने के बारे में स्पष्ट प्रतिबन्ध न हो और बैठक तब समाप्त होती है जब अध्यक्ष कोरम न होने से उसे समाप्त कर दे। लेकिन जब यह केवल प्रोसीज्योर का ही मामला है तो कभी कभी सदन अपने नियम का अतिक्रमण भी करने की क्षमता रखता है। अक्सर आपने देखा है कि जब हाउस समाप्त होता है तो मैं कह देता हूं कि अब हम उठते हैं, कल या फिर जब बैठना हों बैठेंगे लेकिन जब तक मैं नहीं कहता तब तक ही यही समझा जाता है कि सदन बैठा है। सदन की हैसियत सदन की ही रहेगी। इतना इस बारे में मैं समझता हूं स्पष्ट है। अब निश्चित समय व्यतीत होने पर क्या प्रथा होनी चाहिये ? मैं समझता हूं प्रथा यही ठीक है कि नियम का पालन होना चाहिये और सदन सदैव इसी बात को पसन्द करेगा और नियम के पालन कराने के लिये मैं समझता हूं आगे विशेष प्रयत्न होगा।

वैधानिक आपत्ति के समय पूर्व वक्ता द्वारा स्थान ग्रहण विषयक निर्णय

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस सदन में कोई माननीय सदस्य बोलता हो और उस पर कोई दूसरे सदस्य प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाते हों तो वह सदस्य जो बोलते से रुक कर बैठ जाता है, तो क्या प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाते समय यह हो सकता है कि . . .

श्री अध्यक्ष—वह निर्णय तो उस समय हो चुका, उस के बाद आप कोई बात उठाना चाहते हैं तो मेरे कमरे में आ कर उसे रिफर करें ।

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—वह विषय तो अब समाप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५ पुरः स्थापित करता हूं।

(हर्ष ध्वनि)

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ-३४३-३४५-पर)

कानपुर में अभिनवीकरण योजना के सम्बन्ध में वक्तव्य की पूर्व सूचना

श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं आइटम ३ के प्रस्ताव को पेश करूं मैं आप की आज्ञा से कहना चाहता हूं कि कानपुर टेक्सटाइल मिल्स के बारे में जो वक्तव्य देने का आदेश आपने मुझे दिया था वह मैं आज साढ़े ४ या पौने पांच बजे तक दे सकूंगा . . . . .

श्री अध्यक्ष—वह तो आपने मुझ से कहा ही था कि मैं आफटरनून में अपना वक्तव्य दूंगा और इसीलिये मैंने आप को उसके लिये अभी नहीं बुलाया। अब आप जब आज की कार्यवाही समाप्त होने का समय आये तो आखिर में वक्तव्य दीजिये।

*उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५४

†श्रम मंत्री (आचार्य जुगुल किशोर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सरविसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५४, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २८-३-५५ की कार्यवाही में छपा है।

[आचार्य जुगल किशोर]

मुझे इस संबंध में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है और जैसा कि इस विधेयक की धाराओं से मालूम होता है और जैसा कि इसके उद्देश्यों में बताया भी गया है कि इसको सन् ४१ में गवर्नर जनरल ने जारी किया था और उस वक्त की आवश्यकता के अनुसार युद्ध होने के नाते एसेंशियल सरविसेज मेंटिनेन्स आर्डिनेंस जारी हुआ था और अब चूंकि लड़ाई का जमाना नहीं है इसलिये उसकी आवश्यकता नहीं रही है और हमारे नये कांस्टीट्यूशन के आने के बाद इस तरह के कानून की कोई आवश्यकता भी नहीं रह गई है। इसलिये उस के निरसन का यह कानून सदन के सामने पेश किया जा रहा है। इसलिये इस पर विचार करने की अनुमति दी जाय।

श्री राजनारायण (जिल बनारस)---अध्यक्ष महोदय, कल जब से यह बिल हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है तब से हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौन-कौन सी एसेंशियल सरविसेज हैं जिनका निरसन किया जाना है। इस संबंध में आर्डिनेंस के लिये हम ने लाइब्रेरी में भी लिख कर भेजा लेकिन वहां से जवाब आ गया "नाट एवेलेबिल"। इसलिये पहले हमें यह जानकारी करायी जाय कि वह एसेंशियल सरविसेज कौन सी हैं, क्या उनकी आवश्यकता थी और अब क्यों उनकी आवश्यकता नहीं रही? यों तो कंट्रोल की प्रकार की कोई चीज पेश होती है तो उस पर विरोध की बात होती है लेकिन इस में तो सरकार ने जिनको एसेंशियल सरविसेज समझा था या घोषित किया था अब उन पर से वह कंट्रोल वापस ले रही है यानी अब वह सरविसेज सरकार की दृष्टि में एसेंशियल नहीं रह जायंगी। तो उन सरविसेज में लगे हुए मजदूरों को हड़ताल आदि करने की छुट्टी हो जायगी। यदि ऐसी बातें हैं उस विधेयक में तो मैं उसका स्वागत करूंगा और चाहूंगा कि जल्द से जल्द पास हो जाय और यदि उसके विपरीत है जिससे जो मेहनत-कश है, उनकी तरक्की में बाधा आती है तब मैं विरोधी हूं। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह बतायें कि कौन-कौन सी सरविसेज हैं जिनको वह एसेंशियल मानते हैं।

आचार्य जुगल किशोर---यह विधेयक जो इस वक्त मैंने आपके सामने विचारार्थ रखा है वह २० दिसम्बर, सन् १९४१ में पास हुआ था और उस वक्त की आवश्यकताओं के अनुसार गवर्नर जनरल ने कुछ ऐसी प्राविंशियल सरविसेज के ऊपर उसको लगाया था चाहे वह सरविसेज इंडस्ट्रीज की हों और चाहे सरकारी कर्मचारी हों उनके काम करने के सिलसिले में और उनके भाग जाने आदि के सिलसिले में, इस तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये थे। वह धारा इस तरह की है उसको पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने तो विरोध किया है हालांकि शर्तिया विरोध किया है। अगर आप बता दें कि किस तरह की परिस्थिति है और उसे आप साफ कर दें तो वह विधेयक को सपोर्ट करेंगे और नहीं तो सपोर्ट नहीं करते हैं।

आचार्य जुगल किशोर---तो मैं इसको पढ़कर सुना दूं। धारा इस प्रकार है:--

"6-(1) The Central Government or with the previous sanction of the Central Government, a Provincial Government may make rules regulating or empowering a specified authority to regulate the wages and other conditions of services of persons or of any class of persons engaged in any employment or class of employment under section 3 to be an employment or class of employment to which this ordinance applies.

(2) When any such rules have been made or when any directions regulating wages or conditions of service have been given by an authority empowered by such rules to give them, any person failing to comply therewith is guilty of an offence under this ordinance."

तो यह जो धारा आर्डिनेंस की थी जो उस समय इस तरह की पाबन्दियां या प्रतिबन्ध सरविसेज के ऊपर लगाया गया था जो आजकल के जमाने के लिये उपयुक्त नहीं है और हमारे

डेमोक्रेटिक सेट अप में मुनासिब भी नहीं है। तो जो मजदूरों और श्रमिकों की बात है उनके अधिकारों में इस निरसन के विधेयक के पास होने के बाद कोई आक्षेप नहीं आयेगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और अब मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार करने की अनुमति दी जायगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सरविसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५ पर जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--एसेंशियल सरविसेज (मेंटिनेंस) आर्डिनेंस, १९४१ का उतना भाग जिसका संबंध ऐसे विषयों से हो, जिनके विषय में उत्तर प्रदेश के लिये विधियों के निर्माण करने का अधिकार राज्य विधान मंडल को प्राप्त है और संसद को नहीं, निरस्त (Repeal) किया जायगा और एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन Repeal

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५

एसेंशियल सरविसेज (मेंटिनेंस) आर्डिनेंस, १९४१ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, निरस्त करने का,

विधेयक

एसेंशियल सर्विसेज (मेंटिनेंस) आर्डिनेंस, १९४१ को, जहां तक उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति का संबंध है, निरस्त करना आवश्यक है।

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त शीर्षक नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

१--(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक को इस विधेयक का अंग माना जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आचार्य जुगल किशोर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सरविसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री रामजनरायण--श्रीमन्, जैसा कि माननीय श्रम मंत्री जी ने बतलाया कि जो श्रमिकों पर पाबन्दी लगी थी अब उनको हटाने के लिये आज की यह जनतांत्रिक प्रणाली पर बनी हुई सरकार यह विधेयक प्रस्तुत कर रही है।

तो अब उस विधेयक में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा जो मजदूरों के विरोध में जाती हो। इसलिये जो विधेयक आज इस सदन में प्रस्तुत

[श्री राजनारायण]

है वह मजदूरों के हित के लिये, मजदूरों के ऊपर जो पाबन्दियां लगाई गई थी उनको हटाने के लिये हैं और इस विधेयक का स्वागत हर एक डेमोक्रेटिक को करना ही चाहिये और फिर उसको जो सोशलिस्ट हो। तो मैं इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो भावना व्यक्त की कि पुरानी पाबन्दियां, पुरानी दिक्कतें और पुरानी परेशानियां जो मजदूरों पर लगाई गई थीं उनको हटाने के लिये यह विधेयक लाया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आर्डिनेंस सन् ४१ में विदेशी शासन द्वारा लगाया गया था और जहां तक मैंने इसको सुना और समझा है यह आर्डिनेंस जो है केवल मेहतरों के लिये ही लागू होता था। जब कभी मेहतर इसके विरोध में कोई काम करता था या वह सर्विसेज नहीं करना चाहता था तो उसकी कहीं किसी कोर्ट में सुनवाई नहीं होती थी।

श्री अध्यक्ष—अब इसके तीसरे वाचन पर और बहस नहीं होगी। आपको या तो विरोध करना है या हां करना है।

श्री जोरावर वर्मा—इसलिये मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने उस विदेशी शासन द्वारा जो यहां से ६-७ वर्ष पहले ही लाद दिये गये, बनाये गये काले कानून को खत्म कर दिया। उन्होंने यह विधेयक बहुत देर में प्रस्तुत किया है लेकिन एक कहावत है "देर से आये पर दुरुस्त आये" इसलिये मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सबसे पहले यह बिल पेश किया और एक ऐसा बिल पेश किया जो उनको उनके श्रम मंत्री होने के लिये उन्हें क्रेडिट देता है और उम्मीद है कि आगे भी श्रमिक बिलों में जो इस तरह के नियम या उपनियम बने हैं उनको हटाने के लिये बिल लायेंगे। इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश एसेंशियल सर्विसेज मेंटिनेंस (निरसन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह एक १२ सेक्शनों का बहुत छोटा सा विधेयक है लेकिन जहां तक इसके असर का ताल्लुक है वह बहुत जरूरी और बहुत दूर तक पहुंच रखने वाला विधेयक है। यहां हमारी इकानामी का दारोमदार इस बात पर है कि हमारी फसलें कैसी होती हैं, पैदावार कैसी होती है। ज्यादातर मेम्बर यह जानते हैं कि बाज दफा ऐसी बीमारियां या कीड़े पैदा हो जाते हैं जो फसलों की पैदावार में फैल जाते हैं और हमारी फसलों को बड़ा नुक्सान पहुंचता है। इसकी कोशिश बदकिस्मती से कामयाब नहीं हुई कि लोग अपने आप एक दूसरे का ख्याल करते हुए इस काम में लगें और जैसी जरूरत हो उस किस्म का कार्य अमल में लाये होता यह है कि जिस किसान के खेत में कोई रोग पैदा हुआ पहले तो वह दो तीन पौधों में होता लेकिन वह उनको उखाड़ना नहीं चाहता और अगर वह तैयार भी हुआ तो आसपास के लोग उसको मदद नहीं करते जिसकी वजह से नतीजा यह होता है कि वह रोग उस खेत में फैल कर दूसरे के खेतों में चला जाता है। इसलिये इन बातों को ध्यान में रख कर यह जरूरी मालूम हुआ कि इस तरह का विधेयक लाया जाय और मुझे उम्मीद है कि यह सदन विधेयक को कबूल करेगा। इस वक्त मैं इतना ही कहना चाहता हूं और बाद में कोई बात होगी तो जवाब दूंगा।

---

*२३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया उसके उसूलों से सहमति प्रकट करते हुए भी मुझे अफसोस है कि इस विधेयक का सरकार की असावधानी के कारण विरोध करना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैं—

"प्रतिवर्ष रोग नाशक कीट तथा रोग कृषीय फसलों को अत्याधिक क्षति पहुंचाते हैं। इनका निराकरण करने के लिये कभी कभी तो किसी खेत की पूरी फसल को नष्ट कर देना पड़ता है। एक खेत से निकाले गये नाशक कीट अथवा रोग पास के खेत में न पनप सकें और वहां से फसल को रोगयुक्त और हीन न बना सके, इस प्रयोजन से पास-पड़ोस के खेतों के लिये सामूहिक आन्दोलन संगठित तथा कार्यान्वित करना पड़ता है। अनुभव से स्पष्ट है कि इसी दिशा में समझा बुझाकर काम लेने के तरीके से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अथवा नष्ट करने को सहमत नहीं होते हैं और न वे पास पड़ोस के खेतों से नाशक कीटों अथवा रोगों को भगाने के सामूहिक प्रयास में भाग लेते हैं। यह सब इस संबंध में उपयुक्त अधिनियम बनाने से ही हो सकता है।"

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इसके उसूलों से तो कोई इंकार नहीं कर सकता, लेकिन इस किस्म के विधेयक जब सदन में प्रस्तुत होते हैं और हम पुराने जमाने और अपने देश में अपनी सरकार की हुकूमत के दृष्टिकोण को जब एक सा पाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। आज ऐसा जमाना आ गया है कि हमारे प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के अलावा भी जनता की बहुत सी संस्थायें हैं और इन में पंचायत राज एक खास महत्व रखती है। इसमें अदालती पंचायत भी हैं और गांव पंचायत भी हैं और इसके अलावा माल विभाग के मातहत गांव समाज भी है। तो जब हम देखते हैं इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए कि सरकार उनका विश्वास नहीं प्राप्त करना चाहती और वह यह नहीं चाहती कि जो अधिकार है वह इस प्रकार दिये जायं कि उनका दुरुपयोग न हो सके, तो हमें बड़ा अफसोस होता है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाकर सरकार फसलों में हानिकर रोगों तथा नाशक कीटों के अविर्भाव फैलाव अथवा पुनरागमन का निरोध करना चाहती है। यदि सरकार को ऐसा मालूम होगा तो वह जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर प्रख्यापित कर सकती है कि फलां फलां क्षेत्र ऐसे हैं कि जिन में यह कानून लागू है और उस के बाद जिला मैजिस्ट्रेट को यह व्यापक अधिकार दिये जा रहे हैं कि वह जहां जैसी चाहे व्यवस्था कर ले और उसमें यह भी प्रतिबन्ध किया जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट को यदि विश्वास हो कि ऐसी परिस्थिति वहां है तो वह किसी व्यक्ति को जो उससे संबंधित है, या पूरे गांव के लोगों को बाध्य कर सकता है, आदेश दे सकता है कि तुम इस कार्य में कार्य करो और साथ ही अगर जिला मजिस्ट्रेट यह देखता है कि कोई सहयोग नहीं देता तो सरकार अपनी तरफ से जिला मैजिस्ट्रेट को अधिकार दे रही है कि वह जो मुनासिब समझे कार्यवाही करे और उस कार्यवाही के मातहत वह अपनी तरफ से खर्च करके ऐसा आन्दोलन या कार्यवाही कर सकता है। और जब यह पहले आज्ञा देगा जिसकी फसल है उसको या गांव वालों को और वह आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर उसको जुरमाना करने का अधिकार दिया गया है और खर्च नहीं करता अगर कोई तो फिर जिला मजिस्ट्रेट के पास ही, जो कि जिलाधीश की हैसियत से प्रमुख अधिकारी है और जो कि उस कार्यवाही को अमल में लाने के लिये जिम्मेदार है, उन्हीं के यहां अपील भी की जाती है। अगर उसने अपील नामंजूर कर दी तो वह किसी और अदालत में नहीं जा सकेगा। तो मेरी आपत्ति यह है कि पहले तो इसमें कोई भाग भी ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा जनता का विश्वास प्राप्त किया गया हो और गांव समाज और पंचायती अदालतों का सहयोग प्राप्त करके इस काम को कराया जाय दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि वही जिला मैजिस्ट्रेट को, जिसके बारे में अभी माननीय मुख्य मंत्री ने बताया और वह मान चुके हैं कि उनके पास इतना काम रहता है कि कौन-कौन से कानून में उनको अधिकार दिये गये हैं इसके लिये अगर उनसे पूछा जाय तो मेरा ख्याल है कि इस प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट इसमें अनुत्तीर्ण हो जायेंगे, ऐसे अधिकारी को, यह अधिकार दिया गया है यह सब काम वह अपने लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट्स पर ही करेगा और उन्हीं के जरिये से सारी स्कीम वर्क आउट भी होगी, योजना अमल में लाई जायगी और वह मनमाना खर्च करेंगे और उसको उन्हें बरदाश्त करना पड़ेगा।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

आज तक तो सरकार की यह नीति रही है कि जब कभी कोई इस किस्म की जैसे बाढ़ या सूखा हो, तो सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि और हमारी तरफ से मांग होती है कि वहां के लोगों को जिनको नुकसान पहुंचा है, कुछ लाभ पहुंचाया जाय। उसी सिलसिले में लगान में छूट होती है, तकावी दी जाती है। लेकिन इस सम्बन्ध में इस किस्म की कोई व्यवस्था नहीं होगी कि जिसकी फसल बरबाद हो, उसको कहा जाय तुम फसल बरबाद करो, और सरकार उसके आश्रितों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है। दूसरे उसी पर यह आदेश दिया जाय कि तुम अपनी फसल को नष्ट करो और खर्च भी दो और इस बिल की जो स्कीम है उसमें यह नहीं बताया गया कि ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से क्या रिलीफ मिलेगी जैसे बाढ़ या सूखा में मिलती है। दूसरी बात यह है कि जो गांव पंचायतें हैं उन से भी किसी किस्म का मुआवजा या कम्पेंसेशन देने की व्यवस्था नहीं करायी गयी। हमारी यह शिकायत रही है कि जब से यह सरकार आयी है, तब से टैक्सों की भरमार हो रही है और उसका सबूत यह है कि हमारा बजट ९१ करोड़ रुपये का हो गया। तो ऐसे किसान जो साधारण किसान देहातों में रहते हैं, आम तौर पर ऐसे हैं ७३ फी सदी जिनके पास ४, ५ बीघा से ज्यादा खेत नहीं है, तो उनके ऊपर जब कोई आपत्ति आजाती है, तो ऐसी दशा में वे तो गरीब हैं ही और अगर गरीबी के कारण अपनी तरफ से सरकार अपने खर्च पर योजना चला दें तो उसका स्वागत किया जा सकता है और सरकार को कहा जा सकता है कि किसी सूझ बूझ से काम किया। लेकिन वही पुराना तरीका कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हक दिया, कि वह जो चाहे करे। सरकार अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही इस पूरे कानून की योजना को लागू करने के लिए हो जाता है।

विकास के सम्बन्ध में और भी अधिकारी हैं, जिला डेवेलप्मेंट अधिकारी हैं, ऐसे लोगों का इसमें सहयोग नहीं प्राप्त किया गया। और जो भी विधेयक उपस्थित हुए हैं उन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने एक्जीक्युटिव आफिस से हाकिम परगना, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल ही से ऐसी व्यवस्था का प्रबन्ध करता है। तो ऐसी व्यवस्था होती कि जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिये से जो प्लानिंग आफिसर होता है वह इस किस्म की योजना करे तो उसमें कुछ सहानुभूति होगी। तो मेरा निश्चित मत यह है कि जो योजना इस बिल की है, उसमें सरकार का उद्देश्य भले ही अच्छा हो कि किसानों को लाभ पहुंचे, लेकिन हमारे माल विभाग के कर्मचारी बहुत ही इसका दुरुपयोग करेंगे। और अब तो कृषि विभाग और माल विभाग अलग अलग हैं। कृषि मन्त्री जी को अपने अधिकारियों को कुछ अधिकार देने चाहिए क्योंकि विकास से वह भी सम्बन्ध रखते हैं। उनके दिल में गरीब किसानों से ज्यादा सहानुभूति रहती है, और पुराने माल विभाग के कर्मचारी तो भ्रष्टाचार के आदर्श रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पंचायतों का सहयोग नहीं लिया। पंचायती अदालतों को दिया जा सकता था, दूर बैठी हुई अदालत कैसे जुर्माने का फैसला कर सकती है? तो इन सब बातों से मैं ऐसा समझ रहा हूं कि पुरानी परम्परा के अनुसार एक विधेयक उपस्थित कर दिया। नयी परिस्थितियों, नये प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के अनुसार सरकार सोच नहीं पा रही है और मैं समझता हूं कि इस विधेयक में काफी आपत्तियां हैं और इसमें कोई जल्दी नहीं। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी अभी वापस ले लें और सोच समझ कर दूसरा विधेयक उपस्थित करें, जिस से जनता को कान्फिडेंस में लिया जाय। पंचायती अदालतों को अधिकार दिया जाय। माल विभाग के कर्मचारियों के अलावा, कृषि विभाग, डेवेलप्मेंट विभाग के अधिकारियों को अधिकार दिया जाता तो ठीक था। तो मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विधेयक का जैसा है, इसका घोर विरोध करता हूं और मन्त्री जी से कहूंगा कि इसको जल्दी पेश करने की कोई जरूरत नहीं है और इसे वापस ले लें, और पुनः सुनियोजित विधेयक सदन में उपस्थित करें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल का जहां तक उद्देश्य है कि कृषि का नाश करने वाले कीटों का नाश किया जाय और कृषि की रक्षा की जाय, यह उद्देश्य बहुत ही उत्तम है। लेकिन उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो तरीका अपनाया गया है इस प्रकार है कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी को प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगा और राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्र घोषित करेगी, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने अधिकारी के द्वारा वहां

आदेश देगा कि जो जो इस तरह से फसलों में खराबियां हों, उनके औपचारिक उपाय किये जायं, और उनको नष्ट किया जाय। यहां तक तो बात ठीक ही रहती है, नष्ट होना चाहिए। अब उस आदेश के पालन में दो तरह के लोग आते हैं, जिन पर कि प्रतिबन्ध लगाया गया है। एक तो अध्यासी, जिसके खेत में वह फसल है, या जिसके मकान वगैरा में वह कीटाणु वाली चीजें रखी गयी हैं और दूसरे जो प्रभावित क्षेत्र है, उसमें उस एरिया के ५ मील के अन्दर का कोई व्यक्ति जो १८ वर्ष से ऊपर का है, अगर वह वृद्ध वगैरा नहीं है, तो अध्यासी व्यक्ति अगर उस आदेश का पालन नहीं करता है तो फिर सरकारी तरीके पर वह पूर्ति की जायगी। फसल को जलाना है या जो भी औपचारिक उपाय करने हैं, वह किये जायेंगे, सरकारी खर्चे पर और अध्यासी से वह खर्चा वसूल कर लिया जायगा। और अगर खर्चे की बाबत अध्यासी कोई अपील करना चाहे, तो ३० दिन के अन्दर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां अपील करे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला अन्तिम होगा और जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खर्चे का आदेश कर देगा, वह मालगुजारी की तरह से वसूल कर लिया जायगा। उसको फिर किसी विधिवत न्यायालय में जाने का हक नहीं रहता और जहां तक उस १८ वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का जो कि ५ मील के दायरे के अन्दर है, उसका सवाल है, वह अगर आदेश का पालन नहीं करता है, तो फिर उसके ऊपर जिलाधीश ५० रुपया तक फाइन कर सकता है और अध्यासी के ऊपर भी ५० रुपया तक जुर्माना कर सकता है। तो जहां तक पहली बात है कि अध्यासी अगर उस काम को पूरा नहीं कर सकता है तो जितना खर्चा है वह खर्चा उस से वसूल कर लिया जाय, यह तो अमल करने की बात ठीक है। अगर नहीं हो तो फिर कोई अमल ही नहीं करेगा। लेकिन जहां तक जुर्माने की बात है कि नहीं पूरा हुआ, तो उस पर चाहे अध्यासी हो या कोई व्यक्ति हो उसके ऊपर पीनल क्लाज रखा गया है और जुर्माना किया गया है। यह गौर करने की बात है कि कहां तक मुनासिब है और कहां तक नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शासन की सुव्यवस्था और भ्रष्टाचार इत्यादि बातों के लिए पीनल क्लाजेज होते हैं, जैसे इन्डियन पीनल कोड है, तरह तरह के उसमें जो कुछ काम हैं, उनकी बाबत ही सजा और जुर्माना है। लेकिन जनहित के जो काम हों, ऐसे कामों में पीनल क्लाजेज हमेशा रुकावट पैदा कर देते हैं। जनता के लाभ के लिए तो उनके अन्दर प्रेरणा की जाय, लेकिन पीनल क्लाज बनाना, उसमें अधिकारियों को यह अधिकार दे देना कि अगर वह आदेश का पालन न करें तो पीनल क्लाज हों, इसका जो दुरुपयोग होता है उसको मैं समझता हूं कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य जानता है। हां, अगर कोई चोरी करता है, डाका डालता है, तो जरूर सजा होनी चाहिए, रिश्वत की सजा होनी चाहिए। तो मैं तो अवश्य इस राय का हूं कि जो आजकल जेलों में सजा दी जाती है, जेल के अन्दर जो जाते हैं, उनके सुधार की बातें की जाती हैं, वह किस कैटेगरी का सुधार होना चाहिए और किस कैटेगरी का सुधार नहीं हो सकता--उन्हें कठिन से कठिन दण्ड मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं समझता हूं कि एक निश्चित सीमा तय कर देनी चाहिए।

रिश्वत लेने वाले जो हैं उनके लिए तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि . . .

श्री अध्यक्ष--आप अपनी राय इस पर न दीजिये, क्योंकि वह बात विषयांतर होगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--इस सम्बन्ध में क्योंकि बात थी, इस लिए मैंने निवेदन किया था। जहां तक ऐसे जरायम हैं, उनके लिए तो सख्त से सख्त होनी चाहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो जुर्म नहीं है यानी अध्यासी ने काम नहीं किया आपने किया और उससे खर्चा वसूल कर लिया। अगर वह नहीं कर पाया तो इसको जुर्म मानकर उसे सजा दी जाय और जुर्माना किया जाना कोई मुनासिब बात नहीं है और फिर इसमें यह भी है कि इसके लिए जुर्माना होने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक्जीक्युटिव तरीके पर फाइन कर देगा। इस तरह से किसी न्यायालय में जाने के लिए रास्ता बन्द कर दिया गया है। हर व्यक्ति को न्यायालय में जाने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, जस्टिस सीक करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फाइन कर देता है, और वह न्यायालय में नहीं जा सकता है यह इस विधेयक में लिखा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह तो किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं है। इससे तो पर्सनल राइट्स पर आघात होता है।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

अध्यक्ष महोदय, इस लिए मैं चाहता हूं कि जुर्माने वाली बात को निकाल दिया जाय तो उस से इस विधेयक को कोई क्षति नहीं होती है। अगर कोई अभ्यासी नहीं करेगा तो आप कर दें और खर्चा उस से वसूल कर लें, इतना ही रहना चाहिए। मैंने देखा कि इस तरह की पीनल चीज रखने से ठीक नहीं रहता है और जनता में रिऐक्शन एक तरह का पैदा होता है और इस सम्बन्ध में हम लोगों का बड़ा कटु अनुभव है। ऐडल्ट्रेशन के बारे में जनता नहीं चाहती है कि एडल्ट्रेशन हो। उसमें म्युनिसिपैलिटी के इन्स्पेक्टर्स को अधिकार दे दिया जाता है। मैंने अपने यहां देखा कि जौनपुर में एक इमरतियों की प्रसिद्ध दूकान है, उस से लोग नाराज हो गये और उसकी सारी मिठाई बाहर फेंक दी। जब छोटे छोटे कर्मचारियों को ऐसे अधिकार मिल जाते हैं तो वह ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि जिससे हमें अन-पापुलर हो जाना पड़ता है और जनता के सामने हम कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं। इस लिए जहां तक इसका उद्देश्य है कीड़े जरूर नष्ट होने चाहिए और फसल की रक्षा होनी चाहिए। अगर आदेश का पालन नहीं होता तो उसको पूरा करके खर्चा वसूल कर लिया जाय। लेकिन जुर्माने की बात हमेशा खटकने वाली होती है और जनता उसको रिऐक्शन की दृष्टि से देखती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जुर्माने वाली बात को निकाल कर यह विधेयक स्वीकृत होना चाहिए।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस छोटे से विधेयक का हृदय से स्वागत करता हुआ माननीय मन्त्री जी को इतना संकेत करना चाहता हूं कि इसमें अमृत और विष दोनों भरे हुए हैं। अगर इसके नियम अच्छे बनें, तो इसका सदुपयोग होगा नहीं तो कृषि विभाग का एक पुलिसकरण हो जायगा। इस में प्वाइजन भरा हुआ है। मेरा सुझाव यह है कि इसके नियम बनाये जायं, और उनको विधान भवन की मेज पर रखा जाना चाहिए, ऐसा मैं जरूर चाहूंगा।

इसके अन्तर्गत धारा ४ में कम्पलसरी लेबर की ओर संकेत करते हुए अवस्था १८ साल की रखी है, वह २१ वर्ष की होनी चाहिए। जहां तक शास्ति का सम्बन्ध है, तो शास्ति अदा करने वाले व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए कि वह अपने पक्ष की सफाई कर सके और ऐसी इसमें कई छोटी मोटी त्रुटियां हैं जो नियमों द्वारा ठीक की जा सकती हैं। नियम शुद्धतापूर्वक बनाये जायं। यह तीन पृष्ठ का विधेयक सुन्दर है, लेकिन इस से किसानों पर चोट पहुंच सकती है। जैसा कि समाज की व्यवस्था है और जैसे कार्यरूप में संचालित होता है, वह अवश्य कष्ट पहुंचायेगा। इसके अतिरिक्त जो घर में घुसकर आपत्तिजनक वस्तुओं को निकालने की बात है, उसके सम्बन्ध में सुव्यवस्थित नियम बनने चाहिए। ऐसी कई बातें हैं जो नियमों में सुन्दर तरीके से लायी जा सकती हैं। तो मेरा माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध है कि इसके नियम सुचारु रूप से बना कर असेम्बली में जरूर लायें, जिससे सब लोग इसका अवलोकन कर सकें और यह कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सकें।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—श्रीमन्, अगर आप मुझे आज्ञा दें, तो मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय और इसको सेलेक्ट कमेटी में सिपुर्द करने के क्या कारण हैं मैं इस पर प्रकाश डालूंगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय और जो लोग सेलेक्ट कमेटी में होंगे, उनके नाम मैं बाद में पेश करूंगा। अभी माननीय त्रिपाठी जी, मौर्य जी, और रामलखन मिश्र जी ने जो भावनायें प्रकट की हैं, मेरी भावना भी सचमुच में वही है। मैंने जब इस बिल को पढ़ा, तो यही मुझे भी मालूम हुआ कि यह बिल कृषकों के हित में होते हुए भी इस में अमृत और विष दोनों मिले हुए हैं। इसका पुलिस करण ही नहीं होगा बल्कि बड़ा भारी अन्याय लोगों के साथ होगा। एक तो मुझे इसके हेडिंग से ही विरोध है क्योंकि "उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक" है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं आप भी बुन्देलखण्ड के रहने वाले हैं, कि कृषि रोगों से और कीटों से कृषि को उतना नुकसान नहीं होता है जितना कि पक्षी, बन्दर, सुअर, वगैरा पशु उसको नुकसान पहुंचाते हैं जो कीटों से भी अधिक नुकसान

करते हैं। मूस जिस खेत में लग जाता है, तो वह खेत कभी कभी चौपट हो जाता है। मैं यह चाहता हूं कि इसकी जो परिभाषा है, उसमें जो यह ३, ४ बातें रखी गयी हैं, आपने ही इनको इसमें रखा है, इन से कृषि का नुकसान होता है। हानिप्रद तृण, नाशक कीट, परजीवी और पौधे, इनसे हानि है, वही इस में रखी गयी हैं। मैं चाहता हूं कि इस में और बातें छूट गयी हैं। मूसा (चूहा) जो बहुत खेती का नुकसान किया करता है इसके अलावा और भी कुछ जंगली जानवर हैं जो बहुत अधिक खेती का नुकसान किया करते हैं। अगर आपको अनुभव हो तो आप भी जानते होंगे कि दूसरे जंगली जानवर भी नुकसान किया करते हैं। किसानों को अपने खेतों पर अक्सर जगह पर बैठ जाना पड़ता है क्योंकि अगर वह वहां पर बैठकर रखवाली न करें, तो जंगली सुअर खेतों को बिलकुल चौपट कर देते हैं। एक दिन की भी अगर वह गैरहाजिरी अपने खेतों पर जाने की कर दें, तो उसको सुअर खा जाते हैं। इसलिए उनको वहां पर रखवाली के लिए बैठना पड़ता है और तब जाकर उनको ५० फी सदी फसल का माल मिलता है। और बाकी वह खा जाते हैं। जो छोटे-छोटे खेत वाले हैं, उनको तो नुकसान होता ही है, परन्तु बड़े काश्तकार को अधिक नुकसान होता है, क्योंकि वे रखवाली नहीं कर पाते। जंगल के और भी जीव जन्तु हैं जो खेती को नष्ट करते हैं। लेकिन इस बिल के अन्दर उनका कहीं पर जिक्र नहीं है। बन्दर ऐसे होते हैं जो फसल को बिलकुल खा जाते हैं और नष्ट कर देते हैं। यद्यपि बन्दरों के प्रति हमारे समाज में कुछ इस प्रकार की भावना फैली हुई है कि उनको मारा न जाय लेकिन सरकार को इस तरफ भी ख्याल करने की जरूरत है, क्योंकि यह भी बड़े भारी खेती के दुश्मन हैं। नीलगाय, बन्दर, जंगली सुअर और दूसरे जंगली जानवर तमाम खेतों को चौपट किया करते हैं। किसानों को आधा माल भी अपने खेत से नहीं प्राप्त होता है। तो ऐसी दशा में इनके लिए भी प्रबन्ध होना लाजिमी है। जब से प्रकृति बनी है तब से यह खेतों का नुकसान करते आ रहे हैं। इस लिए यह जो कीटाणु हैं, वह उतना नुकसान नहीं करते हैं वह तो कहीं कहीं २, ४ खेतों में हो गये, लेकिन यह जानवर ऐसे हैं जो जंगल में रहते हैं और उसके पास जो खेत पड़ते हैं, उनका नुकसान किया करते हैं। इसी कारण से जो इसमें हेडिंग है उसमें बहुत बड़ी कमी है। उसके लिए यह सब बातें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। इसी वजह से मैंने यह संशोधन पेश किया है। दूसरी बात यह है कि इसका जो ऐलान होगा, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा होगा। वह ऐलान कर देगा कि कौन-कौन एरिया है जो इन रोगों से ग्रसित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के सदस्यों द्वारा यह कई बार कहा जा चुका है कि जब कभी प्राकृतिक कोप होते हैं, ओला या पाला पड़ जाता है, तो लाख कोशिश करने पर भी वही होता है जो लेखपाल चाहता है, वही सत्य समझा जाता है। वह ऐसा रिकार्ड होता है कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एस० डी० ओ०, डि० मजि०, और कमिश्नर तक उस पर हस्ताक्षर करते चले जाते हैं और यह कोई नहीं देखता कि उसमें जो सूचना है वह ठीक है या नहीं। अधिकारी वर्ग की यह भावना है कि वह सरकारी पक्ष का ज्यादा ध्यान रखता है, अब अधिकारीवर्ग कहने सुनने को तो जनता का भी हो गया है, लेकिन उसकी भावना अब भी वही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। जब सरकारी रेवेन्यू में नुकसान होता है, तो वास्तविक चीजें जो होती हैं, उनको वह दर्ज नहीं करता है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्रीगण को भी इतना अवकाश नहीं मिलता है, जो उन चीजों को देख सकें। कलेक्टर को ही सब अधिकार दे दिये गये हैं। मेरा खयाल है कि गांव सभाओं का भी इसमें हाथ, सहयोग होना चाहिए, कि किस हिस्से में या किस हार में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वह भी एक रिप्रेजेन्टेटिव बाडी है। लेखपालों के बारे में मेरा स्वयं का तजुर्बा है। हमीरपुर में पाला और ओला दोनों पड़े और वहां पर एक रुपया और १२ आने तक की क्षति हुई। लेखपालों ने उसको लिखा लेकिन, तहसीलदार ने उसको कटवा दिया। जब मैंने उन से बात की तो उन्होंने बताया कि अधिकारीवर्ग ही जब ऐसा चाहते हैं, तो अगर हम वैसा न करें, तो हमारा जीवन और रोटी का खतरा हो सकता है। इसलिए मजबूरी है। अतः मैं चाहता हूं कि गांव सभा जो कि पब्लिक की प्रतिनिधि संस्था है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या असेम्बली के जो जनता के प्रतिनिधि हैं उनका भी इस बारे में सहयोग होना चाहिए, तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐलान करें कि कहां कितना नुकसान या रोग हुआ है।

[श्री जोरावर वर्मा]

तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के जो अधिकार हैं वही अन्तिम हैं। उसे यह निर्णय देने का अधिकार है कि कौन सा क्षेत्र कृषि रोगों से ग्रसित हुआ है। इसके अतिरिक्त अपील भी उसी के यहां होती है। इस लिए जो आदमी फैसला देगा, अगर उसी के यहां अपील भी होगी तो वह न्याय कर सकेगा या नहीं, इसमें कुछ सन्देह रह जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जोरावर वर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही यह ऐलान करने का अधिकार है कि वह यह ऐलान करे कि कौन सा एरिया रोगों से ग्रसित हुआ है। अगर इसके विरुद्ध कोई अपील करे, तो वह भी उसी के यहां होगी, तो मैंने यह अनुभव किया है तथा माननीय सदन के सदस्यों का भी यह खयाल होगा कि जो आदमी एक बार निर्णय दे देता है, अगर उसी के यहां अपील हो तो वह अपने पहले फैसले के खिलाफ निर्णय देने में यह समझेगा कि अगर मैं उसके विरुद्ध कोई निर्णय देता हूं तो यह समझा जायगा कि पहला निर्णय क्यों गलत दिया था। इसलिए यह चीज गलत मालूम पड़ती है। इस लिए अपील की व्यवस्था के लिए न्यायालय की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए।

माननीय मौर्य जी ने कर्मचारियों की वृत्ति के बारे में कहा कि कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पब्लिक जन-हित भावना के काम नहीं करते और कुछ पैसा लेने की भावना से भी पब्लिक को परेशान करते हैं। तो मैं यह कह रहा हूं कि अगर यह इसी तरह से पास हो जाता है तो उससे जनता का अधिक कल्याण नहीं होगा और उस से उन लोगों को बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं यह चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो अधिकार दिया गया है....

श्री अध्यक्ष---आप का संशोधन यह है कि यह सेलेक्ट कमेटी में जाय। उसके लिये डिटेल में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप संक्षेप में ही कह सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा---जो आज्ञा, अध्यक्ष महोदय, दो तीन बातों के ऊपर मैंने प्रकाश डाला है, एक तो यह कि इसकी हेडिंग पूर्ण नहीं है, क्योंकि कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के अलावा कुछ पशु-पक्षी भी ऐसे हैं जो कृषि का नुक्सान करते हैं इसलिये, माननीय मंत्री जी को इस शीर्षक को ठीक करना चाहिये। दूसरी चीज जो एरिया डिक्लेयर करने की बात है कि कौन एरिया रोगग्रस्त है, तो उस में केवल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही अधिकार न हो, बल्कि वहां के ग्राम पंचायतों और जनता के प्रतिनिधियों का भी सहयोग उस में लेना चाहिये और जो एग्रीकल्चर अफसर हैं या पंचायत अफसर हैं उनका भी सहयोग उसमें होना चाहिये। तीसरी बात यह कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही अन्तिम निर्णय देगा और उसके अपील करने की कोई व्यवस्था जो न्यायालयों में होनी चाहिये वह नहीं की गयी है। तो उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिये।

सबसे आबजेक्शनेबिल बात यह है कि जो एरिया या जिसका खेत रोगग्रस्त डिक्लेयर किया जायगा, उसको कायदे से कोई नोटिस नहीं दी जायगी केवल एक डुग्गी पिटवा दी जायगी और उसी से लोगों को प्रतीत हो जायगा कि किस गांव के किस एरिया का खेत रोगग्रस्त है और इस तरह से तमाम व्यक्तियों को इसकी सूचना हो जायगी कि हमको यह कार्य करना है। मैं समझता हूं कि जनता को समय पर नोटिस मिलने की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह चाहूंगा कि जो नियम बनें तो वे भी सदन के सामने लाये जायं, तब नियम बनें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर कोई ऐक्ट जितनी जल्दी पास हो जाय उतना ही अच्छा है लेकिन जो ऐक्ट पास हो वह अच्छा हो ताकि जिस उद्देश्य के लिये वह बन रहा है उसे पूरा करे। इसलिये मैं उनसे अपील

करूंगा कि यह बिल इस सदन की एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ताकि उन बातों पर जिनके बारे में मैंने प्रकाश डाला है, पूर्ण विचार हो सके और उससे सम्बन्धित दूसरी बातों पर भी विचार हो सके।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसका जो स्कोप है, वह सीमित है। गांवों के अन्दर जो खेतों में रोग लग जाते हैं उस से इसका सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध उन जानवरों या उन बड़े-बड़े पक्षियों से नहीं है जिनसे खेती को नुक्सान पहुंचता है। जो अभी यह प्रस्ताव रखा गया है कि यह सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, उसका मुख्य कारण यही बतलाया गया है कि तमाम ऐसे जानवर जैसे बन्दर या हरिण आदि जिनसे खेती को नुकसान पहुंचता है इनमें नहीं आते हैं। इसका जो क्षेत्र है वह छोटा है और उस छोटे क्षेत्र में जो बीमारियां हैं जिनसे खेती ख़राब होती है उसका जिक्र है। इसलिये यह आवश्यक नहीं प्रतीत होता कि तमाम उन बड़े-बड़े जानवरों और उन पक्षियों को भी सम्मिलित किया जाय। इसलिये इसको सेलेक्ट कमेटी में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह भी रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश की परवाह नहीं करता है तो उस पर ५० रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है और उस की कोई अपील भी नहीं रखी गयी है। बहुत मर्तबा सरकार की ओर से भी बड़ी ज्यादती होती है। सारा काम जिलाधीश तो करता नहीं, सरकार के कर्मचारी करते हैं और वे कर्मचारी बहुत जगह ज़्यादती भी करते हैं। अगर उनकी अपील का कोई मौका नहीं रखा गया तो यह हो सकता है कि बड़ी भारी हानि पहुंचे। जैसे किसी कर्मचारी की किसी किसान से नाखुशी हुई और उसने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी, जिला मैजिस्ट्रेट के यहां से हुक्म जारी हो गया उसके सम्बन्ध में और किसान को ख़बर भी नहीं। वाक्या भी ग़लत हुआ और फिर अपील भी नहीं रखी गयी तो इससे तो बड़ी भारी हानि हो सकती है। अगर जिला मैजिस्ट्रेट या जिसको उसने अपना पावर डेलीगेट किया है उसकी तरफ से अगर कोई समझता है कि उसके ऊपर अत्याचार हुआ है, या उसके साथ ज्यादती हुई है तो उसको अपील करने का अधिकार होना चाहिये। इस बिल में इस बात की कमी दिखाई देती है। इसलिये माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि जुर्माने के मामले को अन्तिम न रखें बल्कि उसकी अपील भी रखें। इस सुझाव (suggestion) के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि माननीय मंत्री जी इस बिल को वापस ले लें और सेलेक्ट कमेटी में इस पर विचार विनिमय करने के बाद सदन में रखें, इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसके कारणों को जानने के बाद अवश्य इस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी के विचार और उनके विभाग के कर्मचारियों के विचार कई जगहों पर बहुत भिन्न हैं। मैं आप का ध्यान इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसकी छठी लाइन में लिखा है—"अनुभव से स्पष्ट है कि इस दिशा में समझा बुझा कर काम लेने के तरीकों से कोई सुधार नहीं हो सका है, उत्पादक प्रभावित फसल को जलाने अथवा नष्ट करने को सहमत नहीं होते हैं और न वे पास पड़ोस के खेतों से नाशक कीटों अथवा रोगों को भगाने के सामूहिक प्रयास में भाग लेते हैं। यह सब इस सम्बन्ध में उपयुक्त अधिनियम बनाने से ही हो सकता है।" मैं आप का ध्यान जो उद्देश्य और कारण सरकार की तरफ से प्रकाशित हुये हैं उसी की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक पुस्तिका है "कृषि विकास उत्तर प्रदेश" जो सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित हुई है। उस के १४वें पेज पर लिखा हुआ है कि किसानों ने अपने-अपने और पड़ोसियों के खेतों में टिड्डी के अंडों बच्चों को नष्ट करने में बड़ी सहायता की।" और फिर उसी के चौथे पैराग्राफ में आगे लिखा है कि "कृषि रक्षा सेवा में जनता के सहयोग से बहुत सी प्रौढ़ टिड्डियों और अंडों में से निकले हुये सारे बच्चों को नष्ट कर दिया। इस तरह से इन

[श्री रामेश्वर लाल]

पुस्तिकाओं से मालूम होता है कि जनता ने कीटों को नाश करने में सरकारी कर्मचारियों का बड़ा सहयोग दिया और मंत्री जी अपने भाषण में और विधेयक के उद्देश्य और कारणों में कहते हैं कि अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि जनता समझाने बुझाने से सहयोग नहीं देती। और भी बहुत सी किताबों से जो प्रकाशित हुई हैं जैसे "कृषि विकास उत्तर प्रदेश" "उत्तर प्रदेश में खाद्यउत्पादन" आदि। इस किताब के भी सातवें पेज पर आप देखें कि लिखा हुआ है कि "यह हर्ष का विषय है कि जनता ने सरकार की खाद्योत्पादन बढ़ाने की योजनाओं को पूरा करने के लिये भरपूर प्रयत्न किया है।" और भी किताबें हैं जिनमें लिखा हुआ है कि जनता ने सहयोग दिया है। इसलिये मैं समझता हूं कि जब उनके विभाग को जनता के सहयोग में विश्वास है तो अच्छा होगा कि त्रिपाठी जी के विचारों के अनुसार मंत्री जी इसको पुनः विचार के लिये समिति के सुपुर्द करें और मैं आशा करता हूं कि उस के बाद मंत्री जी की राय में और उनके विभाग की राय में कोई अन्तर न होगा। श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी और उनके सम्पर्क में बैठने वाले लोगों के कहने के तात्पर्य में बड़ा भेद मालूम होता है। बिल को देखने से पता चलता है कि समझाने बुझाने की नीति से सरकार को कोई सफलता नहीं मिली है। हम समझते हैं कि देश में खूनी क्रांति को रोकने के लिये जनता को समझा बुझा कर ही एक समाजवादी व्यवस्था लाई जा सकती है यह समय की मांग है समझाने बुझाने से ही मद्यनिषेध और अस्पृश्यता निवारण आदि की नीति सरकार चला रही है और इस तरह से सरकार समझाने बुझाने के कार्य को सरकारी खर्चे पर लागू किये हुए है लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि समझाने बुझाने में से कुछ नहीं होता है। इसलिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें और फिर प्रवरसमिति को विचार के लिये भेज दें।

हमें यह भी देखना है कि मंत्री जी कहते हैं कि समझाने बुझाने का प्रयत्न निष्फल रहा लेकिन जो सूचना विभाग से यह पत्रिकायें या सूचना हमें मिली है उस के आधार पर हम कह सकते हैं कि समझाने बुझाने का कोई भी प्रयत्न सूचना ब्यूरो और मंत्री जी के विभाग ने नहीं किया है और जो कुछ हुआ भी है वह ऊंट के मुख में जीरे के समान है। सूचना देने और समझाने बुझाने के केवल इतने ही प्रयत्न हुए मालूम होते हैं। एक तो यह कि यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है। मैं आज्ञा हो तो पढ़ कर सुना दूं कि कृक्षि रक्षा सेवा में आगे १४ पेज पर लिखा है कि "जनता की सहायता के लिये कीड़े मकोड़े और बीमारियों से बचने के लिये हिन्दी अंग्रेजी में "कृषि और पशुपालन के दो विशेषांक निकाले जा चुके हैं जिन को पढ़ कर लोग खुद भी कीड़े मकोड़े और बीमारियों से बचने के उपाय कर सकते हैं।" एक तो उपाय यह किया गया है और दूसरा उपाय यह है कि विभागों ने कुछ जिलों में प्रदर्शनियां की हैं और लोगों को बताया है कि कृमि नाश कैसे हो सकता है और कैसे उपचार हो सकता है। प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में मैं चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि पहले से प्रदर्शनियां दस गुना और १२ गुना बढ़ा कर की गई हैं। अलमोड़े में ५००० और फैजाबाद में १ हजार की गई हैं, उस क्षेत्र में जो ब्लाक का क्षेत्र है। मैं आप से श्रीमन्, निवेदन करना चाहूंगा कि यह प्रदर्शनी करने वाले जो लोग हैं वे अपनी नौकरियों की हिफाजत के लिये झूठी रिपोर्टें दिया करते हैं उनकी रिपोर्ट की किसी को जानकारी तो है नहीं और यदि है तो वह नगण्य हैं। अगर काम को देखा जाय तो विभाग ने दूसरे बहुत काम किये हैं। पहला काम तो यह है कि १० हजार मन गल्ले पर दवाओं का छिड़काव हुआ है जब कि अपने प्रान्त में एक करोड़ टन गल्ला पैदा हो जाता है। एक लाख एकड़ जमीन पर ही छिड़काव हुआ है जब कि इस प्रान्त में सवा चार करोड़ एकड़ जमीन अन्न पैदा करती है तो इससे यही पता चलता है कि इस विभाग ने बहुत काम नहीं किया है और इसका कारण स्पष्ट है कि कृषि विभाग की तरफ सरकार का ध्यान उतना नहीं है जितना और विभागों की ओर है। इसमें कम सुविधायें हैं। इसलिये मन्त्री जी को चाहिये कि विभाग की ओर अधिक ध्यान दें। वहां के लोगों को प्रोत्साहन दें। यह न कर के यहां पर विधेयक ला देना

उचित नहीं है कि जनता सहयोग नहीं देती, समझा बुझा कर काम नहीं होता, इसलिये डंडे की जरूरत है। श्रीमन्, मैं इसको बाद में साबित करूंगा कि कितना बड़ा डंडा इस विधेयक में है। श्रीमन्, इस सरकार ने कुछ और काम किये हैं। जिनमें ५० टिड्डी दलों का सफाया किया गया है। पुस्तिका जो वितरित की गयी है, उस में है कि जनसहयोग से साफ किया गया है। तो एक तरफ आप कहते हैं जनता सहयोग नहीं देती, दूसरी तरफ आप कहते हैं जनसहयोग से ऐसा हुआ। तो यह दोनों बातें कैसे संगत है। उस के साथ साथ आप ने मूसों का भी नाश किया है। जोरावर वर्मा जी ने अभी बताया कि चूहा खेती बारी का दुश्मन है। यह इतना बड़ा दुश्मन है कि जितना बड़ा और कोई नहीं। जितना नुक्सान अपने देश का ब्लैक-मार्केटियर नहीं पहुंचा पाता उतना ये चूहे पहुंचाते हैं। ये हमारे प्रान्त के किसानों के दुश्मन हैं। जो आंकड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी सज्जन द्वारा प्रकाशित हुये हैं उस में ८० करोड़ चूहे वे इस देश में मानते हैं और उनके हिसाब से ही इस देश के ७८ लाख टन अनाज को वे खा जाते हैं। हमारी सरकार ने भी इस दिशा में काम किया है। मन्त्री जी ने और इस सरकार ने एक कमीशन बुलाया था कि चूहों का नाश करना चाहिये और उनका नाश करने के लिये एक आन्दोलन इस प्रान्त में चला और सिर्फ दो जिलों में चलाया गया और दवाओं के अधिक न प्राप्त होने के कारण यह मूसमार आन्दोलन अधिक न फैलाया जा सका। तो मैं श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। कि वे इन मूसों के मारने का काफी प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि वनमहोत्सव जितना अपने प्रान्त के लिये उपयोगी है उससे कहीं अधिक मूसमार महोत्सव अपने प्रान्त के लिये उपयोगी है। मेरा ख्याल है कि अगर माननीय मंत्री जी उस के लिये कान्फ्रेन्स कर के देखें तो जनता उस में काफी सहयोग देने के लिये तैयार है, हम सब लोग खुले आम उनको सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

श्रीमन्, मैं एक और विशेष बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इसलिये कि मैं यह तर्क उपस्थित कर सकूं कि उस विधेयक की अभी आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रान्त में हैजा, चेचक, कालरा और प्लेग की बहुत सी बीमारियां समय-समय पर डेरा डाले पड़ी रहती हैं। हमारे रूरल एरिया की ग्रामीण जनता इन बीमारियों को दैवी प्रकोप समझती है और टीका वगैरह न लगवा कर भूत, प्रेत, देवी देवता की पूजा करती हैं और भभूत और राख लगाती है।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—श्रीमन्, प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। यह कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक है, कालरा, हैजा और चेचक से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष—अभी उनके भाषण में नतीजा निकला नहीं। नतीजा निकल आये तब समझ में बात आ सकती है।

श्री रामेश्वरलाल—व्रजभूषण मिश्र जी अक्सर घबड़ा जाया करते हैं।

श्री अध्यक्ष—आप ने कहा था कि समय अधिक लेना नहीं चाहता और आप आगे चल दिये। इसलिये शायद उन्होंने आक्षेप उठाया।

श्री रामेश्वरलाल—मैं यह कह रहा था कि हैजा, प्लेग और चेचक की बीमारियों से काफी लोग हमारे प्रान्त में पीड़ित रहते हैं और वे दवा न करा कर भूत, प्रेत, सन्यासियों और देवताओं की कृपा पर रहते हैं और आप वहीं पर कृषि रोगों और नाश कीटों से फसल को बचाने के लिये उपचार कर रहे हैं। एक आदमी की जिन्दगी से एक फसल का महत्व ज्यादा नहीं हो सकता और न कोई किसान अपनी जिन्दगी से अपनी फसल का महत्व ज्यादा समझता ही है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस अवसर पर यह उचित नहीं है कि यह कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय, उन्हें समझाने बुझाने के पहले।

[श्री रामेश्वर लाल]

मैं श्रीमन्, समय अधिक नहीं लेना चाहता लेकिन इस विधेयक को क्यों वापस ले लिया जाय इस के लिये दो चार बातों की ओर आप के द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें खंड ४ जो है उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डुग्गी पिटवा कर, नोटिस दे कर या गजट में हुक्म निकाल कर किसी भी व्यक्ति को आर्डर दे सकता है अगर वह १८ वर्ष का है कि वह जा कर कृषि नाशक कार्य में सहयोग दे। श्रीमन्, कैसा सहयोग दे। शारीरिक या आर्थिक---यह इसमें साफ नहीं है। दूसरी चीज यह कि सहयोग देने के लिये नोटिस इश्यू होगा, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जैसे चाहेगा, नोटिस देगा। डुग्गी पिटवा कर, नोटिस इश्यू कर के या गजट में निकलवा कर और उस आदमी के लिये जिसको सहयोग के लिये नोटिस देगा, खंड ९ में यह विधान बना दिया गया है। किसी ने धारा ४ के अधीन सहायता नहीं दी है, तो वह अध्यासी अथवा ऐसे व्यक्ति को ५० रुपये तक की शास्ति अदा करने की आज्ञा दे सकता है।

तो नोटिस कैसे प्रख्यापित होगा इसकी विधि इसमें नहीं है। जो विधि है उस के अनुसार एक किसी खास व्यक्ति को जुर्माना कर देना इसलिये कि उस ने मदद नहीं दी, यह अनुचित सा प्रतीत होता है। इसलिये श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये। अब अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि आप के इस विधेयक की अभी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि गांव में फैले हुये लोगों को यह बताया जाय कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो उनके लिये नुक्सानदेह हैं। यदि ध्यान से देखा जाये तो खेती की दुश्मन दीमक है। खेती में जो दीमक लगती है उस के लिये कृषि विशेषज्ञों की ओर सरकार की जो राय है वह यह कि सिंचाई का प्रबन्ध अच्छा न होने के कारण वह लगती है। अगर सिंचाई का प्रबन्ध अच्छा नहीं है तो उस से खेतों में दीमक लग जाती है और उस के लिये माननीय मंत्री जी और सरकार जिम्मेदार है कि सिंचाई का प्रबन्ध अच्छा हो। खेतों में कुछ कीड़े भी लगते हैं। अरहर के खेत में उखटा लग जाता है। तिलहन में लाही लग जाती है। लाही से रक्षा करने के लिये साबुन और तम्बाकू का घोल पेड़ों पर छिड़कना चाहिये। अगर यह किसानों को बतलाया जाय तो कौन अपना खेत बरबाद करना चाहेगा। डंडे के जोर से कहा जाय कि तुम छिड़को तम्बाकू और साबुन का घोल या यह अच्छा है कि माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी उन को करा दें? तो श्रीमन्, वैसे ही अरहर और मूंग की फसल उखटा लगने से उतर जाती है।

श्री अध्यक्ष---यह तो सिद्धांत की बात है। आप डिटेल में न जायं।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैं न बोलूं?

श्री अध्यक्ष---बोलें, लेकिन आप यह न बोलें कि कौन कौन से रोग होते हैं और उनसे बचने का क्या उपाय है।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैंने इसलिये पहले ही कहा था कि सरकार ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उस को चाहिये था कि वह पहले ही जनता को समझा देती कि किन कारणों से यह विधेयक यहां लाना पड़ा है। इसलिये मेरा हक है कि मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूं कि वह पहले ही जनता को यह समझा देते कि किस प्रकार अपनी रक्षा करो और यह समझाते कि किस प्रकार इस नुक्सान से अपनी रक्षा की जा सकती है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी जानते होंगे, लेकिन अगर न जानते हों तो जान लें।

श्री अध्यक्ष---आप जारी रखेंगे?

श्री रामेश्वर लाल---जी हां।

श्री अध्यक्ष--तो बाद में जारी रखियेगा, अब हम उठते हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २१ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरलाल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कह रहा था कि सरकार को विधेयक लाने के पहले जिन चीजों के सम्बन्ध में यह विधेयक लाया गया है उन सम्बन्धों की जानकारी आम जनता को जो खेती बारी से सम्बन्ध रखती है करा देना आवश्यक था। और इस कार्य की तरफ़ हमारी सरकार का प्रयत्न शून्य सा रहा है। इसी सिलसिले में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आखिर पौधों को किन किन कीड़ों और कैसे कैसे पौधों से क्षति पहुंचती है और इसी संबंध में मैं यह भी कह रहा था कि कृषि विशेषज्ञों ने कुछ भारतीय खेतिहरों को उन के खेती बारी के सम्बन्ध में कागज में कुछ राय दी है और माननीय मंत्री जी को वह किसानों तक पहुंचा देने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये था और उसके बाद यदि असफलता मिलती और यह विधेयक लाया गया होता तो मैं और हमारी तरफ बैठने वाले लोग खुल कर इसका स्वागत करते। परन्तु जब हम यह देख रहे हैं कि इस तरफ माननीय मंत्री जी और उनकी सरकार का प्रयत्न शून्य सा रहा है और माननीय मंत्री जी और उनके विभाग के कर्मचारियों में असामन्जस्य है तो फिर हम यह निवेदन करने को इच्छुक हैं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें और वापस लेने के बाद अपने विभागी कर्मचारियों के राय मश्विरे के बाद इस विधेयक को सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की खामियों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान में इस विधेयक को बड़ा छोटा सा विधेयक समझा है। यह सही है उधर बैठने वाले एक माननीय सदस्य ने जहर के घड़े की उपाधि दी है। मैं यह समझता हूं कि किसानों के लिये सचमुच यह जहर का घड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐसा कानून सरकार का नहीं है, और अगर यह मैं कहूं कि २० प्रतिशत छोड़ कर ८० प्रतिशत ऐसे कानून हैं कि जिसमें दंड की व्यवस्था अर्थ में है। किसान के लिये, उनके लाभ के लिये बनाये गये इस कानून में भी एक व्यक्ति यदि गलत नोटिस देने के प्रयोग के कारण सहायता इस काम में सरकार को नहीं दे पाता तो उस पर ५० रुपया जुर्माना हो जायगा, इस विधेयक में है। कोई भी अधिकारी जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकार होगा वह किसी भी स्थान में सूचना दे कर जा सकता है। यह तो अधिकार जैसे हमारे पुलिस विभाग के सब-इंसपेक्टर के पास और मादक कर मंत्री जी अपने आबकारी विभाग के अधिकारियों के पास दे रखे हैं, वैसे यह भी अधिकार है और मेरा विश्वास है कि इसका जो इस्तेमाल होगा वह सचमुच हमारी सरकार के लिये घड़े में विष की तरह कार्य करेगा। मैं यह जानता हूं और समझता हूं, मेरा विश्वास है श्रीमन्, कि इनके दुरुपयोग से, इस ताकत का दुरुपयोग करने में जनता में राज्य के प्रति, सरकार के प्रति बहुत दुर्भावना उत्पन्न होगी। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह जुर्माने वाला और सूचना देकर घर तक में जाकर देखने वाला जो प्रतिबन्ध है वह कुछ प्रतिबन्धों के साथ होना चाहिये। चाहिये तो यह था कि माननीय मंत्री जी इसमें यह रखते जैसा कि नियम है कि सूचना देने के बाद कुछ लोगों को लेकर जाय तो हम इसका स्वागत करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम के दसवें खंड में है कि "इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये कोई कार्यवाही नहीं हो सकेगी। यह भी आज के प्रजातांत्रिक युग में हमारी सरकार के लिये बड़ी अशोभनीय बात है कि अगर कोई ऐसा काम कर दे और उसके पीछे सद्भावना हो या न हो, उसका क्या सबूत है। और सद्भावना की व्याख्या क्या है श्रीमन्? सद्भावना से काम किया गया साबित हो जाय तो उस आदमी के खिलाफ कोई भी कानूनी प्राविधि उपस्थित नहीं की

[श्री रामेश्वर लाल]

जायगी इस विधेयक में है। लेकिन माननीय मंत्री जी इतनी तो छूट दें कि अगर एक राज कर्मचारी किसान की फसल को इतनी क्षति पहुंचाता है और अपनी असूझ और अजानकारी के कारण क्षति पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की छूट होनी चाहिये। श्रीमन्, गन्ने की फसल होती है, इसमें "रेड राट" नाम की बीमारी होती है। जिस पौधे में होती है उसको जड़ से उखाड़ना होता है, लेकिन यदि कोई ऐसा सर फिरा कर्मचारी जिसने यह उचित समझा ही कि सारी गन्ने की फसल को ही उजाड़ दिया जाय, खोद कर समाप्त कर दिया जाय, जिससे आने वाले १०–१५ दिन के अन्दर ही गुड़ में, शक्कर में प्राफिट होने वाला हो उसको क्षति पहुंचे और दूसरे खेतों की रक्षा की बात भी स्वयं हल होने वाली हो, तो उसके खिलाफ अधिकार होना चाहिये कि हम अदालत में उसपर दावा करें और अधिकार मिलना चाहिये न्यायालय को कि ऐसे आदमी के खिलाफ़ सख्त से सख्त सजा दे। श्रीमन्, एक बीमारी और लगती है गन्ने में उसको "पिहका" हमारी तरफ कहते हैं। ऊपर से पत्ते सूखने लगते हैं। उसमें कायदा है, कृषि विशेषज्ञों ने बताया है, कि सूखे हुए पत्तों को निकाल कर फेंक दिया जाय। लेकिन यदि कोई सर फिरा और एक दूसरे आदमी से प्रभावित कोई कर्मचारी फसल को पिहके से बचाने के लिये उसको उजाड़ देने का सजेशन देता है, उस फसल को उलट देता है और उसको सजा न हो तो मैं समझता हूं कि इस प्रजा तंत्र के युग में यह सरासर अन्याय है। उसके खिलाफ अपील ही नहीं हो सकेगी यह कहां तक उचित है? मेरा नम्र निवेदन है और मैं चाहता हूंकि यदि ऐसा है कि ऐसे सरफिरे कर्मचारियों के खिलाफ जो समाज में किसानों के प्रति अपने घ्रणित कार्यों के लिये दोषी ठहराये जाते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा विधेयक में होती तो मैं इसका स्वागत करता। अन्त में श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री रामनारायण जी त्रिपाठी के सजेशन को मान कर विधेयक को वापस ले लें और किसानों को इन सारी चीजों को, सारी स्थिति को बताने के बाद यदि आवश्यक हो तो फिर ऐसा विधेयक सदन में लावें, तो हो सकता है कि हम लोग उसका स्वागत करें।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी के उस सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है इसके उद्देश्य को देखने से यह बात तो साबित होती है कि यह बहुत ही अच्छा विधेयक है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि जो कृमि कृषि में लगते हैं, उनका नाश होना चाहिये और कृषि की तरक्की हो। तो जहां तक इसके उद्देश्यों का ताल्लुक है यह विधेयक बहुत ही सुन्दर है और हमारा इधर प्रयास भी होना चाहिये, क्योंकि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है और जो कृमि लगते या बीमारी खेती को लगती है उससे भी बहुत नुकसान होता है और सामूहिक प्रयत्न होने की आवश्यकता है क्योंकि बिना सामूहिक प्रयत्न करने के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब इन तमाम धाराओं को मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस उद्देश्य के लिये यह बनाया जा रहा है उसमें हमें सफलता होने वाली नहीं है बल्कि अगर यों कहें कि कृमियों का नाश न होकर छोटे-छोटे किसानों का नाश होगा तो कोई अत्युक्ति न होगी। उपाध्यक्ष महोदय यह लफ्ज तो बहुत भयानक सा हो गया बहरहाल किसान बहुत आहत होंगे।

अब मैं, वह दो तीन धारायें पढ़ कर सुनाऊंगा और उनका आशय सदन में बतलाऊंगा जहां तक मैं समझा हूं। आखिर मकसद हल नहीं हुआ तो उद्देश्य चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों। अगर इसकी वकिंग से किसानों में परेशानी हुई तो इस विधेयक के पास करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बल्कि मैं समझता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्यों ने संकेत किया है और अपने विचार प्रगट किया हैं उनसे भी यही मालूम होता है कि इससे नुकसान अधिक होने वाला है। फायदा तो जो होगा वह हो सकता है। इसके बारे में मुझे तो बहुत संदेह है कि हमारा आबजेक्ट फुलफिल होने वाला है।

आप देखेंगे, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा था कि इसमें जहर भरा हुआ है, यानी किसी प्रकार से कह लीजिये इससे नुकसान ही ज्यादा होने वाला है । आप देखेंगे कि इस विधेयक में धारा ६ और ९ बहुत ही भयानक है और इनका उपयोग बहुत ही भयानक होगा । धारा ६ में यह लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति को औथोराइज करेगा कि वह जाकर देखे कि कृमि नाश का काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं । अगर कोई आदमी काम नहीं कर रहा है वह स्वंय व्यवस्था करेगा और सारा खर्चा गवर्नमेंट लगायेगी लेकिन खर्चा बरदाश्त करेगा वह आदमी जिसने अवहेलना की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आज्ञा का उल्लघंन किया है, उसको खर्चा भरना पड़ेगा । अगर गौर से देखें तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि वह जो खर्चा होगा उसका रिकार्ड मेनटेन कैसे किया जायगा या गांव सभायें देखेंगी या कैसे होगा, यह इसमें कुछ भी नहीं है । हां इसकी एक रिमैडी जरूर धारा ८ में दी है कि वह किसान अपील कर सकेगा कहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां और डिस्ट्रिक्ट इंटरेस्टेड है कि कृमि का नाश हो और उसे दिलचस्पी हो सकती है कि फलां फलां किसान मेरी आज्ञा का उल्लघंन करते रहे हैं तो वह प्रिजूडिस्ड जायगा । फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस स्कीम को एक्जीक्यूट करने के साथ साथ उसको जुडीशियल पावर्स भी दे दी गई हैं कि वह अपील सुनेगा । यह गलत सी बात है और वह अवहेलना करने वाला जिसकी शिकायत की गई हो वह शर्तिया दंडित हो जायगा बल्कि जो खर्च लगाये जायंगे वह बहुत अधिक हो सकते हैं और किसान को न्याय नहीं मिल सकेगा। इस तरह से किसान जरूर पैनेलाइज हो जायगा ।

दूसरे धारा ४ में दिया हुआ है कि जो फिजीकली डिसएबिल्ड हैं उनको छोड़ा जा सकता है और १८ वर्ष की कम आयु वालों को भी छोड़ा जा सकता है तो अगर कोई बीमार हुआ तो वह पैनेलाइज हो जायगा ऐसा मुझे संदेह है । यदि कोई बीमार है तो वह दौड़ा-दौड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाय फिर भी जुरमाना लग जायगा, कहां से वह सर्टीफिकेट देगा, बड़ी मुश्किल हो जायगी । तो हम समझते हैं कि धारा ६ के अन्दर ज्यादातर इस तरह से होगा कि जो भी बेचारा बीमार होगा वह शर्तिया पिनालाइज हो जायगा यद्यपि आपने इसमें रखा है कि उसकी बचत होनी चाहिये लेकिन वह बच नहीं सकेगा । तो यह डिफेक्टिव है और इससे ज्यादा नुकसान होने की सम्भावना है । इसलिये मैं चाहता हूं कि श्री जोरावर वर्मा जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि इसको एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो वहां पर इस पर विचार हो जायगा, मैं भी यही चाहता हूं कि कमेटी के सिपुर्द करने से.....

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—म अपने मित्र से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप इसके प्रिन्सिपल को मानते हैं ?

श्री तेज प्रताप सिंह—जो आपके विधेयक का उद्देश्य है वह तो बहुत सुन्दर है मैं उससे ऐग्री करता हूं लेकिन एपरोच किस प्रकार से हो यह बड़ी गम्भीर बात है । आपने रेविन्यू स्टाफ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह पावर देकर जो इस तकलीफ को रूट आउट करने का इन्तजाम किया है उससे नुकसान ज्यादा होगा । हम लोगों का अनुभव है कि किस प्रकार से काम होता है और सारी चीजें जो होती हैं वह किस तरह से होती हैं । इसलिये मैं बड़ी विनम्रता के साथ यह रखना चाहता हूं कि इससे कठिनाई पैदा हो जायगी और लोग पेनालाइज हो जायेंगे । यदि कोई अच्छी बन्दूक है लेकिन उसकी नाली डिफेक्टिव है तो जब आप उसकी गोली चलायेंगे तो वह दूसरी तरफ चली जायगी और जिसको आप मारना चाहते हैं वह नहीं मर सकेगा । इसलिये मेरा यह सुझाव था और इसको विचार के लिये मैंने आपके सामने रख दिया है ।

धारा ९ के अनुसार अगर कोई किसान आज्ञा का उल्लघंन करता है तो उसके ऊपर ५० रुपया जुरमाना हो जायगा । अगर वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सैटिस्फाइ करना चाहे तो उसको पता नहीं कि किस प्रकार से उसको सन्तुष्ट करने की व्यवस्था होगी सारा अधिकार तो जिलाधीश के पास रहेगा चाहे वह उसकी बात सुने या न सुने हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रिजुडिस्ड ज्यादा हो जायगा कि इसने काम नहीं किया । नीचे से यही रिपोर्ट आयेगी कि इसने काम नहीं किया और इसने सामूहिक काम में भाग नहीं लिया है तो वह ज्यादा प्रिजुडिस्ड हो जायगा ।

[श्री तेज प्रताप सिंह]

तो फिर ५० रुपये जुरमाने की शकल में उसके माथे पर मढ़ दिये जायंगे । उपाध्यक्ष महोदय, जब उसके ऊपर ५० रुपया जुर्माना हो जायगा तो फिर उस गरीब के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है कि वह किस प्रकार से कहां अपील कर सकेगा । इस विधेयक में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं रखी गयी है कि वह कहां अपील करेगा । अगर उससे गलती हो गयी और वह बेचारा बीमारी के कारण वहां सहयोग नहीं दे सका और वहां नहीं जा सका तो यह सारे अच्छे कारण उसके पास होते हुये भी वह बेचारा सफाई नहीं दे सकेगा दूसरे किसी कोर्ट में । जब इस प्रकार की कोई व्यवस्था इसके अन्दर नहीं रखी गयी है तो यह बड़ा घातक होगा । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कोई कठिनाई न होगी और नीचे से सबार्डिनेट आफिसर जो रिपोर्ट देंगे वह तो उसके आधार पर ही उसके ऊपर जुर्माना कर देगा । इस प्रकार के कुछ काम हो जाते हैं तो उसके लिये तो यह एक जबरदस्ती हो जायगी और उसके साथ बड़ा अन्याय होगा । आप उसके प्रति दिलचस्पी रखते हैं लेकिन उसका जो वर्किंग होगा वह उलटा होगा और इससे आपका आब्जेक्ट फुलफिल नहीं होगा । एक तो उसका खेत कृमि से नाश हुआ और इधर उसके ऊपर जुर्माना ५० रुपये भी हुआ तो उसका तो वैसे ही नाश हो गया और दोहरा उसको नुकसान हो गया और ज्यादातर जगहों पर ऐसा ही होगा । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह भयंकर चीज है और इसका वर्किंग ठीक प्रकार से नहीं होगा । इसको रुट आउट करने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है । इसलिये कुछ समय इसके लिये सेलेक्ट कमेटी में लगाया जाय तो अच्छा है क्योंकि हमारा आब्जेक्ट तो पब्लिक कोआपरेशन को सीक करने का है और यह भी हो सकता है कि जब हम उनको इन्सपायर कर सकें और तभी इसमें सफलता मिल सकती है ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रातःकाल से इस सदन में माननीय कृषि मंत्री का जो छोटा सा बिल सदन के सामने पेश है और जिसके दो पन्ने ही हैं उसके विषय में जितने माननीय सदस्य त्रिपाठी जी, तेजप्रताप सिंह जी और जोरावर वर्मा जी बोले हैं उन्होंने सब ने कहा है कि इस बिल के प्रिन्सिपल से ऐग्री करते हैं जोरावर वर्मा ने भी कहा और तेजप्रताप सिंह ने भी कहा कि वे इसके प्रिन्सिपल से तो ऐग्री करते हैं लेकिन आप कहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय । यह कहां का रूल है, कौनसा ऐसा कानून है जिसके मातहत आप ऐसा कहते हैं ? सेलेक्ट कमेटी में भेजने की जो बात है मैं उसका विरोध करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि जब आप उसके प्रिन्सिपल से सहमत हैं तो किस प्रकार उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हैं । आज कीटाणुओं का बड़ा प्रश्न नहीं है लेकिन बड़ा प्रश्न तो है जन्तुओं का, नीलगायों का, जंगली सूअरों का, और हां उन चूहों का भी । हमारे भाई जो उधर बैठते हैं, इस बारे में रिसर्च स्कालर हैं, मैं उन अपने मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि वे चूहों के मारने की एक मंडली बना लें और उस कमेटी का चेयरमैन माननीय सदस्य को बना दिया जाय । मैं ठाकुर साहब से निवेदन करूंगा कि वे रामेश्वर लाल जी की एक लाल फौज बना दें जो तमाम जगह चूहों के मारने का कार्य करे तो मुझे विश्वास है कि उनको बड़ा भारी श्रेय मिलेगा और हिन्दुस्तान की जो फूड प्राब्लम है वह साल्व हो जायगी और नेहरू जी भी उनको बड़ा भारी मान करेंगे । उन्होंने बताया कि एक चूहा ३ छटांक के हिसाब से खाता है तो कितना अन्न वे खाते होंगे और इस प्रकार से करोड़ों मनों का हिसाब समझा दिया । अगर आप इस ध्येय को लेकर देश में भ्रमण करें तो विनोबा भावे से जाकर टक्कर लें । और आज अगर वे ऐसा करते तो इस प्रान्त और देश के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के बड़े-बड़े इकोनोमिस्ट्स उनको अपना आचार्य मानते ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात श्री तेजप्रताप सिंह ने कही और कलेक्टर को ऐसा बताया मानो कि वह हिटलर हो गया। मालूम होता था कि अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं रही, न कोई इस सदन का मेम्बर रहा, न मिनिस्टर रहे, न डिप्टी मिनिस्टर और न पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज ही रहे, केवल एक कलेक्टर ही रह गया और एक मामूली सी बात पर किसी का खेत कटवा लेगा। मान लीजिये मेरे खेत में कीटाणु पैदा हो गये और मैं उनको नष्ट करने के लिये अलाऊ नहीं करता हूं तो अगर वह मुझपर ५० रुपया जुरमाना कर देता है तो क्या गुनाह करता है ? हमारे गांव में ६०० एकड़ जमीन है अगर गांव की उस ६०० एकड़ जमीन में जो फसल खड़ी है वह उसकी वजह से मारी गयी तो त्राहि माम् मच जायगी तब देवरिया के माननीय सदस्य यहां स्पीकर साहब के सामने आकर कहेंगे कि देवरिया के लोग भूखों मर रहे हैं, उनके खाने का ठिकाना नहीं है। आपका ख्याल है कि चाहे ६०० एकड़ साफ हो जाय लेकिन वह १ एकड़ नष्ट न की जाय। अब अगर उस पर ५० रुपया जुरमाना कलेक्टर कर देता है तो क्या बुराई करता है। हमारे मित्र ने कहा कि प्रचार से यह कार्य किया जाय। प्रचार तो होगा ही। वहां ग्राम पंचायतें हैं. सभापति हैं, गांव समाज हैं., यह सब तो गवर्नमेंट का ही लिंक मैं समझता हूं। यह सब गवर्नमेंट से कोआपरेट करेगा। ऐसा कौन सा बददिमाग कलेक्टर होगा जो बिला वजह किसी आदमी पर ५० रुपया जुरमाना कर दे। कोई भी कलेक्टर ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात नहीं कर सकता है, और ऐसा कोई गैर जिम्मेदार है भी नहीं। यह कोई हिटलेरिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। सारे प्रान्त के गोशे-गोशे का प्रतिनिधि यहां मौजूद हैं। किसी जिले के १० हैं, किसी जिले के १८ हैं और जो इस हाउस के अन्दर मौजूद हैं और गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं, भला उनके रहते हुए कोई अन्धेर हो सकता है ? आज हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं और उसको सही सजेशन भी देते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे। यह तो बिलकुल एक छोटा सा बिल है, मैं तो समझता था कि ५ बजे के पहले ही यह सब खतम हो जायगा लेकिन हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब जो आगे वाले बिल को पेश करने वाले हैं, यहां से उठकर चले गये और अभी तक लौट कर नहीं आये, उन्होंने समझा कि शायद इस पर लम्बा डिबेट चलेगा। मैं नहीं समझता हूं कि आखिर श्री तेजप्रताप सिंह जी परेशान क्यों हैं ? जब बजट का इतना बड़ा पोथा था उस पर तो इतना आब्जेक्शन नहीं किया गया और वह पास भी हो गया। तो मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि जो हानिकारक कीड़े हैं और जंगली पशु हैं जिससे खेती को हानि हो सकती है उस जंगली पशुओं को मारने के लिये किसानों को बन्दूक मिलनी चाहिये। हमारे सोशलिस्ट पार्टी के जो डिप्टी लीडर त्रिपाठी जी हैं उन्होंने यह नहीं कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये तो हमारे भाई जोरावर वर्मा ने कहा। अगर एक पालिसी से सोशलिस्ट भाई काम करें, हम करें और राज्य करें तो क्या दिक्कत है। यह कहा जाय कि एक आदमी पर ५० रुपया जुर्माना हो जायगा तो बड़ा गजब हो जायगा, मैं कहता हूं कि कौन सा गजब हो जायगा। जब आप इतने लोगों को इंडिपेंडेंस दे देंगे तो काम हो चुका। अगर डिसिप्लीन को मेंटेन करने के लिये आप कलेक्टर को कम से कम इतना पावर भी नहीं दें कि वह एक आदमी पर जुर्माना कर सके, तब तो मैं समझता हूं कि कामयाबी हो ही नहीं सकती।

"जा की धन धरती हरी ताहि न लीजे संग, जो संग राखे ही बने, तो करि राखे अपंग।"

आज तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आज यहां डिक्टेटरशिप नहीं है। आज जनता की सरकार है। आज हमने गांव समाज को अधिकार दिया है और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि यहां के १६ करोड़ वोटरों में से १० करोड़ ने वोट किया लेकिन कहीं भी गोली नहीं चली, एक आदमी भी नहीं मारा गया। फिर भी माननीय तेजप्रताप सिंह जी को इस छोटे से बिल पर परेशान होने की क्या जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कहीं गड़बड़ी नहीं है जो उनको दिखलाई पड़ रही है। आखिर ये भी तो जनता के ही शुभचिन्तक हैं, मिनिस्टर साहब, हैं, डिप्टी मिनिस्टर साहब भी किसान ही हैं, वे भी खेती करते हैं, फिर आप क्यों परेशान होते हैं ? हमारे सामने आये दिन फूड प्राबलम के प्रश्न उपस्थित होते रहते हैं, तथा हमारे प्राइम मिनिस्टर को रूस तथा अमेरिका से अन्न मंगा कर यहां देना पड़ता है। उस समय मदन मोहन जी कहते हैं कि दूसरे देशों से अन्न क्यों मंगाया जाता है, क्यों अपना पैसा बाहर भेजा जाता है।

[श्री शिवनारायण]

तो क्या किया जाय, क्या लोगों को भूखों मरने दिया जाय ? चूहा मारने के लिये जो चूहा समिति की बात कही गयी है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चूहा मारने के लिये लाल टोपी वालों की एक फौज बने ताकि जब वे गांवों में जायं तो लोग कनस्टर बजा बजा कर लोगों को आगाह कर दें कि मूसमार कमेटी आ रही है, इससे राज नारायण जी का भी नाम होगा और मेरे जिन दोस्त ने चूहा कमेटी का सजेशन दिया है उनको उसका चेयरमैन बना दिया जाय जिसमें और भी सोशलिस्ट दोस्त होंगे और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि सप्लिमेंटरी बजट में इस कमेटी के लिये १० हजार रुपया जरूर रख दिया जाय ताकि इस प्रान्त और इस देश के चूहों को मारने से कृषि का कल्याण हो जाय ।

दूसरे मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि नील गायों के झुंड के झुंड खेती को खराब करते फिरते हैं, मैं चाहता हूं कि उन को पकड़वा कर कहीं भिजवा दिया जाय, गल्ले का प्रश्न हमारे सामने है और हमारे लिये जरूरी है कि हम अपने फसलों की रक्षा हर तरह से करें। हमारे यहां भगत लोग बहुत से ऐसे हैं कि उस को गाय कहते हैं लेकिन हमें खेती को नुकसान पहुंचाने वाले इस जानवर की पूजा करानी नहीं है । हमें इस को हटाना है । इसी तरह से कीटाणुओं से बचाने का सरकार प्रबन्ध कर रही है और जितनी हानिकारक वस्तुयें हैं उन से सरकार खेती को बचाना चाहती है और उस के लिए प्रबन्ध कर रही है लेकिन जब सरकार उस का उपाय यहां पेश करती है तो उसका बिरोध किया जाता है, कोई भी शुभ काम उठाया जाता है तो उधर से उस का विरोध होता है और श्री तेजप्रताप सिंह परेशान हो जाते हैं । मैं अपने देवरिया के दोस्त का शुक्र-गुजार हूं कि उन्होंने चूहों के नाश का उपाय बताया है, मैं ठाकुर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वह अगले सप्लीमेंटरी बजट में दस हजार रुपया इन चूहों को नाश करने वाली कमेटी के लिए जरूर रखें, हमारे गांव में भी चूहों की वजह से सोना मुश्किल है, श्री जोरावर वर्मा जी तो महोबा के हैं वह कह रहे हैं कि वहां भी चूहे बहुत हैं, मैं उन से कहूंगा कि वह तो ऊदल के घर के हैं, वह तो सिंह को भी मार सकता था और उनसे अब चूहे भी नहीं मारे जाते हैं, वह तो राजपूतों का मुकाबला करता था और वह सिंह से नहीं घबराते थे लेकिन वर्मा जी चूहों से ही घबरा जाते हैं । मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह जरा हिम्मत करें और चूहों को मारने के लिए एक लाल फौज बनावें ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह ५० रुपए का जो जुर्माना कलक्टर द्वारा किया जायगा वह अन्तिम निर्णय न होना चाहिए बल्कि वह अपीलेबिल होना चाहिए, क्योंकि अगर वह सही काम भी करेगा तो लोग ढोल पीटेंगे कि गलत काम हुआ, इसलिए अगर अपील का राइट देगें तो ऐसा कहने का मौका न रहेगा और इंसाफ हो सकेगा । हम अपने यहां डेमोक्रेसी चला रहे हैं और डेमोक्रेसी में हर एक को हक होना चाहिए कि वह आजादी के साथ अपील कर सकें । इन शब्दों के साथ मैं इस छोटे से बिल का समर्थन करता हूं ।

*श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । वास्तव में हमारे प्रदेश का मुख्य धन्धा खेती ही है और हमारे यहां के अधिकांश लोग खेती ही पर निर्भर रहते हैं । उन की इस खेती को कई तरह से हानि पहुचने की आशंका होती है । सूखा, बाढ़ आदि इस तरह की आपत्तियां आती हैं जिससे खेती को हानि होती है और पूरी पैदावार नहीं हो पाती । उनके अलावा जो जंगली जानवर हैं, तरह-तरह के कीट पतंगे हैं उनसे भी हमारी खेती को कम हानि नहीं पहुचती । उनसे भी किसान का बड़ा नुकसान होता है और इस सम्बन्ध में सरकार ने जो कानून बनाने की बात सोची है उस की मैं प्रशंसा करता हूं । वास्तव में खेती की पैदावार का बहुत अंश इन कृमि कीड़ों से क्षतिग्रस्त हो जाता है । इस सम्बन्ध में जो प्रतिबन्ध लगाया गया है उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस में जो यह रखा गया है कि जो कीड़े पतंगे या जंगली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानवर नुकसान पहुंचावेंगे, उस क्षति से बनाने के लिए स्थानीय जनता का सहयोग लिया जायगा, उस में जो ५ मील का दायरा रखा गया है वह बहुत बड़ा हो जाता है, मैं चाहता हूं कि उसको दो तीन मील कर दिया जाय तो अच्छा होगा । और उसके साथ साथ में एक बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जहां पर यह कहा गया है कि जिन लोगों को सरकार सहायता के लिये बुलायेगी अगर वे लोग सम्मिलित नहीं होंगे तो ५० रुपये का दंड उन पर होगा, होना चाहिये । जो भी लोग सहायता करने नहीं आते उन पर दंड अवश्य लगाया जाय जो लोग सहायता न करें अगर उनको दंड नहीं दिया जायगा और सिर्फ इतने पर अगर छोड़ दिया जाय कि उनकी फसल नष्ट कर दी जाय तो मैं समझता हूं कि बहुत से लोगों को इससे निकल जाने का मौका मिलेगा । इसके बाद नोटिस की जहां तक बात है उसमें भी हमें यह देखना चाहिये कि नीलाम वगैरह या कुर्की की नोटिस के बाद लोग कार्यवाही कर लेते हैं तो इसी तरह से लोग इसमें भी कार्यवाही कर लेंगे और बेजा फायदा उठायेंगे और उससे दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा और फसल पर भी असर पड़ेगा । तो इस तरह से अवैधानिक रीति से बचाव के लिये गैरकानूनी कार्यवाही होती रहेगी और आप की नोटिस ऐसी की ऐसी ही पड़ी रह जायगी । तो जहां तक दंड की बात है उससे भय के कारण तो लोगों से काफी सहायता मिल सकती है इसलिये उसका तो रखा जाना बहुत ही अवश्यक है लेकिन जो नोटिस दिये जाने के लिये डुग्गी का तरीका बनाया गया है उसको वहीं तक न रखा जाय बल्कि नोटिस लिखित अवश्य होना चाहिये यानी उनके लिये भी यह चीज लागू हो जिन्हें लिखित नोटिस दी जाय । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इसके लिये माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी ने सुझाव इस सरकार को दिया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं समझता हूं कि जिस नीयत से और जिस उद्देश्य से माननीय मन्त्री जी ने इस बिल को यहां पेश किया है वह उद्देश्य तो बहुत अच्छा है । जिस प्रकार से त्रिपाठी जी ने बताया है कि इसमें कुछ कमियां हैं और यह अन्देशा कि हम और कुछ ताकत अपने रेवेन्यू आफिसर्स को दे रहे हैं उस ताकत को उनको नहीं देना चाहिये मैं भी यही समझता हूं । हम माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि वे इस बिल को वापस लेकर और खूब सोच समझकर एक नया बिल बनावें ।

मैंने उपाध्यक्ष महोदय, चाहे और किसी का भाषण न सुना हो लेकिन माननीय शिवनारायण जी का भाषण बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने यह भी कहा कि माननीय पुलिस उपमंत्री यहां बैठे हुए थे और वह बेचारे चले गये अपना बिल भी नहीं पेश कर पाये । लेकिन माननीय पुलिस मंत्री का कोई बिल आज सदन के सामने नहीं है । एक इंडस्ट्रियल हाउसिंग का बिल तो अवश्य है । हमारे माननीय शिवनारायण जी बी० ए० का इम्तहान देने में लगे हुए हैं । और अब वह डिमोक्रेसी की बातें भी काफी समझ गये हैं । हम उम्मीद तो नहीं करते लेकिन मैंने सुना और वह गलत हो सकता है कि वह इम्तहान में इतना मशगूल हो गये कि जो कापी इम्तहान में लिख रहे थे उसको घर ले आये । क्योंकि कहीं गड़बड़ न हो जाय तो जितना किया धरा है सब खत्म हो जाय । इसलिये इम्तहान में लिखा और वह कापी ले कर घर को चले आये । अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी तो वह कह देंगे अबकी इम्तहान देने की तबियत नहीं थी इसलिये घर को ले आये । (एक सदस्य-यह आक्षेप है) मैं आक्षेप कुछ नहीं कर रहा था, वह तो मेरे मित्र हैं, जो खबर लगी है उसे बता रहा हूं । इसके अतिरिक्त कीटाणु की बात क्या कहूं । इसके पश्चात् उनके पास एक हिस्टरी की किताब रखी हुई थी उसमें दीमकें लग गईं । तब इन्हें ख्याल नहीं आया और सरकार के सामने नहीं कहा कि दीमक ने किताब खा डाली । हमारे रामेश्वर लाल जी ने चूहे की बात कही तो आपने कहा कि इनको चेयरमैन बना दिया जाय और राजनारायण जी, विरोधी दल के नेता को भी उसमें खींच ले गये ।

श्री शिवनारायण--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर हिस्टरी की किताब का बिल तो पेश नहीं है और न इम्तहान का बिल है, न शिवनारायण पेश है बल्कि जो पेश है वह तो एक छोटा सा बिल है। जिसके लिये आप परसनल अटैक कर रहे रहे हैं कि इम्तहान में लिखकर मैं कापियां घर लाता हूं। किसी माननीय सदस्य की नीयत पर हमला करना उचित नहीं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि वे अपने शब्द वापस लें, क्योंकि इस प्रकार हाउस के सामने गैर जिम्मेदाराना बातें करना ठीक नहीं है। मैं चाहूंगा कि वे इन शब्दों, को वापस लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय उपाध्याय जी से चाहूंगा कि हास्य की एक सीमा होती है, बहुत अधिक दूर तक न जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अब आगे नहीं कहूंगा। लेकिन राजनारायण जी जो विरोधी दल के नेता हैं उनको क्या वे मजाक समझते हैं ?

श्री शिवनारायण--मैं समझता हूं कि माननीय उपाध्याय जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं चाहता था कि वे किसी पर आक्षेप न करें तो उसका असर अच्छा होगा।

(श्री शिवनारायण के खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य बैठ जायं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--मैं चाहता हूं कि वे किसी पर आक्षेप न करें तो अच्छा हो। उन्होंने विरोधी दल के नेता को सैकड़ों बातें कह दीं। रामेश्वर लाल जी और जोरावर वर्मा जी को न जाने क्या-क्या बातें कहीं। दूसरों पर अगर इस तरह से आक्षेप करते हैं तो उनको सुनने के लिये भी तैयार होना चाहिये वर्ना किसी का मजाक न उड़ायें तो अच्छा है। मैं चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर जो बातें कही जायं वे ठीक ढंग से कही जायं। विरोधी दल के हमारे एक नेता हैं। उनका एक स्थान है। हम माननीय मंत्री जी के खिलाफ कोई बात नहीं करते, उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने फिर क्या इस सदन को मजाक समझ लिया है ?

माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक कीटाणुओं के नाश के लिये रक्खा है। उद्देश्य तो बहुत अच्छा है। लेकिन कीटाणु हर किस्म के होते हैं। दारुलशफा में लाखों कीड़े रोशनी में आ जाते हैं और हम लोगों को बड़ा दिक करते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी कीटाणुओं की बजह से दारुलशफा की बिल्डिंग को उखाड़ देंगे ? तो हम यह अवश्य चाहते हैं कि जहां पर कीड़े हैं क्या वहां माननीय मंत्री जी डी० डी० टी० का छिड़काव करायेंगे। कितनी ही चीजें वहां दीमक खा जाती हैं।

श्री हुकुमसिंह--छिड़काव तो होता है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--तो जहां तक उद्देश्य का संबंध है उद्देश्य से हम पूरे सहमत हैं और चाहते हैं कि इन कीटाणुओं का नाश किया जाय। साथ ही चूहे, जैसा कि रामेश्वर लाल जी ने कहा की खेती को बरबाद कर देते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। पहाड़ों में जो वहां बाग-बगीचे लगाये जाते हैं या आलू वगैरह बोया जाता है वहां खेतों में इतने चूहे हो जाते हैं कि वे सारी फसल को बरबाद कर देते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट वह चूहों वगैरह को मारने के लिये दवा देता है, पेड़ों पर दवा छिड़कवा देता है। लेकिन हमें डर इस बात का है कि कहीं अधिकार ज्यादा न हो जाय। पुलिस के अत्याचारों से हम वैसे ही परेशान हैं। इसी तरह कीड़ों को नष्ट करने के लिये हमने कहीं ज्यादा अधिकार दे दिये तो कहीं उन अधिकारों का दुरुपयोग न होने लगे। जो अन्देशा है उससे बचने के लिये हमें कोशिश करनी चाहिये।

रामनारायण जी के कहने का मकसद यही था कि इसके लिये हम लोग ठंडे दिल से विचार करें और जल्दी से इस विधेयक को पास न कर दें । पंचायतों का सहयोग लिया जाय और जिस तरह से तकावी लोन दे देते हैं उसी तरह से किसी फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिये नष्ट हो जाने पर उसे हम ट्रीट करें। सरकार जिस तरह से बाढ़ या पाले को दैवी प्रकोप समझकर सहायता देती है उसी तरह से जहां एक्सट्रीम नुकसान किसी फसल को कीटाणुओं से बचाने के लिये हो जाय तो उसको उसी लेविल पर सरकार ट्रीट करे; इसलिये हम उद्देश्यों का तो समर्थन करते हैं। लेकिन रामनारायण जी ने जो राय दी है वह भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इसे वापस ले कर पुनः इस पर विचार करके इसे पेश किया जाय ।

*श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत करते हुए मैं माननीय त्रिपाठी जी ने और जोरावर वर्मा जी ने जो कुछ सुझाव दिये हैं कि इसको वापस लिया जाय या सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय, उसका विरोध करता हूं । मान्यवर, यह एक छोटा सा बिल है और इसमें कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है । न कोई ऐसा गंभीर प्रश्न है कि जो छूट गया हो । यह तो सर्वविदित बात है कि खेती हमारे देश की प्रधान समस्या है और खेती में जैसे और और हानियां होती हैं उसी प्रकार यह भी एक साफ चीज है कि जगह जगह पर फसल के दिनों में ऐसा होता है कि जब बदली हो जाती है, साफ धूप नहीं मिलती या बारिश नहीं होती तो नाना प्रकार के रोग फसल में लग जाते हैं जैसे गंधी है, गंधेला है । ऐसे छोटे छोटे कीड़े लगकर गेंहूं में और दूसरे अनाजों में इतना नुकसान फसल में कर देते हैं कि सारी फसल साफ हो जाती है । तो इसको रोकने के लिये सरकार का ध्यान गया है और यह बहुत ही सराहनीय बात है । मैं तो आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसको काफी अरसे पहले ही आ जाना चाहिये था, इसको लाने में देर हुई है । अब हम दो, ढाई महीने बाद फिर मिलेंगे और बरसात के दिनों में फसल खड़ी हो जायगी और मकई में और धान में यह रोग काफी लगता है । धान में तो इतना ज्यादा लगता है कि उसकी सारी फसल ही बरबाद हो जाती है । तो यह देखा गया है कि डी० डी० टी० स्प्रे करने से यह कीड़ा मर जाता है । प्लांट प्रोटेक्शन विभाग जो कृषि विभाग के अंतर्गत है, उससे भी इसमें काफी सहायता पहुंची है और मैंने खुद भी यह अनुभव किया है और इस विधेयक में जो व्यवस्था की गई है वह बहुत सुन्दर व्यवस्था है ।

इसको लेकर ऐसी बातेंकही गई कि चूहे मारने के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, टिड्डी मारने के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, नीलगाय के लिये, हिरन के लिये और न जाने क्या क्या कह दिया गया । मेरी समझ में नहीं आता कि इससे टिड्डी, नीलगाय या चूहों से क्या ताल्लूक है । यह तो साफ लिखा हुआ है कि यह कीटों का विधेयक है । कीटों से जहांतक मेरा ख्याल है क्रीपर्स से मतलब है, जो रेंगते हैं और वह डी० डी० टी० से आसानी से मर जाते हैं और धारा ४ के खंड (क) में साफ लिखा हुआ है कि "किसी पर जीवी, हानिप्रद तृणादि, नाशक कीट, पौधे अथवा पौधों के रोग के आविर्भाव, फैलाव अथवा पुनरागम को उन्मूलित, नष्ट अथवा निरुद्ध करने के लिये" तो घास भी इस संबंध में है । मदनमोहन जी और त्रिपाठी जी ने जैसा कहा, उससे तो मुझे ताज्जुब हुआ । खुशीराम जी ने एक प्रश्न यहां पूछा था कि चलमोड़ा जो घास होती है उससे हमें भारी हानि होती है इस संबंध में । उनके द्वारा तो इसका समर्थन होना चाहिये था। यह घास हमारे यहां नहीं होती लेकिन पूछने पर मालूम हुआ कि यह बड़ी भयंकर घास होती है और इसके मारे वहां फसल जमने ही नहीं पाती। तो घास और रोग जो साधारण तरीके पर नष्ट किये जा सकते हैं जनता का सहयोग ले कर, उसके लिये ही इस बिल में व्यवस्था की गई है । ज्यादा जोर इसमें दिया गया है धारा ६ और ९ पर । धारा ६ में मैं नहीं समझता कि ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात है । जहां तक नोटिस का सवाल है यह तो साफ है देहतों में डुग्गी पिटवा देने के बाद कोई बात बाकी नहीं रह जाती और इस बिल के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है कि डुग्गी के द्वारा ही खाली नोटिस दिया जायगा । उसमें यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि डुग्गी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बसंत लाल शर्मा]

अथवा अन्य कोई प्रचलित प्रथा, जो भी वहां सम्भव हो और जिसके द्वारा आसानी के साथ सबके पास इत्तिला पहुंच सके । यदि यह कह दिया जाय कि हर आदमी को नोटिस दिया जाय तो यह सम्भव नहीं है । जहां तक धारा ९ में यह कहा गया है कि ५० रुपये जुर्माना भी अत्यधिक होगा और इसमें किसानों के साथ अन्याय होगा तो ५० रुपये तो अधिक से अधिक व्यवस्था की गई है और वह भी यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है । 'दे सकता है' का अर्थ जो है यह है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उचित समझे और संतुष्ट हो जाय कि वास्तव में उस आदमी ने सहयोग नहीं दिया है जानबूझकर सामूहिक विकास कार्य के अन्दर, तब वह ऐसा आदेश देगा और नियम बनाने का अधिकार तो सरकार ने अपने हाथ में लिया है तो उसमें व्यवस्था हो सकती है । तो आने वाली फसल को जितना फायदा हमको पहुंच सके इस बिल के द्वारा उससे हमें वंचित नहीं होना चाहिये । तो समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इसमें न तो वापस लेने की बात है और न सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की बात है, यह विधेयक तो बिल्कुल स्पष्ट है ।

लेकिन एक बात की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि उसमें यह कहा गया है कि १८ वर्ष की अवस्था तक के किसान को मान लिया गया है कि उसको आदेश दे सकता है सहयोग देने के लिये । तो मेरे विचार में १८ वर्ष कम है, मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इलेक्शन में जो २१ वर्ष की अवस्था मानी गई है, वही रखी जाय । और मुझे अनुभव है कि डी० डी० टी० का स्प्रे किया जाता है तो जो स्प्रे करने की मशीन होती है वह कंधे पर रख कर किया जाता है वह वजनी होती है और उसका जो प्रयोग होता है वह सूरज निकलने से पहले, दो-ढाई घंटे पहले होता है, क्योंकि पौधों पर ओस भी रहती है जिसकी वजह से डी० डी० टी० का पाउडर अच्छी तरह से पौधों पर चिपक जाता है और कीड़े मर जाते हैं और धूप निकल आने के बाद अगर डी० डी० टी० छिड़की जाय तो उतना लाभ नहीं होता । तो दो, ढाई घंटे के इस काम के लिये १८, १९ वर्ष का आदमी ठीक से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता है । तो मैं कहूंगा कि १८ के बजाय २१ वर्ष रखने पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे तो उचित होगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सामने उपस्थित है मैं उसका समर्थन करता हूं । समर्थन करने का करण यह है कि हमारा देश कृषि प्रधान है । सारा दारोमदार कृषि पर है । यहां ८५ फीसदी जनता कृषि पर अपना जीवन निर्वाह करती है । दूसरे उद्योगधंधे यहां उतनी तादाद में मौजूद नहीं हैं जिससे कृषि का बोझ हलका हो सके तो यह जरूरी है कि कृषि की उन्नति के लिये अधिक से अधिक तादाद में जो भी सहूलियतें हम दे सकें दें । कृषि से सम्बन्ध रखने वाले अच्छे से अच्छे कानून बनायें जिससे किसानों का फायदा हो और उनके बचाव के लिये जितने भी उपद्रवकारी जीव हों उनसे खेती की हिफाजत करें । यह सरकार का फर्ज हो जाता है । जो बिल हमारे सामने उपस्थित हुआ है यह जरूरी है कि खेती की हिफाजत के लिये उन कीटाणुओं को खत्म करें जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं । लेकिन थोड़ी सी शंका जो हमारे मित्रों को होती है और मुझे भी होती है जिसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ वह होना बहुत ही जरूरी है । कीटाणुओं के अलावा और भी बहुत से हिंसक पशु हैं जो कीड़ों से अधिक खेती को नुकसान पहुंचाते हैं । गाय, नील गाय के अलावा और भी ऐसे पशु मौजूद हैं जो कि शहर के पास के गांवों में उसका प्रत्यक्ष रूप से असर होता है । शहर के रहने वाले अपने पशुओं को छोड़ देते हैं और आस-पास ५,७,१० मील के पशु खेती को नष्ट करके अपने स्थान पर लौट जाते हैं और अपने पालने वालों को दूध पिलाते हैं । वे इतने दौड़ने वाले होते हैं कि गांव वाले पकड़े तो मुश्किल से हाथ आते हैं । हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि उन पशुओं को पकड़ लें तथा खेती को नुकसान पहुचाने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें । इस वक्त कम से कम दो साल से हमारे जिले में, मथुरा की बात मैं कहता हूं, ऐसा उपद्रव है, और भी जगह जहां ऐसा मामला उठ चुका है तो उसके लिए इस बिल में कोई धारा यदि उपस्थित न की गई तो थोड़ी सी त्रुटी रह जाती है । मैं चाहता हूं कि इसमें यह भी जोड़

दिया जाय कि वे पशु जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किसान किसी तरह से पकड़ कर यह साबित करें कोर्ट में या डी० एम० के पास किसी भी आफिसर के पास जो भी गवर्नमेंट मुकर्रर करे, कि इन्होंने नुकसान पहुचाया है तो मैं तो कह रहा हूं कि १० रुपये उसपर रखे हैं जो १८ साल के हों और रक्षा के लिये न जायं इनके मालिक पर तो सौ, दो सौ, जितना हो सके जुर्माना करना चाहिये । यह खास चीज इसमें रख देनी चाहिये । जहांतक कीटाणुओं का सम्बन्ध है, बिलकुल ठीक है ।

एक दिक्कत की बात और हो जाती है कि जहां १८ साल की उम्र के लोगों को यह रखा है कि ५ मील के अन्दर तक उनको जाना चाहिये, अगर न जा सके तो ५० रुपया डी० एम० द्वारा जुर्माना हो सकता है, मैं देहात के नाते से यह सुझाव रखता हूं कि यह जो ५ मील का एरिया है वह ऐसा है कि अव्वल तो खास तौर पर जिस गांव का एरिया हो वही ले लेना चाहिय, लकिन यह देखा गया है कि टिड्डी का प्रकोप होता है तो जिस गांव में आती है, यह लाजमी है कि उसके पड़ोस के दूसरे गांव भी उसकी हेल्प करें, मदद करें तो हो सके तो एक मील का एरिया ले लेना चाहिये । ५ मील के एरिया में यह भी हो सकता है, और देखा भी गया है कि किसी से व्यक्तिगत दुशमनी भी हो सकती है, पार्टी बन्दी भी हो सकती है और वहां के स्थानीय व्यक्ति के अलावा आफिसर्स भी प्रभावित हो सकते हैं । तो जहां तक ५ मील के एरिया का सवाल है उसमें यह भी रखना पड़ेगा कि अगर ५ मील में कोई बात होती है तो उसकी सूचना उस एरिया के हर व्यक्ति को देनी पड़ेगी कि फलां जगह पर इकट्ठा हो कर कीटाणुओं का नाश करना है यदि सूचना नहीं देते हैं तो यह लाजमी नहीं हो सकता है वह न आ सकें तो ५० रुपया जुर्माना उनपर हो । कैसे साबित होगा कि उनको पता था और नहीं आये । तो यह थोड़ी सी चीज हो जाती है । जहांतक ५० रुपये का ताल्लुक है हम यह नहीं कहते कि वह जुर्माना न किया जाय मैं तो कहता हूं कि करना चाहिये, लेकिन उसकी व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिये कि जिससे खबर ठीक तरह से पहुंच जाय उन लोगों को जोकि प्रभावित हैं और सारी सुविधा उनको मिलनी चाहिये । इसमें मैंने जो सुझाव रखा कि कीटाणुओं के अलावा भी जो दूसरे पशु हैं या और जन्तु हैं जो इस बिल की परिधि में नहीं आते हैं, उनको भी इसमें लिया जाय और जहांतक ५ मील के एरिया का सवाल है उसको कम करके एक मील का एरिया रखा जाय, ये ऐसी चीजें हैं जिनको रख कर जल्दी ही उसपर अमल किया जाय । यह अच्छा विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री दातारम (जिला सहारनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो हमारे सामने भवन में पेश है मैं इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । एक बात तो साफ ही है कि हमारा मुल्क खेती का प्रधान देश है और खेती को बचाने का गवर्नमेंट का सब से अव्वल फर्ज है । एक बात जो हमारे कुछ भाइयों ने कही है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय या इसको दोबारा विचार कर के लाया जाय, तो अगर कोई ऐसे सुझाव हों जिसे मंत्री जी मान सकते हैं तो वह दे देने चाहिये । जैसा कि हमारे भाई ने सुझाव दिया कि १८ साल की उम्र के बजाय २१ साल कर दिया जाय, या माननीय रामहेत ने रखा कि ५ मील का एरिया बहुत ज्यादा है और यह मैं भी जानता हूं कि ५ मील तक काश्तकारों के लिये अपना काम छोड़ कर दूसरे गांवों में जाना बड़ा मुश्किल है, तो अगर एक मील का एरिया रखा जावे तो बहुत अच्छा होगा और इससे सुविधा होगी और लोगों को ज्यादा दुश्मनी निकालने का मौका नहीं होगा ।

तीसरी बात मुझे जो कहनी है वह यह कि इसमें फसलों के अलावा अगर बागों को भी शामिल कर लिया जाय तो मन्त्री जी का बहुत ही बड़ा धन्यवाद होगा । बागों में भी कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट लाखों रुपया खर्च कर रही है । होता यह है कि जहां पर बागों का झुंड होता है, १० आदमियों के बाग एकट्ठा होते हैं तो कुछ आदमी तो अपने बागों को स्प्रे करा देते हैं और कुछ आदमी नहीं करते हैं, जिसमें स्प्रे नहीं होता है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बाताराम]

और जिन्हों ने स्प्रे किया हुआ है या गवर्नमेंट का खर्च हुआ है या बाग वालों ने खर्च किया है तो वह सब नष्ट हो जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह किसी तरह से इसमें बागों को भी शामिल कर लें या इसके लिये कोई दूसरा बिल ले आयें, यदि इसमें शामिल न हो सकते हों तो बड़ी कृपा होगी। हमारी गवर्नमेंट बागों के लिये सुविधा देने के लिये तैयार है और काफी खर्चा हो भी रहा है और इसमें नये नये तजुर्बे हो रहे हैं।

एक बात जो माननीय उपाध्याय जी ने कही कि उनके इलाके में चूहों का बहुत जोर है। यह बात सही है कि चूहे बहुत सी फसल बरबाद कर देते हैं। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से काफी प्रबन्ध है फिर भी इसके लिये आवश्यक प्रबन्ध होना चाहिये। कीड़ों के अलावा बहुत से जानवर हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं। जैसा कि माननीय रामहेत सिंह जी ने कहा कि नीलगायों के अलावा बहुत से लोग अपनी गायों को खुला छोड़ देते हैं और वह मजे से उनका दूध पीते हैं और वह गायें फसल को नष्ट करती हैं तो इसका भी कुछ न कुछ प्रबंध होना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुये अगर ५० रुपया जुर्माना है तो बहुत मुनासिब है और १०० रुपये भी हो सकता है। लेकिन हमें इस बात की कोशिश करना चाहिये कि कोई बेगुनाह आदमी न मारा जाय या दुश्मनी की वजह से किसी पर जुरमाना न हो जाय या जिससे आफिसर्स नाराज हों वह किसी को फंसाने की कोशिश न करें। इसका भी इसमें कुछ न कुछ प्रबन्ध होना अत्यंत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन सुझाव दिये हैं। एक तो यह कि ५ मील के एरिया के बजाय १ मील का एरिया रख दिया जाय। दूसरा यह कि बागों को भी इसमें शामिल कर लिया जाय और तीसरा यह कि १८ साल के बजाय २१ साल की उम्र रखी जाय। यदि यह हो जाय तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष ने श्री राजनारायण का नाम पुकारा)

श्री रामअवध सिंह (जिला गोरखपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, अब इस छोटे से विधेयक पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है, इसलिये मैं क्लोजर मूव करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस लिये अभी से क्लोजर मूव नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं श्री राजनारायण जी का नाम ले चुका हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इसीलिये कि कल की सी परिस्थिति न पैदा हो, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछ लिया था कि आज क्या इस विधेयक के अलावा और भी कुछ काम सदन में होगा, तो उन्होंने जो संकेत किया, उस से यही अर्थ निकलता था कि नहीं होगा। वाद विवाद श्रीमन्, दोनों पक्षों के हो चुके हैं। एक पक्ष वह जो कहता है कि वर्तमान विधेयक इसी रूप में इस सदन से पास होना चाहिये और एक पक्ष दूसरा जो कहता है कि नहीं वर्तमान विधेयक इसी रूप में इस सदन से पास नहीं होना चाहिये।

माननीय राम नारायण जी त्रिपाठी ने अपने तर्क को पेश करते हुये यह साफ़ कहा था कि वर्तमान रूप में वर्तमान विधेयक को सदन से पास कराने की चेष्टा सरकार की ओर से नहीं होनी चाहिये। माननीय जोरावर वर्मा जी ने जब इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी में ले जाने की बात कही तो उनका भी दृष्टिकोण यही था कि इस विधेयक में जो खामियां हैं, जो दोष और जो त्रुटियां रह गयी हैं वह सिलेक्ट कमेटी में जा कर संशोधित हो जायं। जहां तक राम नारायण जी और जोरावर वर्मा के तर्कों को देखता हूं तो उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं पाता हूं। इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के सम्बन्ध में तो सम्मानित सदस्य जो इस पक्ष के हैं कि वर्तमान स्वरूप में वर्तमान विधेयक सदन से पास होना चाहिये और जो दूसरे पक्ष के हैं कि वर्तमान विधेयक वर्तमान स्वरूप में सदन से पास नहीं होना चाहिये

तो दोनों पक्ष के माननीय सदस्य इसके उद्देश्य और कारणों से सहमत हैं। तो जब उद्देश्य और कारणों से सहमत रहते हैं और आप के इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की बात करते हैं या उसी उद्देश्य और कारणों की पूर्ति के लिये 'परिवर्तित स्वरूप में विधेयक लाने की बात करते हैं तो उस पक्ष की ओर से जो बहुत ही लालायित होकर शीघ्रता के साथ आज ही सदन से इस को पारित करना चाहते हैं, यह तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज कीटाणु से फसल को जो नुक्सान हो रहा है वह उसे नहीं होने देना चाहते हैं। श्रीमन्, मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज प्रान्त में फसलों को कीटाँणुओं के द्वारा बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले जब कि सदन का कार्य नहीं चल रहा था प्रान्त के पूर्वी जिलों का दौरा कर रहा था। कुछ ऐसे स्थानों पर भी गया जहां पर ७, ७ एकड़ और ४, ४ एकड़ गन्ने की फसल जो बोई गई थी, उस को दीमक चाट गयी थी। वे किसान बेचारे जो गन्ना खरीद कर तकावी ले कर फसल बोये थे, उनमें हाहाकार की भावना पैदा हो गयी थी। इसके पहले भी श्रीमन्, मैंने, कृषि मंत्री जी की सेवा में कई बार पत्र भेजे हैं और प्रान्त की फसलों को जो नुक्सान हो रहा है उस की ओर मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है। मैं अभी माननीय मंत्री जी के यहां आने के पहले एक फाइल देख रहा था। मैंने माननीय मंत्रीजी से यह भी निवेदन किया था कि वर्तमान ढंग पर जो सरकार की ओर से हर जिले में कृषि के अफसर बैठे हुये हैं, उन अफसरों से भी इन कीटाणुओं के नाश का काम लिया जा सकता है। दवाइयां बाटी जा सकती हैं। और उन दवाइयों को बांट कर किसानों को कष्ट से उबारा जा सकता है। श्रीमन्, इस सदन में भी इसके पूर्व काफी चर्चा हुई है और मैंने निवेदन किया था सरकार से कि कहीं कहीं पर जिलों में जो एग्रीकल्चर के अफसर हैं वह कहा करते हैं कि दवाई का दाम दो और दवाई का दाम १० रुपया ८ रुपया और ४ रुपया एकड़ देकर खेतों में छिड़कों। किसान उस दवाई को ले कर खेत में छिड़क देते हैं और उस के लिये रुपया खर्च कर देते हैं। तो जब तक आस पास के अन्य खेतों में भी दवाई का छिड़काव न हो और छिड़काव हो कर कीटाणुओं का नाश न हो, तब तक उससे फायदा होने वाली बात नहीं होती। मैंने सरकार से कई बार निवेदन किया कि किसान बेचारा बहुत से टैक्सों को देते देते बड़ा परेशान हो चुका है। इतना रुपया सरकार के खज़ाने में किसान भेज चुका है कि यदि किसान के ऊपर आज यह कीटाणुओं के कारण फसल के नुक्सान होने के कष्ट को लादना चाहते हैं तो उनके कीटाणुओं के नाश के लिये सरकार की ओर मुफ्त दवाई का प्रबन्ध होना चाहिये। मुफ्त दवाई का प्रबन्ध हो कर वह छिड़काव करें ऐसी व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र होनी चाहिये जिससे किसानों की फसल का नुक्सान न होने पाये। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार को जो प्रयत्न उधर करना चाहिये था सरकार उस में पूरी पूरी असफल रही है और सरकार की ओर से कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित हो चुके थे और जो क्षेत्र ओले से पीड़ित हो चुके थे और वहां पर लगान में छूट दी जा चुकी है वहां फसल के लिये जब मैंने सरकार से निवेदन किया —इतनी बात ज़रूर है कि सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह डाइरेक्टिव दी कि फौरन दवाई दो और बिना दाम जमा किये दवाई लोगों को दी जाय और उस दवाई के दाम को जब फसल हो तब वसूल किया जाय। हमने अपने दफ्तर से किसानों को यह सूचना भिजवाई कि वे बिना दवा का दाम दिये हुये दवा छिड़कवा सकते हैं। लोग गये, दवा छिड़कवाई, दवा छिड़की गई, लेकिन वह कारगर नहीं हुई। और उनकी फसल मारी गयी। अब बहुत से किसानों से उस दवा का दाम वसूल किया जा रहा है। कई किसानों के प्रतिनिधि मंडल हम से आ कर मिले हैं। बराबर यह कहा जा रहा है कि हमारी फसल का नुक्सान हो गया, दवा जो छिड़की गयी वह हमारी फसल को न बचा पायी। दूसरा कारण यह भी कि दूसरे खेतों में नहीं छिड़की गयी। इसलिये मेरा कहना है कि सरकार को ऐसी तमाम दवाइयों के दाम जो आज किसानों पर बकाया हैं, माफ कर देना चाहिये क्योंकि उनका बहुत नुक्सान हुआ है, किसानों को उन दवाइयों का समुचित फायदा नहीं पहुंच पाया है। सरकार ने जब दवाइयां छिड़की तो कीटाणु इतने प्रबल हो चुके थे कि दवा ने कार्य नहीं किया। और सरकार की ओर से जो

[श्री राजनारायण]

यह परिपत्र भेजा गया वह बहुत देर से भेजा गया वह बहुत देर से भेजा गया और इतना विलम्ब हो गया कि वह प्रबल कीटाणुओं पर कारगर न हो सकी। यह प्रान्त की हालत है, फसल को नुक्सान होता है, नये नये ढंग के कीटाणु पैदा हो रहे हैं, उनका कारण क्या है इसके बताने का न तो समय ही है और न इस समय उसकी उपयोगिता। इस समय मैं केवल इतना कहना चाहता हूं क वर्तमान विधेयक जो प्रस्तुत है उसी की कुछ धाराओं को माननीय मंत्री जी की सेवा में अपने ढंग से रखना चाहता हूं और इस विधेयक के वर्तमान स्वरूप में पास होने देने में क्या आपत्ति है यह बता देना चाहता हूं। मैं यह साफ बता देना चाहता हूं कि बड़ी प्रसन्नता होगी हमें, यदि सरकार किसानों की फसलों को नुक्सान होने से बचा ले और जो कीटाणु पैदा होते हैं उन्हें नष्ट कर दे। बड़ी प्रसन्नता होगी हमें, अगर सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करे कि वे कीटाणु जन्म ही न लेने पायें। बड़ी प्रसन्नता होगी, यदि वह ऐसी व्यवस्था करें कि नये नये ढंग के जो दूसरे स्थानों से कीटाणु आ रहे हैं वह भी न आने पायें। लेकिन आप को यह जो वर्तमान विधेयक प्रस्तुत है क्या उस के द्वारा हम किसानों की फसल को नुक्सान होने से बचा सकते हैं। और दूसरा प्रश्न यह भी है कि अगर वह बचा भी सकती है तो उस बचाने की एवज़ में सरकार किसानों से क्या लेना चाहती है। अपनी फसलों को बचाने की भावना को ले कर किसान सरकार की सहायता प्राप्त करता है उस के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस वर्तमान विधेयक का इसको मैं सदन के सामने अच्छी तरह से रख देना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं यह भी बता देना चाहता हूं जैसा कि माननीय रामेश्वरलाल जी ने इस सदन को बताया कि सरकार के पास पहले भी इतने अधिकार थे कि यदि सरकार चाहती तो किसानों को बहुत राहत मिलती। सरकार की ओर से जितनी भी पुस्तकें और बुलेटिन इस सम्बन्ध में प्रकाशित हुये, उन सब में यही कहा गया था कि जनता का सहयोग प्राप्त है। सरकार की ओर से इन बुलेटिनों में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि जनता का सहयोग प्राप्त हुआ है कीटाणुओं को नष्ट करने में। जो सरकारी विज्ञप्तियां समय समय पर निकलती हैं उनमें यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि दवाइयों और साधनों की इस मामले में कमी रही है, जनता के सहयोग की कमी नहीं रही। इसलिये यह जनता के असहयोग की भावना को ले कर जो विधेयक यहां लाया जा रहा है वह वस्तु स्थिति नहीं है। कहावत है--हित अनहित पशु पक्षिहु जाना। अपने हित और अपने अहित को पशु पक्षी भी जानते हैं। अपनी फसल को बचाने के लिये, उस के लिये सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिये कौन सा ऐसा किसान होगा जो आगे न बढ़ेगा और कौन सा ऐसा किसान होगा जो सरकार की सहायता को ले कर प्रसन्न न होगा। किसान तो दौड़ेगा, लालायित होता जायगा, प्रसन्नता के साथ जायगा कि सरकार सहायता दे रही है और हम सरकारी सहायता लें। मैंने जिन जिन जगहों का भ्रमण किया, मुझे कहीं भी जनसहयोग की कमी नहीं मालूम हुई है, कहीं भी जनता उदासीन भाव की नहीं मालूम पड़ी, बल्कि जनता की ओर से बार बार प्रयत्न होता रहा है, जिलाधीश के सामने आवेदन पत्र दिये जाते हैं, और आवेदन पत्र देने के बाद भी जब सरकार की ओर से कीटाणुओं को नाश करने का समुचित प्रयत्न नहीं होता, तो जिलाधीश के बंगले पर कुछ जिलों में प्रदर्शन भी हुये हैं, केवल इस सवाल को ले कर कि हमारे यहां फसल मारी जा रही है, हमारे यहां की फसल कीटाणुओं द्वारा नाश की जा रही है। इन तमाम बातों के रहते हुये भी श्रीमन्, जब सरकार कहती है कि जनसहयोग की कमी है, इसलिये हम इस विधेयक को लाते हैं और जनसहयोग की इस कमी को राजकीय दंड से पूरा करना चाहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। मुझे प्रसन्नता है कि श्री रऊफ जाफरी साहब ने इस विधेयक पर अपना मत प्रकट किया और उन्होंने इस को शुरू किया। वे यदि अच्छे तरीके से देखेंगे और जनतांत्रिक भावना से देखेंगे तो मुझे यकीन है कि वे हमारी बात पर, हमारे ढंग पर चलने के लिये अपने को भी तैयार पायेंगे। जनसहयोग की कमी किस प्रकार की हो सकती है और उस को किस ढंग से पूरा कर सकते

हैं यह भी राजनीति के विद्यार्थियों के सामने प्रत्यक्ष है। जब जनसहयोग की कमी हो और सरकार दंडव्यवस्था से जन सहयोग प्राप्त करना चाहे तो क्या वह जनतांत्रिक प्रणाली है क्या इससे हम जनतांत्रिक परम्परा कायम कर सकते हैं? इससे हम डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन नहीं इस्टेबिलिश कर सकते हैं। जनतांत्रिक प्रणाली तो तभी स्थापित हो सकती है, तभी पनप सकती है, फल सकती है, फूल सकती है जब जनसहयोग की यदि कमी भी हो तो उस जनसहयोग की कमी को दूर करने का जनतांत्रिक तरीका अख्तियार किया जाये। जनसहयोग की कमी जो आज है भी नहीं उस को खड़ा कर इतना बड़ा विधेयक सदन में ला कर प्रस्तुत कर देना और उस विधेयक में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में इतनी शक्ति दे देना जिसको कहीं किसी कोर्ट में चैलेंज न किया जाय, इसका क्या माने है? हमारी फसल, हमने खेत को जोतने, बनाने और बोने में मेहनत की, तो हमको उस की चिन्ता नहीं है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो जिले के हेड क्वार्टर में बैठा है उस को हमारे लिये बड़ी चिन्ता होगी। ऐसी बात बुद्धि के अन्दर नहीं समा पाती।

अब दो व तीन धाराओं को श्रीमन्, देखा जाय कि सरकार क्षेत्र घोषित करेगी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट क्षेत्र घोषित करेगा, वह अपने पावर को ट्रांसफर भी कर सकता है, वह अपनी शक्ति किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी को डेलिटगेट भी कर सकेगा। जब उस की घोषणा होगी तो उस के लिये कोई आवश्यकता नहीं है कि वह कोई नोटिस निकाले, कोई पैम्फलेट छपवाये या समाचार पत्रों में प्रकाशित करावे बल्कि डुग्गी पिटवा देना ही उस के लिये बहुत काफी माना जायगा। खैर, जब ८वीं धारा को हम श्रीमन्, देखते हैं, श्रीमन् पेज ५ सामने निकालें, तो उस में तो यहां तक कहा गया है—

> "(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे।"

और फिर आगे कहा गया है—

> "(३) उपधारा (२) के अधीन दी गई कोई भी आज्ञा अन्तिम और निश्चयात्मक होगी तथा किसी भी विधि न्यायालय में उस पर आक्षेप न किया जा सकेगा।"

इस विधेयक के द्वारा इतना बड़ा अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्राप्त हो रहा है कि कोई भी आज्ञा वह दे सकेगा और वही फाइनल अधिकारी होगा। ऐब्सोलूयूट अथारिटी (पूर्णाधिकार) इन दिस रेसपेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी जा रही है। विधिवत् प्रतिष्ठित न्यायालय में जिलाधीश के आदेश के विरुद्ध कोई किसान नहीं जा सकता। यह क्या बात है। कोई भी जनतांत्रिक प्रणाली या परम्परा से परिचित होने वाला व्यक्ति क्या इतने बड़े अधिकार को जिलाधीश के हाथ में देने का पक्षपाती हो सकता है? मेरी राय में हर्गिज नहीं। इन्हीं बातों में महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश में एक-एक कलेक्टर गवर्नर से भी अधिक अधिकार रखने वाला है। कलेक्टर को जो अधिकार ब्रिटिश साम्राज्यशाही जन्य जमाने में थे वही आज भी हम देखते हैं और उनके बारे में पूज्य बापू ने कहा था कि यह कलेक्टर नहीं हैं, गवर्नर हैं। क्या जिलाधीशों को उस जमाने से किसी भी तरीके से अब कम अधिकार दिये जा रहे हैं? बराबर यह सरकार उनको अधिकार सौंपे चली जाती है और वह अधिकार सरकार की ओर से दिये जा रहे हैं। फिर यह कहा जाता है कि जब तक यह अधिकार नहीं दिये जायंगे तब तक वह जनता के सहयोग को प्राप्त न कर सकेगा, क्योंकि जिलाधीश के हाथ में राजकीय दंड होना चाहिये सत्ता की रक्षा के लिये। मैं तो समझता हूं कि यह तो जनतंत्र प्रणाली का हास्य है। यदि सदन के माननीय सदस्य जनतंत्र प्रणाली का हास्य कराना चाहते हैं, तो मैं क्या कहूं, क्योंकि बहुमत तो उधर है, हमारे कहने से क्या होता है।

[श्री राजनारायण]

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि यदि आप ५ वें पृष्ठ पर ९वीं धारा के तीसरे खंड को देखें तो उसमें लिखा है कि "उपधारा (१) के अधीन शास्ति मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।" सरकार फसल की हिफाजत करना चाहती है लेकिन फसल की हिफाजत हो या न हो, लेकिन जो उस पर खर्च होगा उसको जिलाधीश हर तरह से वसूल कर सकता है और ठीक उस तरह से वसूल कर सकता है जिस तरह से लैंड रेवेन्यू वसूल की जाती है। यों भी कहा गया है, अगर आप छठी धारा को पढ़ें तो वह यह है कि:

"जब धारा ५ के अधीन इस सम्बन्ध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी स्थल, जल अथवा भूगृहादि के निरीक्षण करने से यह ज्ञात हो कि धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय आदेशानुसार कार्यान्वित नहीं हो रहे हैं तो वह, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की किसी सामान्य अथवा विशिष्ट आज्ञा के अधीन, अध्यासी के व्यय पर उक्त निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय कार्यान्वित कर सकता है।"

इस धारा से स्पष्ट है कि यदि जिलाधीश ने किसी विषय में यह घोषित किया कि फलां क्षेत्र में कीटाणु हैं और उनका इस तरीके से नाश किसान को करना चाहिये और वहां के रहने वालों ने वह बताया हुआ तरीका न अपनाया या अपनाया इसका निर्णय भी अन्तिमरूप से जिलाधीश ही करेगा। अगर वह समझते हैं कि उनका बताया हुआ तरीका नहीं अपनाया गया है तो वह सामान्य तरीके से किसी से भी कह सकते हैं कि फलां ढंग पर कीटाणुओं, का नाश करो और उस आदेश के अनुसार जो अफसर भेजे जायेंगे और उनका जो खर्च होगा वह किसान से वसूल किया जायगा। वह जायज या नाजायज खर्च उस अधिकारी ने किया, उसके बारे में उस को फिर जिलाधीश के सामने ही जाना होगा, जिसके आदेश के अन्दर तथा कथित अधिकारी ने जा कर काम किया और उसी के पास जाकर हमें अपील करनी होगी और उसका आदेश फिर किसी दूसरे कोर्ट में चैलेन्ज न हो सकेगा। इस प्रकार की धारा को और ऐसे बिल को यदि सरकार हम से पास कराना चाहती है तो यह हमारे साथ घोर अन्याय है और सारे समाज के साथ घोर अन्याय है और साथ ही सब से अधिक प्रदेश के गरीब किसानों के साथ घोर अन्याय है जो कि फसल को लगाते हैं और काटते हैं। श्रीमन्, सातवीं धारा में बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि "धारा ६ के अधीन किसी भी निरोधशील अथवा औपचारिक उपाय का व्यय अध्यासी से मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल किया जा सकेगा।"

देखिये, कितना खर्च हो हमारी कितनी फसल बचे, फसल बचे चार रुपये की और ५० रुपये खर्च कर दिये अधिकारी ने, तो श्रीमन्, ५० रुपये ले लिये जायेंगे। माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि क्या कोई अधिकारी इतना बड़ा मूर्ख है कि ऐसा कर देगा। यह दूसरी बात है लेकिन जो धारा में है मैं उसे कह रहा हूं कि आज जिस तरह की हालत है उसको देखते हुये हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि चाहे हमारी फसल बचे या न बचे हमसे रुपया वसूल किया जायगा। तो मैं जब यह कहता हूं कि इस धारा के अन्दर क्यों ऐसी बात होने देते हैं जिससे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का अधिकार इतना बड़ा और फायनल हो जाय कि वह किसी के साथ कोई भी न्याय और अन्याय भी कर दे तो उस की अपील कहीं न हो। यही तो विधेयक है और जब इस विधेयक के लिये माननीय रामनारायण जी कहते हैं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करके जल्दी से एक बिल लाये तो यह तर्क पेश किया जायगा कि जो कीटाणुओं का नाश होने जा रहा है उस को हम नहीं होने देना चाहते हैं। यह कितना लचर तर्क है, कितना निर्बल तर्क है और सबल तर्क को निर्बल और निर्बल तर्क को सबल बनाया जाता है। अब उस के बारे में हम करें क्या? जनता ने जिस तरह से शासक दल बनाया है, जिस तरह से हुकूमत को उस ने बनने दिया है, उस का फल जनता भी भोगेगी और हम भी भोगेंगे।

इसके बाद सद्भावना की बात कही गयी है। सद्भावना अच्छी बात है। कौन सद्भावना को पसन्द नहीं करता है, मगर यह सद्भाव है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा।

सरकार के जितने काम होते हैं वह सब सद्भावना के होते हैं। चाहे स्पेशल पावर्स ऐक्ट, १९३२ को ले कर डाक्टर राममनोहर लोहिया और ३ हजार आदमियों को गिरफ्तार किया जायगा तो वह भी सद्भावना से होगा। नहर रेट बढ़ा दिया जायगा वह भी सद्भावना से होगा। बिक्री कर बढ़ा दिया जायगा वह भी सद्भाव से होगा, चकबन्दी कर बढ़ा दिया जायगा वह भी सद्भाव है, बिजली कर बढ़ा दिया जायगा वह भी सद्भाव से ही किया जायगा, हाउस टैक्स बढ़ रहा है वह भी सद्भाव से ही। मतलब यह कि सरकार के जितने कार्य-कलाप हैं श्रीमन् वह सब सद्भाव की श्रेणी में रख दिये जाते हैं। और अब यह सद्भाव हमारे साथ इस विधेयक के अन्दर भी बरता जाने वाला है और उस सद्भाव की धारा को मैं आप की सेवा में पढ़कर सुना देना चाहता हूं। धारा १० इस प्रकार है :—

> "राज्य सरकार अथवा उसके किसी भी अधिकारी के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भाव से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के सम्बन्ध में अथवा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में सद्भावना से किये गये किसी कार्य से उत्पन्न किसी क्षति के लिये कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।"

सुन लीजिये, सरकार सचेत है और वह इस बात को जान रही है कि सद्भाव से भी जो कार्य किये जायेंगे, हो सकता है कि उससे किसान को क्षति पहुंचे। उस क्षति की पूर्ति का कोई साधन नहीं निकाला जा सका है। अगर सरकार यह कहती कि सरकार से या सरकारी कर्मचारियों के जरिये जो सद्भाव में कार्य किये जायंगे यदि उनसे किसानों की कोई क्षति हो जायगी, उस क्षति की पूर्ति सरकार करेगी तो मैं बड़ा प्रसन्न होता और उस क्षतिपूर्ति के लिये सरकार को धन्यवाद देता। मगर सरकार तो यह कह रही है कि ये भी यदि सद्भाव से किये गये हैं तो कहीं कोई बात या मुकदमा चल ही नहीं सकता, कोई अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती। इसको कौन तय करेगा कि किसी अधिकारी ने सद्भाव से हमारी फसल को नष्ट किया है या दुर्भाव से फसल को नष्ट किया है, सरकार की ओर से इसका कोई समुचित उत्तर आना चाहिये। बार-बार यह कह दिया जाता है कि सद्भाव से जो काम होगा, वह अच्छा होगा। लेकिन ये सद्भाव और दुर्भाव ऐसे शब्द हैं कोई मूर्तिमान स्वरूप तो है नहीं, जिससे कोई निश्चित निर्णय निकाला जा सके। हम तो यह कसौटी बनाना चाहते हैं यदि हमारी क्षति न हो, तब तो हम समझेंगे कि सद्भाव हुआ। यदि हम समझें कि क्षति हुई तो दुर्भाव हुआ। हम तो दुर्भाव नहीं भी कहना चाहते। केवल एक वाक्य से किसानों को काफी राहत मिल सकती है बशर्ते यह कर दिया जाय कि जो क्षति होगी उसकी पूर्ति स्वयं सरकार करेगी। अब श्रीमन्, आज जो प्रस्तुत विधेयक है, आपने इसमें स्वतः देखा होगा कि जितना किसानों को इससे फायदा होगा कीटाणुओं से उनकी फसल का बचाव होगा उससे अधिक डर और दहशत उसको पैदा होगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में इतने असीम अधिकार जाने से। मैं चाहूंगा जैसा कि माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य, रामलखन और दूसरे माननीय सदस्य इस बात पर संकेत कर चुके हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ज्यादा आभारी हूंगा यदि माननीय मंत्री जी इन दोषों और त्रुटियों को दूर कर के कोई समुचित विधेयक इस सदन में पेश करें। इसलिये कि समुचित विधेयक आये सरकार जल्दी न करे, जल्दी में आ कर कोई ऐसा विधेयक पास न कर दे जो किसानों के गले की फांसी के रूप में हो जाय। इसीलिये सम्मानित सदस्य रामनारायण जी ने कहा कि इसको फिर से सुनियोजित तरह से सदन में पेश करें। कहा जा सकता है कि इधर की फसल को नुक्सान होगा। इसलिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यदि इधर की फसल को बचाना है तो सरकार यह घोषणा करदे कि जिन जिन स्थानों पर फसल को कीटाणुओं के जरिये नुक्सान होता है यदि वहां के किसान उससे रक्षा चाहते हैं, त्राण चाहते हैं तो जिले का कृषि विभाग का कार्यालय मुफ्त दवा देगा और उस दवा के बांटने में सरकारी कर्मचारी सरकारी साधनों का प्रयोग वहां जा कर करेंगे। केवल एक आर्डर, एक आदेश से जिन किसानों की फसलों को कीटाणुओं द्वारा नुक्सान हो

[श्री राजनारायण]

रहा है उससे वे अपना उद्धार कर सकेंगे। इस विधेयक के जरिये जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इतनी बड़ी पावर दी गयी है, उससे किसानों का उद्धार नहीं हो सकता, किसानों की तरक्की नहीं हो सकती, फसल की हिफाजत नहीं हो सकती, हां अगर सरकार की ऐसी कोई मंशा है जो इस सदन में, प्रकट न हुई हो तो उस को वह पूरा कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—एक माननीय सदस्य प्रस्ताव पेश कर चुके हैं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय। इस बीच में मेरे पास कुछ पत्र और आये हैं जिनमें लिखा है कि वे बोलना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य अब भी अपने प्रस्ताव को पेश करना चाहते हैं या वापस लेने को तैयार हैं।

सदस्यगण—वे तो चले गये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल पर जब सरसरी नजर डाली, तो मुझे बड़ा खेद हुआ। उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर में इस तरह का अगर कोई अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है तो मैं समझता हूं कि वह कोई अच्छा काम नहीं होगा। हां, अगर कोई जनता के विकास के स्तर को, वस्तुस्थिति का कोई ख्याल न करे तब तो और बात है वर्ना समय से बहुत पहले यह बिल इस लेजिस्लेचर में पेश कर दिया गया है। मैं चाहता हूं और माननीय मंत्री से यह दरख्वास्त करूंगा कि मुल्क की वस्तुस्थिति को देख कर हमें यह उचित मालूम होता है कि इस बिल को इस समय पर कतई पास न किया जाय। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सारे देहात में सारी जनता गरीबी से पीड़ित है। हमारे पंचायत राज में लोगों के दल बन चुके हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बन चुकी हैं और उसमें एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध की भावना, और ईर्ष्या की भावना बहुत हद तक बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर इस प्रकार का बिल कानून बनाया जाता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां हम मुल्क के लिये एक चीज वरदान के रूप में देना चाहते हैं वह मुल्क के लिये एक अभिशाप साबित होगी। जिन महाशय ने इस बिल को लाने की कोशिश की है, मैं उनकी उचित भावनाओं का आदर करते हुये यह बतलाना चाहता हूं कि यह सफल नहीं होगा। दूसरे, जनता की जो आदतें हैं, जनता के जो कस्टम्स हैं उनको हमने देखने की कभी भी कतई कोशिश नहीं की। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सौंप देना, इस प्रकार का कानून बना देना कि हमारे सरकारी अधिकारी जो कोई भी कार्यवाही कर दें, और जिस किसी पर जुर्माना कर दें, जानकर या अनजानकर, तो उनके खिलाफ कोई भी अदालत में कार्यवाही नहीं की जा सकती, उसके प्रतिकूल कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है, कोई भी कानून का जानने वाला आदमी इस जमाने में इस बात को एक्सेप्ट करने के लिये कतई तैयार नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस तरह की धारायें जिस अधिनियम में रख दी गयी हैं वह अधिनियम उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट के लेजिस्लेचर से नहीं पास होना चाहिये, अगर वह पास होता है तो मुझे बड़ा दुख होगा। मैं समझता हूं कि जो धाराएं इसके अन्दर इस तरह की रखी गयी हैं वह कतई इस हाउस में डिस्कस होने के काबिल नहीं हैं। अगर हम उन पर अधिक रोशनी डालते तो हमें शक होता अपनी बुद्धि पर, अपने विचार पर। गुजिश्ता ज़माने की जो कमियां और खामियां हैं, मैं समझता हूं कि हमें उनके अनुभवों से कुछ सीखना चाहिये। हमें उनके तजुर्बे से लाभ उठाना चाहिये, जो कौमें तजुर्बे से लाभ नहीं उठातीं वह तबाह हो जाया करती हैं, वह अपने कृत्यों से अपने पावों में जंजीरें डालती हैं, उनका बनाया हुआ फंदा ही उनके गले का फंदा बन जाता है और उनके कानून ही उनके लिये फांसी बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस बिल को फौरन वापस लिया जाय और अगर आप समझते हैं कि जरूरी है तो इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। इसमें पार्टी पालिटिक्स की कोई बात नहीं है।

(इस समय ४ बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

हम जनता के हित के लिये कानून बनाते हैं। हम पार्टी का कोई दृष्टिकोण इस लेजिस्लेचर में नहीं रखना चाहते और जो साहब यहां कहेंगे कि पार्टी का दृष्टिकोण है, मैं उनका विरोध करूंगा और जोरदार शब्दों में विरोध करूंगा। हम राष्ट्र के उत्थान के लिये हैं, हम जनता को सुभीता पहुंचाने के लिये, हैं, उनकी बीमारियों को दूर करने के लिये हैं। हमे पार्टी पालिटिक्स की दलदल में नहीं फंसना चाहिये और इसमें कोई विचार पार्टी पालिटिक्स के नुक्तेनजर से नहीं होना चाहिये। हमें जनता को आराम पहुंचाने के लिये उन्हीं बातों को, आगे बढ़ाने के लिये कदम उठाना चाहिये जो कि जनता को सही तरीके से फायदा पहुंचा सकती है। मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को सौंपना, आज के जमाने में जब कि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो लोग ऐसी बातें सोच सकते हैं, मैं उनके दिमाग़ की विचार शक्ति का विरोध करना चाहता हूं। इस सदन में हमें यह बातें आज कतई पसंद नहीं। डेमोक्रेसी के खिलाफ बाते करना यह हमारे कांस्टीट्यूशन का अपमान है। इस तरह की बातें इस सदन में कतई पास न होनी चाहिये। मैं न्याय के साथ दरख्वास्त करूंगा कि अगर हमारे कांस्टीट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ कोई ऐसा अधिनियम हो, चाहे वह किसी भी पार्टी के तरफ से आये, किसी बात के लिये भी हो, उसके लिये इस सदन में बहस करने की इजाजत हरगिज नहीं मिलनी चाहिये। जब कि हमारे लोग आज आजादी के लिये तरसते हैं, अगर हम उनके विचारों को सीमित कर दें तो ऐसा करके हम अपने राष्ट्र के प्रति और कांस्टीट्यूशन के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। हमें दूरंदेशी से काम लेना होगा। मैं बताना चाहता हूं कि प्रचार किया जायगा कि कांग्रेस पार्टी ने यह कानून जनता को कुचलने के लिये किया है। इस तरह की बातें जनता के सामने पेश की ही नहीं जानी चाहियें। और मैं निहायत अदब के साथ मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। हम लोग कानून बनाने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, सुधार भी करते हैं, इसमें तो हमारी इज्जत है, हमारा सम्मान और हमारी जनता का हित इसमें सुरक्षित होगा कि यह बिल वापस ले लिया जाय। मैं क्षमा चाहूंगा यदि उनको चोट पहुंची हो तो ऐसी कोई बात नहीं होनी नहीं चाहिये। यह तो तर्क है और जो उदासीन हों वे गलत तरीके से उदासीन होते हैं, उसके लिये भी क्षमा चाहता हूं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, इतने जोशीले भाषण के बाद मेरे लिये कठिन हो जाता है कि इस विधेयक के पक्ष में मैं क्या तर्क पेश करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ माननीय रावत जी के भाषण को सुन कर। उन्होंने तो ऐसी बातें कहीं, और ऐसे-ऐसे तर्क उपस्थित किये जो एक वकील के मुंह से अच्छी नहीं लगीं और मैं जानता हूं वे वकील हैं उनको ऐसी बातें इस विधेयक पर हम समझते ह कहने का अवसर नहीं था। वे तो माननीय राजनारायण जी से दो क़दम आगे बढ़ गये, जो माननीय राज नारायण जी ने भाषण दिया था मैं समझता हूं कि उनको भी माननीय रावत जी ने मात कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ हद तक माननीय राज नारायण जी की बातों का समर्थन करता हूं, मैं स्वयं किसान हूं और खेती हमारे यहां भी होती है। हमने स्वयं देखा है कि पचीसों बीघे धान की फ़सल खड़ी है और सब की सब साफ हो जाती है कीटाणुओं के कारण। ऊंख की फ़सल के खेत के खेत सत्यानाश हो जाते हैं। माननीय रामेश्वर लाल जी ने भाषण देते हुये कहा था कि इसे विधेयक के द्वारा किसानों को मजबूर करना, किसानों पर प्रतिबन्ध लगा देना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गवर्नमेंट ने स्वीकार की है अपनी विफलता इस माने में कि जनता का सहयोग उसको प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने कई किताबें पढ़ीं और सूचना विभाग से रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई है उनको भी पढ़ा और यह कहा कि जनता ने हर बात में सरकार का सहयोग दिया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न किया कि एक तरफ तो कहा जाता है कि जनता ने सहयोग किया है और दूसरी तरफ इस विधेयक के उद्देश्य में यह वर्णन किया गया है कि जनता सरकार से सहयोग नहीं करती है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा सदन को बताना चाहता हूं कि जिस समय जनहित का कोई कार्य करने का जनता के लिये प्रश्न आता है उसकी

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

स्थिति दूसरी होती है और फिर खड़ी फ़सल को बर्बाद करने को जब कहा जाता है तो उस वक्त परिस्थिति दूसरी हो जाती है। हम जानते हैं कि फ़सल बर्बाद हो रही है, हम जानते हैं कि फसल को नुक्सान होगा, लेकिन हमारी जो खुदगर्जी है वह हमें रोकती है अपनी खुदगर्जी का प्रश्न जब हमारे सामने उपस्थित होता है तो यह देखा गया है कि लोग समझते हैं, मुमकिन है दो ही मन हो जाय, तो दो मन भी छोड़ने के लिये आदमी तैयार नहीं होता है। तो इससे हमारी सरकार की विफलता नहीं है, सरकार की विफलता उस में नहीं है। इस विधेयक के उद्देश्य में जो कहा गया है वह बिलकुल सफ़ाई के साथ कहा गया है कि जहां तक मनुष्य के स्वार्थ पर आघात पहुंचता है, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा, तो उस आज्ञा को मानने के लिये वह तैयार नहीं होता है इस विधेयक के उद्देश्य में साफ़ लिखा हुआ है कि किसान अपनी फसल नष्ट करने को तैयार नहीं होता है जिसका नतीजा यह होता है कि कीटाणु बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार और खेतों की फसल भी सत्यानाश हो जाती है। कई माननीय सदस्यों ने यहां तक कि बन्दरों का जिक्र कर दिया, जंगली पशुओं का जिक्र कर दिया मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने भी कानूनी पेशा किया है, रेलेवेन्सी का भी बड़ा खयाल होना चाहिये। असम्बन्धित बातें कहना उचित नहीं है, कहां पर ये कीटाणुओं की बातें हैं और कहां पशुओं की बातें करना कि पशुओं से नुक्सान होता है फसलों को। उसके लिये गवर्नमेंट से कहिये कि विधेयक लावे, लेकिन जो विधेयक प्रस्तुत है यह तो कीटाणुओं के सम्बन्ध में है न कि बंदरों, सुअरों के सम्बन्ध में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह जनहित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है और उपयोगी है और मैं तो यह समझता हूं कि इसके लाने में देर हुई है। गवर्नमेंट को चाहिये था कि इस किस्म का विधेयक बहुत पहले आ गया होता। हम देखते हैं कि यदि एक आदमी के खेत में कोई रोग लग जाता है, कोई कीटाणु आ जाता है यदि तत्काल उसका नाश कर दिया जाता है तो उसका फायदा होता ही है। एक लाभ यह भी होता है कि रोग फैलता नहीं। नतीजा यह होता है बहुत फसल बच जाती है। दीमक के बारे में कहा गया कि ऊख में दीमक लगता है और भी बहुत से रोग लग जाते हैं, तो क्या फसलों को रोगों से बचाने के लिये कोई कार्यवाही न की जाय? इसी उत्तम अभिप्राय से इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है और सदन के हर एक सम्मानित सदस्य का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इसका समर्थन करे। खंड १० की तरफ माननीय राजनारायण जी ने भी इशारा किया था और माननीय रावत जी ने भी उसी खंड १० की तरफ बहुत जोरों से ध्यान आकर्षित किया उसमें यह लिखा हुआ है कि सद्भावना से यदि कोई फस्ल नुक्सान की जाती है, और उसमें किसी क़िस्म का नुक्सान भी हो जाता है और यदि इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो वह अधिकारी इसके लिये लायबिल नहीं होगा। जिलाधीश या अन्य किसी अधिकारी पर कोई सूट दायर नहीं किया जा सकता। माननीय रावत जी ने बड़ा जोर दिया और कहा कि उस किस्म की शर्त और धारा इस विधेयक में लाना डिमाक्रेसी के विरुद्ध है और इसका विरोध होना चाहिये। लेकिन मैं कहता हूं कि वह बिलकुल जरूरी है, निहायत जरूरी है। यदि खंड १०, मैं कहूंगा निकाल दिया जाय तो इस विधेयक का जो मंशा है वही समाप्त हो जायगा, क्योंकि नेकनीयती के साथ, सद्भावना के साथ है। यह जानते हुए कि यह कार्य उत्तम है, यदि किसी अधिकारी ने एक काम कर दिया और फसल बरबाद कर दी गयी और यदि सेक्शन नही रखा जाता है इसमें तो नतीजा यह होगा कि अदालत में मुकद्दमात दाखिल होने लगेंगे। बहुत से आदमी, खास तौर से देहात में इस तरह के होते हैं जो एक न एक खुराफात करके लोगों को तबाह और परेशान करते हैं वैसे लोगों की बन जायगी। चाहे उनका १० रुपये का नुक्सान हो तो वह एक हजार रुपया बतायेंगे और सिविल सूट्स और इस किस्म के दायर करने लगेंगे। अतः खंड १० का रहना जरूरी है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। योंही इस विधेयक पर ज्यादा समय ले लिया गया है। मैं

मानता हूं जैसा कि माननीय राम लखन मिश्र ने प्रातःकाल कहा था कि इस बिल में जो बनाया गया हैं कुछ डिफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन यह डिफेक्ट्स ऐसे हैं जो दूर किये जा सकते हैं। मेरा तो कहना यह है कि गवर्नमेंट को इस विधेयक के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार जरूर रखना चाहिये और नियम अवश्य बनने चाहिये। जब नियम बनें तो इस हाउस में आवें, उनमें हम चाहें तो तरमीम कर सकते हैं। नियमों के द्वारा, जो इसमें बुराइयां आ गयी हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो यह प्रस्ताव किया गया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं। यह बहुत अच्छा विधेयक है और इसको तुरन्त पास कर देना चाहिये।

श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं कृषि मंत्री जी को इस भावना के लिये धन्यवाद देता हूं जिससे ओतप्रोत हो कर उन्होंने इस विधेयक को रखा है, परन्तु दफा ७१ और ७५ को नहीं भूलना चाहिये। हमारी सरकार ने जिस भावना से वह दफायें बनायी थीं, उसका उलटा फल निकला। और सरकारी पार्टी ने उसके उल्टे माने लगाने और लाखों किसान इस दफा ७१ और ७५ में बेदखल हो गये जिनके लिये कांग्रेस गवर्नमेंट ने दुबारा पदासीन होने पर विधेयक बनाया और किसानों को जमीनें लौटाईं। लेकिन विधेयक में यह कहा गया है कि जिसकी फसल खराब हो वह कुल नष्ट कर दी जाय, वह मेरे ऐसा किसान हो या किसानों के बीच में रहने वाला खेतिहर मजदूर हो, उसके गेहूं के खेत में कोई रोग लग गया हो तो उस की सारी फसल नष्ट कर दी जाय और उस को जला दिया जाय और किसान को उसके उठाने का दंड भी देना पड़े तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि वह उस खेत को काटकर जानवरों को खिला सकता है और दूसरे लोगों के हाथ बेच भी सकता है और लोग जानवरों को खिलाने के लिये उसको काट कर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उसका कुल खेत काट कर बहा देंगे और वही उसका अकेला खेत हो और उसके ढोने के लिये और उसको दंड भी देना पड़े तो वह कहां से लायेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है।

दफा १० के लिये माननीय व्रजविहारी मिश्र ने कहा कि इसमें सद्भावना लिखा है तो यदि कोई सद्भावना से काम करेगा तो वह किसान वाद ही क्यों प्रस्तुत करेगा। अगर दुर्भावना से कोई चीज को गई है तो वह वाद प्रस्तुत करेगा। अगर कोई अफ़सर नाराज है या गांवों में पार्टीबाजी होती और किसी अफसर को मिला कर किसी की अच्छी फसल को रोगी करार दे कर वह नष्ट करता है तो उस के लिये यह रहना चाहिये कि वह वाद प्रस्तुत कर सके। जैसे कि हमारे यहां ज्वार में एक कीड़ा लग जाता है जो रुपये में दो आने या चार आने भर नुक्सान पहुंचाता है परन्तु इस विधेयक से सारा खेत नष्ट कर दिया जायगा यह हम नहीं मान सकते हैं कि किसान सब बेईमान होते हैं। किसान भी ईमानदार होते हैं और अफसर भी ईमानदार होते हैं, किसान और जनता यदि बेईमान होते हैं तो अफसर भी ज्यादा नहीं तो कुछ क्या बेईमान नहीं होते हैं? जैसे १०९ दफ़ा है। यह मैं नहीं कहता कि झूंठे ही पकड़े जाते हैं लेकिन यह भी मेरा दावा है कि सब सच्चे भी नहीं पकड़े जाते हैं। यदि सद्भावना से किसी का खेत काटा जायगा तो किसान पागल तो नहीं है; जो वाद प्रस्तुत करेगा वह सोच समझ सकता है। वोट के लिये तो आप कहते हैं कि किसान बुद्धिमान है तो खेती के लिये उसमें से रोग को हटाने के लिये क्या वह पागल हो सकता है। वह समझ लेगा कि हमारे खेत में रोग से नुक्सान हो रहा है तो जो उस रोग को नष्ट करता है उसके खिलाफ वह वाद प्रस्तुत नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी के दवाव में पड़ कर कोई सरकारी आदमी किसी की अच्छी फसल को नष्ट कर दे तो वह जरूर वाद प्रस्तुत करे। इसलिये यह दफा जरूर रहनी चाहिये।

इसके बाद यह कहा गया है कि ५ मील के अन्दर जो आदमी रहता है वही जो उपचार किया जाय या खेत में से कीड़ों को हटाने के लिये जो काम किया जाय, उसमें वह श्रम दे।

[श्री गुप्तार सिंह]

लेकिन जो ५ मील के बाहर रहता है वह ५ हजार एकड़ का फार्म करता है वह क्यों इससे बरी हो जाता है । उसको खर्चे वगैरह से बिल्कुल बरी कर दिया गया है । अगर किसी का ५ मील के बाहर मकान है और उसका फार्म ३०० बीघे का घोषित क्षेत्र के अन्दर है तो वह श्रम खर्चे से क्यों बरी हो जाता है । सबसे अधिक लाभ उसी को है अतः सबसे अधिक खर्च उसको देना चाहिये। इसलिये इसमें एक बात और है। इस विधेयक में कहा गया है कि १८ वर्ष से कम नाबालिग या रोगी से वहां काम नहीं लिया जा सकता। तो जब पहले ही विधान में दावा करने का अधिकार नहीं है तो वह वाद उपस्थित नहीं होगा। जैसे किसी नाबालिग आदमी को पकड़ ले आकर काम लेते हैं या किसी बूढ़े आदमी को ले आते हैं तो किस प्रकार से वहां पर सबूत पेश किया जायगा। जब उनको किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है तो फिर पीछे क्या होगा। कोई आदमी कहता है कि मैं नाबालिग हूं मुझे पकड़ लाये हैं, तो जब उसके लिये यह अधिकार ही नहीं है कि दावा करें तो किस तरह से इस चीज का सबूत पेश किया जायगा ? इसी प्रकार से एक रोगी है उसको भी ले आते हैं तो उस के लिये किस प्रकार से प्रमाण पेश किया जायगा कि यह रोगी है या नहीं। तो कुछ समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से यह न्याय किया जायगा और कौन उसकी व्यवस्था करेगा। इसलिये इस तरह की जटिल चीजों में ज्यादा समय लगा कर इसे योग्य व्यक्तियों द्वारा सरल बनाना चाहिये जिससे कोई कठिनाई बाद को न हो। इस समय जो यह विधेयक है इसमें बहुत ही खामियां हैं और यदि यह खामियां इसमें इसी तरह से रह जायेंगी तो यह बहुत खतरनाक होंगी। आप जानते हैं कि गाँवों में पार्टी-बाजी है और वहां पर ईमानदार आदमी की कमी है। सब आदमी ईमानदार हो जाते तो हमको इतनी दिक्कत न आती कि कानून को बनाने की जरूरत पड़ती। चूंकि काफी पार्टीबाजी गांवों में है और कटु दुश्मनी वहां पर होती है। इसलिये इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो जिस भावना से आप इस विधेयक को बनाने जा रहे हैं वह सफल न होगी जैसा कि इस विधान के बनाने वाले किसानों के फायदे की बात सोच रहे हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि इसमें वह खराबी नहीं रहनी चाहिये जिनसे किसानों को अहित हो। इस विधेयक को बहुत सोच समझ कर इसकी खामियों को हटा कर ठीक-ठीक करके रखने की जरूरत है तभी यह फायदेमन्द हो सकता है। दवाई आप दे रहे हैं फायदे की लेकिन उस से बुराई भी हो सकती है। हम जानते हैं कि हमसे ज्यादा आप को उन की हमदर्दी है और मैं खुद किसान हूं और उनकी दिक्कतों से गुजरा हूं और उनकी दिक्कतों को समझता हूं इसलिये मैं आप से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जिस भावना से आपने रखा है उस भावना के सफल होने में कोई खराबी पैदा न हो जाय। अगर इसको बहुत सोच समझ कर और ठीक तरीके से बना कर सदन के सामने आपने न रखा, तो इससे बुराई पैदा हो सकती है। यदि सोच समझ कर और खूब सोच समझ कर बनाया तो फिर कोई बुराई नहीं पैदा होगी। यह इस तरह का कानून है जिसको बहुत सोचने और समझने की जरूरत है, क्योंकि इससे किसानों के जीवन-मरण का सम्बन्ध है। ठीक प्रकार से इसको रखा गया और पास किया गया तो इससे किसानों की भलाई होगी और यदि कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उनके लिये बहुत बुराई होगी। पानी अगर नहीं पिलाया जाय तो आदमी मर जाता है और अगर अधिक पानी में डूबा दिया जाय तब भी आदमी मर जाता है। आग हमारा खाना भी बनाती है और शीत भी छोड़ाती है पर आग में जल कर मनुष्य भस्मीभूत भी हो जाता है । तो इस सदन में मेरा सुझाव यह है कि आप इसके ऊपर पुनः विचार करने की कृपा करें और अगर प्रवर समिति में चला जाय तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि यह बहुत नाजुक कानून है। इसलिये गम्भीरता से सोचना चाहिये, आगे जिस भावना से यह बिल रखा गया है उस के लिये मैं माननीय कृषि मंत्री जी को फिर बधाई देता हूं।

*श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अब तो, सबेरे इतने भाषण होने के बाद, माननीय मंत्री जी को पता चल गया होगा कि अधिक आदमी इसके विरोध में ही बोले हैं। कुछ ऐसे आदमी हैं जिन लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है, वह तो अमूमन हर वक्त सरकार के पक्ष में ही बोला करते हैं। हमने देखा कि शिवनारायण जी इस सदन में बोले। हम उनको तीन साल से देख रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--मैं यह उचित समझता हूं आप व्यक्तिगत किन्हीं के नामों का इस्तेमाल न करें।

श्री रामसुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक सेठ जी थे उन्होंने एक सुआ पाल रखा था। उसने सुआ को पढ़ा रक्खा था कि "मेरा मालिक बहुत है नेक, देता मुझको दूध रोज सबेरे, फल अंगूरी मेवा दे अमरूद।" और वह सबेरे यही रट लगाया करता था लेकिन उसको यह चीज मिलती न थी। ठीक इसी तरह से माननीय सदस्य हैं...

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राम सुभग वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत सी बातें हैं लेकिन फिर भी ऐसी चर्चा हुई कि जो यह विधेयक है उसमें किसी को चेयरमैन बनाने के लिये और माननीय रामेश्वरलाल जी उसको कबूल कर लेंगे यदि माननीय सदस्यों के नाम जिनको मैं पेश करूं, वे उस समिति के सदस्य हो जायं।

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न अभी हमारे सामने नहीं है। इस समय हमारे सामने सिलेक्ट कमेटी में विधेयक भेजने का प्रश्न है।

श्री राम सुभग वर्मा--इसमें बहुत सी खामियां हैं जो हमारे माननीय सदस्यों ने बतलाई। इस विधेयक में यह आया है कि जब ऐसी बीमारी हो और अगर कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा तो उस पर ५० रुपया जुर्माना कर दिया जायगा। तो मेरा सुझाव यह है कि जुर्माना न रख कर यह कर दिया जाय कि उसको श्रमदान देना होगा। क्योंकि जो आदमी खेती करता है उसको तो खेती से दिलचस्पी है, अपने खेतों की बीमारी को किसी न किसी प्रकार से दूर करने की कोशिश करेगा लेकिन जिसके खेत नहीं हैं अगर उसको नोटिस दे दिया गया कि वह शरीक हो और वह किसी द्वेष भावना से दिया गया तो बेकार ही उस बेचारे पर जुर्माना हो जायगा। इसके लिये माननीय मंत्री जी को यह रख देना चाहिये कि जिसके पास खेती है वह अगर किसी प्रकार से खेती की बीमारी में सहयोग नहीं देता है तो उसको यह सजा दी जायगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज और है वह यह कि इस विधेयक में सारे अधिकार जिलाधीश को दे दिये गये हैं। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि उसको इतने व्यापक अधिकार नहीं देने चाहिये। अब अध्यक्ष महोदय हमारे यहां मक्का में उगते वक्त ही एक भूरी पैदा हो जाती है और वह हजारों बीघा फसलों को चट कर जाती है। गत वर्ष जब हमारे यहां मक्का की फसल हुई तो खेतों के खेत चट कर गयी। मैंने सरकार से लिखापढ़ी की, लेकिन व्यवस्था होते-होते वह फसल चट कर गया। तो ऐसा न होना चाहिये कि कीड़ा पैदा हो और उसका इन्तजाम करते-करते फसल ही खत्म हो जाय। इसके अलावा हमारे यहां और कई प्रकार के कीड़े होते हैं। जब फसल के नीचे कीड़े लग जाते हैं तो वह फसल अपने आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुभग वर्मा]

मुरझा कर गिर जाती है। इसी तरह से लाही एक कीड़ा है जो धान की फसल में लगता है। जब यह धान की फसल में लगता है तो उसकी जो बालियां होती हैं वे उसी तरह से सूखी दिखलाई देती हैं। इसी तरह से चारा, मक्खी आदि तमाम कीड़े हैं जो अनेक फसलों में लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र में ये कीटाणु लगते हैं उस क्षेत्र के लोग उतनी दिलचस्पी नहीं लेते हैं जितनी कि जिसके खेत में ये कीटाणु लगते हैं वह लेता है। जिसके खेत में ये कीटाणु लगते हैं वह सब प्रकार से अपने खेत की रक्षा करने की कोशिश करता है। यदि सरकार दवाइयों आदि के द्वारा उन किसानों की सहायता करे तो उससे बहुत फायदा हो सकता है, न कि यह बिल लाकर और यह प्रतिबन्ध लगा कर उनकी मदद हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दवाई आदि उनको समुचित रूप से देने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वे अपने खेत में लगे हुए कीटाणुओं को मार सकें। किसान इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कहां पर कीटाणु लगा हुआ है। अगर सरकार यह कर देती कि जिस खेत में कीटाणु लगे होंगे उसकी फसल बिल्कुल काट कर गिरा दी जायगी तब तो बात कुछ समझ में भी आती लेकिन इस तरह के प्रतिबन्ध लगाने से कि जो इसमें सहायता नहीं करेगा उसको ५० रु० जुर्माना देना होगा कोई फायदा नहीं होगा। किसान खुद अपनी फसल में जहां कीड़े लगे होते हैं उसके ऊपर के हिस्से को तो काट देते हैं और फिर नीचे से वह फसल पैदा हो जाती है। वैसे जब गांव के खेतों में कीटाणु लगते हैं तो वह किसान स्वयं ही कीटों से खराब हुई फसल को काट कर मवेशियों को खिला डालते हैं और खेत को साफ कर देते हैं और जो बाकी रह जाती है वह फसल तैयार हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उसकी वह फसल काटी न जाय बल्कि उसको ही मौका दिया जाय कि वह अपनी खराब होने वाली फसल को काट कर काम में ले आवे और बाकी जो अच्छी है उसको बढ़ने दे। यह न होना चाहिए कि कह दिया कि तुम्हारी फसल में कीड़े लग गए हैं और अब वह सब काट ली जायगी, इस तरह की बात न होनी चाहिए बल्कि उसको मौका देना चाहिये कि वह अपनी फसल को उपयोग में ला सके और पशुओं आदि को खिला सके और उससे कहा जाय कि इतने भाग में बीमारी और कीड़े लगे हैं इसमें से इतने को तुम काट कर काम में ले आओ और बकिया को ठीक से बढ़ने और पैदा होने दो। इस चीज को अवश्य ध्यान में रखा जाय। यह मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने कही कि जनता का सहयोग हमें इस मामले में नहीं मिला और इसी कारण से ऐसा कानून लाने की आवश्यकता पड़ी। श्रीमन्, आपने देखा कि हमारे सूबे में श्रमदान के लिए आज कल कोई बिल नहीं आया है लेकिन उसके बगैर भी लोगों ने श्रमदान में पूरा सहयोग दिया और उसके द्वारा करोड़ों और लाखों रुपये का काम हुआ है और लोगों ने सरकार के साथ पूरा सहयोग दिया। इसलिये अगर मंत्री जी इस काम में भी सहयोग से काम लें और इन कीटाणुओं आदि की बीमारियों को रोकने के लिए गांव पंचायतों के पास ज्यादा से ज्यादा दवायें भेजें तो किसान स्वयं ही उनका उपयोग कर के खेती को बचा सकता है और पैदावार में वृद्धि कर सकता है। अगर दवायें गांव पंचायतों के पास रहेंगी तो किसान पूरा सहयोग देगा और उन दवाओं का इस्तेमाल करेगा क्योंकि उससे तो उसी का लाभ होता है। इस तरह से बिना बिल लाये अगर सरकार गांव पंचायतों को दवा भिजवा दे तो किसान का सहयोग भी उसे मिलेगा और यह कीटाणुओं की समस्या भी हल हो जायगी। इस तरह से बीमारी शुरू-शुरू ही में दूर हो जायगी और कानून के द्वारा किसी हालत में भी किसान का सहयोग पाना सम्भव नहीं है और वह लोग कैसे सहयोग दे सकते हैं जिनके पास खेत नहीं है या खेत हैं और दवायें नहीं हैं। इन शब्दों के साथ

जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा इस बिल को मंत्री जी वापस ले लें और सोच समझ कर इसको फिर से लावें जिससे किसान के ऊपर जो यह कुठाराघात हो रहा है वह न होने पावे और एक अच्छा सा बिल वह दुबारा लावें।

श्री काली चरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब बहस बन्द की जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि जहां तक इस बिल के उसूलों का और इसकी जरूरत का ताल्लुक है हर तरफ से इसकी जरूरत को माना गया है और उसके प्रिन्सिपिल्स को पसन्द किया गया है सिवा एक माननीय सदस्य के कि जिन्होंने कहा कि ऐसे बिल की जरूरत ही नहीं है बाकी सभी सदस्यों ने या तो विदड्रा करने या सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए कहा है और उन्होंने इसकी जरूरत को माना है और जिन उसूलों की बिना पर यह लाया गया है उनको भी माना है। अब रहा यह कि इसको दिथड्रा किया जाय या सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, दिथड्रा करने की तजवीज इसलिए पेश की गई कि बिल को और अच्छा बनाया जाय और सिलेक्ट कमेटी में भेजने की तजवीज भी शायद इसी खयाल से लाई गई थी। यह सिर्फ १२ सेक्शन्स का एक बिल है जिस पर आज तमाम दिन उसकी जो खामियां हैं उनके ऊपर विचार हुआ। शायद सिलेक्ट कमेटी में भेजने से या फिर से ड्राफ्टिंग करने से उससे ज्यादा बातें नहीं हो सकतीं। तो जो खामियां रह गई हैं वह तो अभी जब क्लाजवाईज डिस्कशन होगा उसमें ठीक की जा सकती हैं और सिलेक्ट कमेटी से सदन में गौर करने का ज्यादा मौका होगा। कोई लम्बा चौड़ा बिल होता तो उसके लिये पूरा वक्त सदन में नहीं दिया जा सकता लेकिन यह छोटा सा बिल है और उस पर जो संशोधन आये हैं उनको देखते हुये यह मालूम होता है कि काफी दिलचस्पी माननीय सदस्यों ने ली है और उसके हर पहलू पर उन्होंने गौर कर लिया है। यह उनके पास काफी दिनों तक रहा है और उन्हें सोचने का काफी मौका मिला है और इसीलिये ये ८०, ८५ संशोधन आये हैं। इसलिये इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने या रिड्राफ्ट करने का सवाल नहीं उठता। जो कुछ कमी रह गई है वह यहीं ठीक हो जायगी।

अब खराबियों के सिलसिले में जो चन्द बातें कही गई हैं, मैं चाहता हूं कि चन्द लफ्जों में उनका जवाब दे दूं। तमाम बहस जो विरोधी दल की तरफ से हुई है वह सारी इसी बुनियाद पर हुई है कि कलेक्टर जनता के साथ भलाई नहीं करेगा और दुश्मनी करेगा। मैं नहीं समझता कि ऐसा क्यों दिमाग हो गया है कि यह पहले से समझ लिया जाता है कि जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा तो दुश्मनी ही करेगा और वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जनता की भलाई के कार्य का खयाल भी नहीं कर सकते। हमारे विरोधी दल के नेता ने यह कहा कि कलेक्टर जो है वह गवर्नर से कम नहीं है वह गांधी जी ने कहा था। उनका मतलब कहने का यह था कि वे गवर्नर से भी ज्यादा अख्तियार रखते हैं और जनता पर जुल्म करते हैं और अपने अख्तियारात को उनके फायदे के लिये इस्तेमाल नहीं करते। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आज ६–७ साल हो गये और इसी बीच में जो तब्दीली हुई है और हमारे अधिकारी वर्ग में और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट में जो तब्दीली आयी है उसको किस सूरत से लोग नजरअन्दाज कर देते हैं उस वक्त के कलेक्टर कुछ और थे और इस वक्त के कलेक्टर और हैं। आज का कलेक्टर विकास के कार्य में दौड़ता फिरता है, श्रमदान के सिलसिले में हर तरह से उत्साह दिलाना चाहता है। यह सब किस लिये करता है?

[श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी]

जनता के फायदे के लिये ही करता है, उनके विरोध के लिये तो नहीं करता। उस वक्त अंग्रेजी जमाने के कलेक्टर को और इस वक्त के कलेक्टर को एक सा समझना, मैं समझता हूं कि इन्तिहाई गलती होगी और गलती ही नहीं होगी बल्कि जो रियलिटी है उसकी तरफ से आंखें बन्द करनी होगी। इस विधेयक की बुनियाद ही यह है कि वह जनता को फायदा पहुंचाने की गरज से है जो एतराज जोरशोर से किये गये हैं वह यही हैं कि कलेक्टर को यह अख्तियार क्यों दिये गये कि वह पेनाल्टी लगा देंगे और अपील नहीं है। सद्भाव की कौन जांच है? लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है जो आज बताई गई हो। ऐसे विधेयक पहले भी आये हैं। ऐसे कानून हो चुके हैं। टिड्डी विनाश विधेयक पास हो चुका है उसमें भी कलेक्टर को ही अख्तियारात दिये गये हैं और जो इसमें रखे गये हैं उसको हमने उसमें पास कर दिया है। इसमें तो आंखों से आदमी टिड्डी को देख भी लेता है और उसको मारने के लिये निकल भी जाता है और मारता है लेकिन यह जो इस बिल में है वह तो ऐसे रोगों के लिये है जैसे मान लीजिये कि रेड राट है जो गन्ने में लगता है। और उसका नतीजा यह होता है कि खेत का खेत खराब हो जाता है। तो जब उसको पास किया था तो जो बिल आपके सामने है वह उससे भी ज्यादा जरूरी है।

इसकी एक और बात पर बहुत एतराज किया गया कि जनता का सहयोग नहीं मिलता है। इस बात की खुशी है कि हमारी प्रजा सोशलस्टि पार्टी भी मानने लगी और उसके लिये लोग आज कहते हैं कि जनता का सहयोग मिल रहा है। श्रमदान में सहयोग मिला है। इतना उन्होंने आज मान लिया इसकी बड़ी खुशी है लेकिन मैं यह कहता हूं कि यह बात इसमें नहीं है। अगर एक गांव में २५ आदमी रहते हैं और उन सबके खेत हैं २० आदमी सहयोग दे रहे हैं लेकिन ५ आदमी कहते हैं हम अपने खेत में जिसमें फसल खड़ी है और जिसमें रोग पड़ गया है उसको नष्ट नहीं करने देंगे तो नतीजा क्या होगा? हम कुछ भी दवा डालें चाहे वे २० आदमी हमारे साथ पूरा सहयोग करें लेकिन ५ आदमी, ३ आदमी या एक आदमी भी अगर हमारे साथ सहयोग नहीं करता है तो जितना काम होता है वह सब नष्ट हो जायगा। लिहाजा हर एक आदमी इस काम में लग जाय इसलिये हमको इसकी जरूरत पड़ी कि जो किसान हैं--किसानों में जो रहते हैं वे भी जानते हैं कि किसान कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है अपने पेड़ों से या पौधों से और जिस तरह से मां बाप की ज्यादा मोहब्बत से उनका लड़का खराब हो जाता है उसी तरह से खेतों की मोहब्बत बाज औकात उनकी सारी फसल को नष्ट कर देती है। इसलिये उन अख्तियारात को लेने की जरूरत पड़ती है। बहुत दफे अमेंडमेंट्स में या स्पीचेज में कहा जाता है कि नायब तहसीलदार के नीचे किसी को अधिकार न दिया जाय, कानूनगो के नीचे किसी को अधिकार न दिया जाय क्योंकि नीचे के अधिकारी बड़ी गड़बड़ी करते हैं। कुछ लेने-देने की फिक्र में पड़ जाते हैं और गलत रिपोर्ट कर देते हैं। तो यहां तो जिले के सब से ऊंचे अधिकारी को अधिकार दिया गया है। फिर भी कहा जाता है कि कलेक्टर को अधिकार दे दिया। सब से ऊंचे को दिया है। कलेक्टर के पास जब कोई रिपोर्ट आयेगी तो वहां का जो ऐग्रीकल्चर इंजीनियर होगा या और आफिसर्स होंगे उनसे सलाह मश्विरा भी लेगा। यह सब नियमों में रक्खा जा सकता है कि कलेक्टर किस सूरत से अपने को सेटिस्फाई करे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि नियम बहुत अहतियात से बनाने चाहिये तो नियम बहुत अहतियात से ही बनाये जायंगे। सदन को यह भी इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि नियम सदन के सामने आयेंगे और यहां देखने के बाद ही उनको पास किया जायगा और तभी उनको जारी किया जायगा। हम कोई किसानों के दुश्मन नहीं हैं। ऐसा समझना हमारे साथ ज्यादती होगी। यह कहा गया कि ५० रुपये की पैनाल्टी रख दी है और उसकी कोई अपील नहीं। तो ५० रुपये तक के जुर्माने जो

पैनल कोड में भी होते हैं उनकी अपील कहां होती है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ प्रतिबन्ध लगना चाहिये और उसको कहने का मौका मिलना चाहिये, तो जब रिलेवेंट क्लाज आयेगा उस वक्त सुधार किया जा सकता है। यह मकसद नहीं है कि जो मुनासिब संशोधन भी आयेंगे उनको न माना जाय। वक्त आने पर उन पर गौर किया जायगा। चाहते तो हम यह थे कि अब की बरसात के पहले पास हो जाय। लेकिन इस खयाल से कि बहुत से माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं और बोलना चाहते हैं इसलिये शायद यह पास न हो सकेगा। लेकिन बरसात में बहुत से कीटाणु वगैरह पैदा हो जाते हैं। आजमगढ़, गाजीपुर में मकई में पतंगों का रोग हो जाता है। उसमें १०, २० आदमी साफ भी करा दें और दो चार ने नहीं कराया तो वह सब बेकार हो जाता है। तो इसमें कोई नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं है। पहले से यह समझ लिया जाय कि हर काम तकलीफ पहुंचाने के लिये ही किया जा रहा है तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं। उसकी फसल नष्ट हुई तो उसको तकलीफ जरूर होगी और उसके बाद उस पर काम भी लदा और अगर काम न लदा तो उसका खर्चा लदा। तकलीफ होती है, किसी के फोड़ा निकल आता है तो डाक्टर के पास जाता है, दर्द होता है, चीरा लगवाता है और यही नहीं करते बल्कि उसकी फीस भी देते हैं। दवाई के दाम भी देते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--लेकिन दण्ड नहीं देते।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--दण्ड तो ऐसा होता है कि हाथ तक काट देना पड़ता है। इतना बड़ा दंड पड़ जाता है। जो डाक्टर के पास जाने के लिये तैयार हैं, मदद के लिये तैयार हैं उन पर दण्ड नहीं लगेगा, लेकिन जो काम में सहयोग नहीं करेगा उन पर दण्ड पड़ेगा जैसे उसका हाथ काट दिया जाता है, इस किस्म का दण्ड उस पर पड़ेगा और पड़ना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, और वक्त नहीं है इसलिये ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन यह विधेयक है और बड़ा जरूरी है और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नई हो। सद्भावना वाली बात में तो अदालत में जाने का मौका मिलता है, हमेशा वह कह सकते हैं कि यह सद्भावना से नहीं हुआ, वह साबित करते रहें। अपने और भी ऐक्ट्स ऐसे पास हुए हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। यह तो इमरजेंसी की बात है, शहर के शहर और कस्बे के कस्बे खाली करा लिये जाते हैं। तो इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि इसको पास किया जायगा और मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों का विधेयक, १९५४ एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। समिति के सदस्यों के नाम बाद में प्रस्तुत किये जायंगे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश कृषि रोगों एवं नाशक कीटों के विधेयक, १९५४ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब खंडों के सम्बन्ध में विचार जब सदन फिर बैठेगा उस वक्त जारी होगा। अब मैं श्रम मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपना वक्तव्य कानपुर के सम्बन्ध में दें।

कानपुर में अभिनवीकरण योजना के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्रम मंत्री (आचार्य जुगुलकिशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड द्वारा अभिनवीकरण की व्यवस्था आरम्भ करने के प्रयास के फलस्वरूप वहां की स्थिति गम्भीर हो गई है।

[आचार्य जुगल किशोर]

इस विषय पर मैंने एक वक्तव्य देने का वचन दिया था, जो मैं अब आपकी अनुमति से दे रहा हूं।

यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अभिनवीकरण की व्यवस्था किसी भी देश की औद्योगिक संस्थाओं के विकास का एक आवश्यक अंग है। कानपुर की कपड़े की मिलों के सम्बन्ध में इस विषय पर पहले पहल १९३८ में राजेन्द्र प्रसाद कमेटी ने विचार किया था। इस समिति का कहना था कि अभिनवीकरण के सिद्धान्तों को कानपुर की मजदूर सभा ने भी स्वीकार किया है। इस समिति ने यह भी देखा कि कानपुर की विभिन्न मिलें अभिनवीकरण की व्यवस्था पर्याप्त अंश में चला रही हैं। १९४८ ई० में उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति ने फिर यह सिफारिश की कि कपड़े की मिलों के विभिन्न श्रेणी के मजदूरों के सम्बन्ध में नियमन तथा निश्चित कार्यभार और मजदूरी की व्यवस्था चलाई जाय। यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से दी गई थी और समिति के श्रम प्रतिनिधियों ने इसका अनुमोदन किया था।

फरवरी, १९४९ ई० में एक त्रिदल श्रम सम्मेलन ने इस पर आगे विचार किया। जब सरकार ने प्रत्येक मिल से यह कहा कि वह अपनी अभिनवीकरण की योजना भेजे और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों से परामर्श कर ले। अपनी ओर से सरकार ने अपने एक अफसर को इस कार्य का प्रशिक्षण भी दिया जिससे वह कानपुर के कपड़ा उद्योग में इन योजनाओं के संचालन की सुचारु रूप से देख-रेख कर सकें। इस अफसर ने स्वतंत्र रूप से इन मिलों की कार्य व्यवस्था का अध्ययन किया और उसने ठोस प्रस्ताव रखे जो १९५४ के आरम्भ में संबंधित मिलों तथा मजदूरों की यूनियनों के पास भेजे गये।

सूती मिल मजदूर यूनियन ने यह सुझाव दिया कि इन प्रस्तावों पर सविस्तार विचार करने के लिये एक त्रिदल सम्मेलन बुलाया जाय। गत जून के आरम्भ में सरकार ने नैनीताल में इस त्रिदल सम्मेलन का आयोजन किया, और इसमें विचार विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित सामान्य निश्चय किये गये :—

(१) अभिनवीकरण की व्यवस्था चलाने से किसी प्रकार की बेकारी नहीं होनी चाहिये। निवृत्ति अथवा प्राकृतिक ह्रास के कारण कार्य करने की असमर्थता की अवस्थाओं के अतिरिक्त (स्थायी, स्थानापन्न या अस्थायी) मजदूरों की संख्या में कमी न हो।

(२) मजदूरी की दरों और कार्य भार के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार करने के बारे में विचार किया गया।

(३) ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि बहुत अच्छा कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक मजदूरी दी जाय, जिस से उन्हें प्रोत्साहन मिले।

(४) मिलों में कार्य करने की सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय, तथा

(५) इन स्थूल आधारों पर प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में इस योजना के ब्योरे बनाने और उसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था करने के लिए एक समिति बनायी जाय।

इसके फलस्वरूप सात व्यक्तियों की एक समिति बनायी गयी जिसमें श्रमिकों के तीन प्रतिनिधि श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री गंगा सहाय, चौबे, तथा श्री राजाराम शास्त्री भी थे नियोजकों के तीन प्रतिनिधि, श्री पद्मपत सिंघानिया, श्री हिल तथा श्री मंगतूराम जैपुरिया थे और जिसके सभापति श्रम कमिश्नर थे।

इस बीच श्रम नेताओं के एक असन्तुष्ट वर्ग ने अभिनवीकरण के सम्बन्ध में नितान्त भ्रमात्मक वक्तव्य देना आरम्भ कर दिया और बतलाया कि इस से मजदूरों का काम बढ़ जायगा और काफी बेकारी फैलेगी।

सब से विचित्र बात तो यह थी कि इस विषय के प्रमुख विरोधियों में वे व्यक्ति थे, जिन्होंने १९३८ ई० में राजेन्द्र प्रसाद समिति के सन्मुख पहला स्मृति-पत्र दिया था और उसमें कानपुर की मिलों में अभिनवीकरण की व्यवस्था चलाने की मांग की थी तथा श्रमिकों के कुछ ऐसे प्रतिनिधि भी थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति की उस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किये थे जिसमें अभिनवीकरण की व्यवस्था प्रचलित करने की सिफारिश की गयी थी और इनके अतिरिक्त श्रमिकों के कुछ ऐसे नेता भी थे, जिन्होंने कुछ ही समय पहले नैनीताल में अभिनवीकरण के सिद्धान्त को मान लिया था।

इससे यह स्पष्ट है कि अभिनवीकरण की योजना का विरोध किसी सिद्धान्त पर नहीं किया गया था, वरन् केवल अशान्ति फैलाने और बहकाये हुए व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए किया गया था। मजदूर नेताओं के इस वर्ग ने मजदूरों की सभाओं में व्याख्यान दिये, वक्तव्य प्रकाशित किये और यहां तक किया कि सात व्यक्तियों की समिति के दो सदस्यों, श्री गंगा सहाय चौबे तथा श्री राजाराम शास्त्री पर दबाव डाला कि वे समिति से इस्तीफा दे दें। अभाग्य-वश वे इस चाल में सफल हो गये।

समिति की कई बैठकें हुईं तथा यह समिति बहुत से पेचीदे मामलों को शीघ्र ही तय करने को थी कि मजदूरों से सहयोग न मिलने के कारण इसे भंग करना पड़ा। परिस्थितियों ने सरकार को इस कमेटी को भंग करने के लिए विवश किया और भंग करते समय सरकार ने यह कहा कि कपड़े की प्रत्येक मिल में अभिनवीकरण की व्यवस्था दोनों पक्षों—एक ओर नियोजक तथा दूसरी ओर व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से श्रमिक—के बीच समझौते पर छोड़ दिया जाय।

जैसा मैं कह चुका हूं राजेन्द्र प्रसाद समिति को भी १९३८ में यह मालूम हुआ था कि कानपुर की विभिन्न मिलों में काफी मात्रा में अभिनवीकरण हो गया है। तभी से कानपुर की विभिन्न मिलों में अभिनवीकरण प्रत्यक्ष और कहीं-कहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता आ रहा है। सूती मिल मजदूर सभा के कुछ पदाधिकारियों ने विभिन्न मिलों के विरुद्ध कदम उठाने की धमकी भी दी है और यह इसलिए किया है कि अपने व्यवहार तथा अभिनवीकरण के बारे में असंगत वक्तव्यों के कारण उन्होंने मजदूरों की जो श्रद्धा खो दी थी उसे पुनः प्राप्त कर लें। फिर भी, और ठीक भी है कि, इन धमकियों के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

म्योर मिल में तो मजदूरों की स्पष्ट तथा लिखित सम्मति से लगभग समस्त कताई विभाग का अभिनवीकरण हो गया है। उसी प्रकार स्वदेशी काटन मिल्स के कताई विभाग के एक खंड का भी अभिनवीकरण हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कई वर्षों से कानपुर की तीन मिल्स—लक्ष्मीरतन काटन मिल्स, न्यू विक्टोरिया मिल्स और जे० के० काटन मैन्युफैक्चरर्स—अभिनवीकरण के आधार पर कार्य कर रहे हैं। कुछ अन्य मिलों के विशिष्ट विभागों में समय-समय पर मजदूरों की सम्मति से अभिनवीकरण होता रहा है।

मजदूरों के हित के लिए ही नैनीताल का त्रिदल सम्मेलन बुलाया गया था और उसमें किये निश्चयों का भी यही उद्देश्य था। इसमें सन्देह नहीं कि यदि ये निश्चय कार्यान्वित हो जाते तो मजदूरों के हितों पर ध्यान दिया जाता और उनकी समुचित रूप से रक्षा हो जाती तथा मजदूरों की छटनी भी नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, जिस का जिक्र मैंने उस दिन किया था, कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड का, इस मिल ने पहिली मार्च, १९५५ को नोटिस लगाया था कि ३१ मार्च, से कताई विभाग के डाफर्स (doffers) के पुनर्संगठन की योजना चालू की जायगी। नोटिस में यह भी बताया गया था कि उत्तर प्रदेश श्रम जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन में भी वृद्धि

[आचार्य जुगल किशोर]

की जायेगी। पुनर्संगठन की योजना के अनुसार चार डोफरों का तरक्की पर तबादला होना था। और कुछ और डोफरों का केवल बाबिन की सफाई के कार्य पर तबादला होना था। बाबिन की सफाई का कार्य अब तक अभी डोफर अपने बाबिन उतारने के सामान्य कार्य के साथ-साथ करते थे। इस प्रसंग में यह कह देना उचित होगा कि कानपुर की लगभग आधी दर्जन मिलों में डोफरों का कार्यभार उस योजना में प्रस्तावित कार्यभार से कहीं अधिक है और वहां के मजदूर उसे खुशी और शान्ति से कर रहे हैं। नोटिस की अवधि में सूती मिल मजदूर सभा ने न तो कोई इसका विरोध श्रम कमिश्नर से किया और न सरकार से। २१ मार्च, १९५५ को कुछ वामपक्षी मजदूर नेताओं के बहकाने से डोफरों ने नयी योजना के अनुसार कार्य करने से इन्कार कर दिया और इस प्रकार उन्होंने प्रबन्धकों की आज्ञा का उल्लंघन किया। उचित ई० चेतावनी देकर तथा अन्य नियमित कार्यवाही करने के बाद इन डोफरों को आज्ञा उल्लंघन करने के कारण मुअत्तल कर दिया। इन आदेशों के बावजूद ये डोफर बलपूर्वक मिल में घुस गये और उन्होंने इच्छानुसार काम करना चाहा और मिल प्रबन्धकों को उन्हें मिल के दरवाजे पर रोकना पड़ा। मिलवालों ने कुछ नये आदमी रख कर यह कार्य कराने की कोशिश की किन्तु वे असफल रहे और नतीजा यह हुआ कि डोफिन्ग का कार्य बन्द हो गया। इससे रिंग फ्रेम बन्द हो गये और फिर करघे भी बन्द हो गये। इन परिस्थितियों में प्रबन्धकों ने सम्पूर्ण मिल के २,७०० मजदूरों को बैठकी पर भेजने का निश्चय किया।

इसी प्रसंग में यह बतलाना ठीक होगा कि कानपुर काटन मिल्स में सूती मिल मजदूर सभा ने मजदूरों को भड़काया है कि वे एक मशीन से दूसरी मशीन पर तबादले को न मानें, हालांकि स्थायी आदेशों में ऐसा विधान है और प्रबन्धकों के तबादला करने के इस अधिकार को एक दूसरे मिल के मामले में सभा ने स्वयं माना है।

इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि कानपुर की स्थिति जो विस्फोटक कही जाती है, कुछ ऐसे चुने हुए मजदूर नेताओं की करतूत है जो किसी भी परिस्थिति में झगड़ा करने पर तुले हुए हैं। अब सभा ने अभिनवीकरण तथा मजदूरों की कुछ तथाकथित शिकायतों के विरोध में २ मई, १९५५ ई० से आम हड़ताल करने की घोषणा की है। चूंकि इससे उसका मतलब हल नहीं होता, इसलिए यह सभा ऐसे मजदूरों को भी काम नहीं करने देती, जो स्वेच्छा से अभिनवीकरण के आधार पर कार्य करके अधिक वेतन कमाना चाहते हैं। प्रारम्भ से ही सभा का रुख समझौता न करने का रहा है और न इसने कपड़े की मिलों के मजदूरों की दशा सुधारने तथा इस प्रदेश के वस्त्र उद्योग की उन्नति के लिए कोई रचनात्मक सुझाव दिये हैं। आम हड़ताल की पुकार भी उस दिशा में एक दूसरा कदम है।

सरकार के पास जो रिपोर्टें आयी हैं, उनसे यह निस्सन्देह प्रकट होता है कि श्रमिकों की एक बड़ी संख्या इस मामले को लेकर कोई संकटमय स्थिति उत्पन्न नहीं करना चाहती और वह उन आदमियों के रवैये का घोर विरोध करती है जो नैनीताल कान्फ्रेंस में दिये गये न्यायसंगत निश्चयों को नहीं मानते। सरकार को विश्वास है कि लोग सद्बुद्धि से काम करेंगे और हड़ताल नहीं होगी। फिर भी सरकार स्थिति को ध्यानपूर्वक देखती रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार नियोजकों को या उपद्रवकारियों को मजदूरों और वस्त्र व्यवसाय के हितों का हनन न करने देगी जिससे उत्पादन बन्द हो जाय और न ऐसी अव्यवस्था फैलने देगी, जिससे शान्ति भंग हो और कानपुर की सुव्यवस्था में कोई बाधा पड़े।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—इसमें एक दो बातें स्पष्ट नहीं हुईं।

श्री अध्यक्ष—तो थोड़ा सा समय बढ़ाने के लिए आप सुझाव दीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय थोड़ा और बढ़ा दिया जाय, ५ बजे के बाद।

श्री अध्यक्ष--इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है ? तो ठीक है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह जो अभिनवीकरण आजकल मिल वाले कर रहे हैं, चाहे म्योर मिल हो या स्वदेशी मिल हो, तो इस स्कीम को वह सरकार से पहले अप्रूव करा लेते हैं या खुद ही चालू कर देते हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--जहां तक मुझे मालूम है, खुद ही कर देते हैं। ऐसा कानून नहीं है कि सरकार की आज्ञा के बिना वह नहीं कर सकते ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि पिछले साल यू० पी० सरकार ने मिल मालिकों को चेतावनी दी थी कि वह रेशनलाइजेशन बिना सरकार के पूछे न करें, वरना जो बेकारी बढ़ेगी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी मिल मालिकों की होगी ?

आचार्य जुगल किशोर--इसके सम्बन्ध में जैसा कि मैं वक्तव्य में कहा है नैनीताल में कान्फ्रेंस बुलाकर कोशिश की गयी थी कि मिल मालिकों और मजदूरों में समझौते की बातचीत गवर्नमेंट करे और समझौता हो भी गया था, लेकिन वह माना नहीं गया। इसलिए अब कोई नियम ऐसा नहीं है कि जिसके कारण गवर्नमेंट मिल मालिकों को मजबूर कर सकती हो कि वह रेशनलाइजेशन बिना सरकार के पूछे न कर सके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार समझती है कि जो रेशनलाइजेशन कानपुर मिल कर रही है, तो उससे कोई मजदूर बेकार नहीं हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो राय का सवाल है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को जानकारी है कि जो रेशनलाइजेशन कानपुर के मिल मालिक कर रहे हैं, उससे मजदूर बेकार हो रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--जहां तक टेक्सटाइल मिल का मामला है, उसमें तो कोई डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन अन्य मिलों में सम्भव है कि रेशनलाइजेशन के सिलसिले में चन्द लोग जो अस्थायी हों अलग कर दिये गये हों ।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कानपुर मिलों में रेशनलाइजेशन हो रहा है, उसके सम्बन्ध में कोई त्रिदलीय सम्मेलन बुलाकर सरकार ऐसी स्थिति पैदा करेगी जिससे यह अशान्ति न हो ?

आचार्य जुगलकिशोर--गवर्नमेंट की तो यह कोशिश रहेगी ही कि ऐसी स्थिति पैदा न हो अगर आवश्यक समझा गया तो इस किस्म की कान्फ्रेंस भी बुला ली जायगी ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि रेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में जो मिल मालिकों को सरकार से पूछना लाजमी नहीं है, तो क्या सरकार की स्वीकृति लाजमी है रेशनलाइजेशन के लिए ?

आचार्य जुगल किशोर--ऐसे कानून बनाने की जरूरत जब होती है, अगर समझौता न हुआ होता। हमने समझौता करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसे कानून के लाने की आवश्यकता है या नहीं। अन्य प्रदेशों में इसी प्रकार से रेशनलाइजेशन होता गया है और बिना किसी कानून के किया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--यह कान्फ्रेंस कब होगी ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बतला दिया कि आवश्यकता होगी, जब होगी ।

श्री गेंदा सिंह व श्री राजवंशी के दंड के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--अब मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी और राजवंशी जी के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि उनको एक महीने की सजा हुई थी, उस समय प्रश्न यह उठा था कि उन्हें सख्त सजा है या सादी सजा है। जिन मैजिस्ट्रेट ने उनको सजा दी, उनका पत्र मेरे पास आया है और उनका तार भी आया था। उसके हिसाब से सादी सजा थी, पत्र से भी यही स्पष्ट होता है। जिलाधीश के फोन में सुनने में शायद किसी प्रकार की टेलीफोन की गड़बड़ी हो गयी हो। तार में भी वही शब्द थे और इन्डियन पेनल कोड की दफा ३४१ में केवल सादी सजा दी जा सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट चाहते होंगे सख्त सजा हो, आप गलत क्यों सुनते ?

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के संबंध में घोषणा

श्री अध्यक्ष---स्थायी समितियों के लिये जिनमें नामजदगी पूरी की गयी थी, उनका निर्वाचन पूरा हुआ था और जिनमें बनी थी, वह आज इस समय तक पूरी हुई। अगर इनमें से नाम वापस नहीं लिये गये तो जितनी समितियां ऐसी हैं जिनमें पूरे नाम हैं उनके निर्वाचित होने की घोषणा कर दी जायगी, लेकिन अगर किसी में अधिक नाम हुए और चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो सदन फिर से जब बैठेगा, तब वह होगा। अब मैं नाम सुना देना चाहता हूं ताकि कोई माननीय सदस्य नाम वापस लेना चाहें, तो उनको सुभीता होगा।

श्रम स्थायी समिति

इस में १४ स्थान हैं और १४ ही नाम आये हैं। वह इस प्रकार है :--

१--श्री तुलाराम रावत
२--श्री रामदास रविदास (फैजाबाद)
३--श्रीमती आशालता व्यास
४--श्री हरदयाल सिंह पिपल
५--श्रीमती व्रजरानी मिश्रा
६--श्री उमाशंकर तिवारी
७--श्री उल्फत सिंह चौहान निर्भय
८--श्री कृष्णचन्द्र शर्मा
९--श्री जगन्नाथ मल्ल
१०--श्री विष्णुदयाल वर्मा
११--श्री घासीराम जाटव
१२--श्री श्रीनाथराम (आजमगढ़)
१३--श्री देवकीनन्दन विभव
१४--श्री नाजिम अली

समाज कल्याण स्थाई समिति

इसमे १४ स्थान हैं और १४ नामजदगियां हो गयी हैं जो इस प्रकार से हैं :--

१--श्री राम प्रसाद नौटियाल
२--श्री विश्राम राय
३--राजा वीरेन्द्र शाह
४--श्री शिवकुमार मिश्र
५--श्री हबीबुर्रहमान अन्सारी
६--श्री रामसनेही भारतीय
७--श्री गनेश प्रसाद जायसवाल
८--श्री मन्नीलाल गुरुदेव
९--श्रीमती प्रकाशवती सूद
१०--श्री सुरजूराम
११--श्री भूपाल सिंह खाती
१२--श्री चिंरजीलाल जाटव
१३--श्री वंश नारायण सिंह
१४--श्री सियाराम गंगवार

जेल स्थायी समिति

इसमें भी १४ स्थान हैं और १४ नामजदगियां हो गयीं । जो इस प्रकार से हैं :—

१—श्री पुद्दनराम
२—श्री गौरीराम
३—श्री रामस्वरूप भारतीय (मिर्जापुर)
४—श्री कमाल अहमद रिज़वी
५—श्री कृष्णशरण आर्य
६—श्री वशिष्ठ नारायण शर्मा
७—श्री पद्मनाथ सिंह
८—श्री उमाशंकर तिवारी
९—श्रीमती सावित्री देवी
१०—श्री रामबली मिश्र
११—श्री भगवतीदीन तिवारी
१२—श्री यमुना सिंह
१३—श्री मुन्नू लाल
१४—श्री पाती राम

रसद स्थायी समिति

इसमें भी १४ स्थान हैं १४ नामजदगियां हुई हैं जो इस प्रकार हैं :—

१—श्री रामस्वरूप
२—श्री लेखराज सिंह
३—श्रीमती सावित्री देवी
४—श्री देवमूर्ति शर्मा
५—श्री हबीबुर्रहमान खां (शाहजहांपुर)
६—श्री बैजू राम
७—श्री वीर सेन
८—श्री कल्याणचन्द मोहिले
९—श्री रामप्रसाद सिंह
१०—श्री रामअधीन यादव
११—श्रीमती लक्ष्मी देवी
१२—श्री उल्फत सिंह चौहान, निर्भय
१३—श्री मुहम्मद नबी
१४—श्री केशव राम

शरणार्थी स्थायी समिति

इसमें १३ स्थान रिक्त हैं और १३ नामजदगियां पूरी हो गयीं जो इस प्रकार हैं:—

१—श्रीमती यशोदा देवी
२—श्री छेदालाल चौधरी
३—श्री लेखराज सिंह जाटव
४—श्री तेजा सिंह
५—श्री जोरावर वर्मा
६—श्री मोहन सिंह शाक्य
७—श्री तेजप्रताप सिंह

८—श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट
९—श्री दलबहादुर सिंह
१०—श्री भगवतीदीन तिवारी
११—श्री शिवपूजन राय
१२—श्री केशभान राय
१३—श्री विष्णुदयाल वर्मा

वन स्थायी समिति

इसमे एक स्थान रिक्त था बाकी १३ नाम घोषित कर दिये गय थे । इसम तीन आदमियों के नाम आये हैं उनमें से एक चुना जायगा :

१—श्री तेज प्रताप सिंह
२—श्री जोरावर वर्मा
३—श्री निरंजन सिंह

यातायात स्थायी समिति

इसमें एक स्थान रिक्त है जिसके लिये ४ नाम आये हैं :—

१—श्री विष्णुदयाल वर्मा
२—श्री तेज प्रताप सिंह
३—श्री झारखंडे राय
४—श्री होती लाल दास

विकास व नियोजन स्थायी समिति

इसमें एक स्थान रिक्त है, और तीन नाम आये हैं उनमें एक चुना जायगा।

स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी संस्थाओं की स्थायी समिति

इसमे एक स्थान रिक्त हैं और तीन नाम आये हैं। एक चुना जायगा।

सार्वजनिक निर्माण विद्युत स्थायी समिति

इसमें एक स्थान रिक्त था वह श्री कमाल अहमद रिजवी के नामजदगी से पूरा हो गया है।

इन सबके लिये नाम वापिस लेने का समय २ तारीख तक है।

पडरौना शुगर मिल की चीनी की बिक्री से सम्बद्ध २५ मार्च, १९५५ के तारांकित प्रश्न ३० व ३१ के विषय पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब पडरौना शुगर मिल की चीनी की बिक्री से संबंधित श्री जगन्नाथ मल्ल द्वारा २५-३-५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३० व ३१ के विषय पर नियम ४२ के अन्तर्गत विवाद होगा।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, पडरौना चीनी मिल की चीनी की जो बिक्री वहां के जिलाधीश महोदय ने राय बहादुर केदार नाथ खेतान एम.एल.सी. को की, उसका किस्सा इस प्रकार है। उस साल १९५२-५३ के सीजन में पड़रौना चीनी मिल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के मालिकों ने चीनी कम दामों पर बचना शुरू किया। किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिला था, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली थी इसलिये वहां के किसानों ने अपील की कि मिल की चीनी को अटैच कर लिया जाय। उनकी अपील पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने चीनी को अटैच कर लिया। उसके कुछ दिनों के बाद मई के महीने में जैसा कि सरकार बताती है उस मिल की चीनी कलेक्टर साहब के द्वारा खेतान साहब के नाम बिकी और यह बात, कि यह चीनी उनको इसलिये दी गयी कि उनके द्वारा किसी और को बेची गयी, गलत है। कंपनी के कागजात में चीनी की बिक्री खेतान साहब के नाम है। और उन्हीं के नाम बिक्री हुई है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि शुगर टेक्नोलोजिकल इंस्टीट्यूट ने २८रु० १० आना का भाव बताया था और कलेक्टर साहब ने जिस हिसाब से चीनी को बेचा उसके कारण ११ हजार ९०० रुपये का नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, जब उस रोज गुप्ता जी से यह कहा गया कि आप इंक्वायरी करायेंगे तो उन्होंने यह कहा कि इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य गैर जिम्मेदारी की बात करते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा उससे आपको यह मालूम हो जायगा कि सरकार ने जो जवाब दिया था कि हम गैरजिम्मेदाराना बात करते हैं आपको यह स्वयं मालूम हो जायगा कि हम गैर-जिम्मेदारी की बात करते हैं या वे करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह चीनी खेतान को इसलिये दी गयी कि कंपनी के पास कोयले का दाम देने के लिये रुपया नहीं था और उनके लिये यह भी कहा गया कि वे बड़े भारी व्यापारी हैं। चीनी का रोजगार करते हैं, इसलिये उनको बेची गयी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं कि कलेक्टर ने जो पत्र मिल को लिखा है उसमें लिखा है २१०० बोरी खेतान को बेच दी जायं। और खेतान ने जो पत्र कंपनी को लिखा है उसमें बताया गया है कि कलेक्टर साहब ने २६ रुपया १४ आना में चीनी उनको बेच दी है। अब मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि मिल मालिकों को जिस दाम पर बेचने के लिये रोका गया था उस दाम पर फिर सरकार ने चीनी को क्यों बेचा। सरकार का उसके लिये क्या जबाब है। जिस हालत पर चीनी अटैच कराई गयी थी उसी भाव पर सरकार ने उसको क्यों बेंचा ?

दूसरी चीज माननीय बनारसी दास जी ने यह कह दी.....

श्री अध्यक्ष---आप उनका नाम न लें, मंत्री ही कहें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---तब मंत्रीजी ने कहा था। माननीय बनारसी दास जी ने अपन जवाब में बताया कि जो उस समय जिले में चीनी का भाव था वह २६ रुपया का ही था यानी जिस भाव पर चीनी बेची गयी वही भाव उस वक्त जिले में भी था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाऊं कि इसी मिल की चीनी इसी वक्त ठाकुर प्रसाद नाम के व्यक्ति को बेंची गयी और वह २८ रु० १० आना के ऊंचे दाम पर बेची गयी जो कि कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है। और यही नहीं, आपने यह भी देखा है कि शुगर टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर में यह भी बतलाया कि उस वक्त चीनी का भाव २८ रु० १० आने मन था। और माननीय बनारसी दास जी कहते हैं कि जिले में चीनी का वही भाव था। मैं तो कहता हूं कि इसकी इनक्वायरी कराई जाय, तमाम जिले में हमारे १४ मिलें हैं, उस जिले की किसी भी मिल ने २६ रु० १४ आने आने मन के भाव पर चीनी नहीं बेंची है। सभी ने ऊंचे भाव पर चीनी बेची। महज इसी मिल की चीनी २६ रु० १४ आने मन बिकी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा यह भी सुना दूं कि माननीय बनारसी दास जी ने मेरे सवाल के जवाब में क्या कहा। मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार को यह ज्ञात है कि जिस रोज खेतान साहब को २६ रु० १४ आ० मन पर चीनी दी गयी उसी रोज उसी मिल की चीनी श्री ठाकुर प्रसाद को २८ रु० १२ आने मन पर बेची गयी ? इसका जवाब माननीय बनारसी दास जी ने दिया कि यह सूचना नहीं है लेकिन यह सही है कि उस रोज शुगर टेक्नो-लाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर से सूचना मिली कि चीनी का भाव २८ रु० १० आने मन था।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

लेकिन जिलाधीश देवरिया ने रिपोर्ट दी कि पडरौना मिल की चीनी २६ रु० १ आ० ६ पाई से आगे कभी नहीं बिकी। अध्यक्ष महोदय २४ दिसम्बर सन् ५३ को श्री भगवान सहाय के जवाब में श्री रऊफ जाफरी साहब फरमाते हैं इसी चीनी के बारे में, वह भी सुन लें :

श्री भगवानसहाय--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वह कुर्क की हुई चीनी किसकी मार्फत और किस कीमत पर बेची गयी? श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--कुर्क की हुई चीनी सर्वश्री मदनलाल ऐंड ब्रदर्स, पडरौना, श्री केदारनाथ खेतान, पडरौना और जनरल कामर्शियल कारपोरेशन, नई दिल्ली को २६रु० ३ आने से २९ रु० प्रतिमन के भाव पर बेची गयी।"

अब आप ही अध्यक्ष महोदय बतलायें कि इसको सही मानें या उसको सही मानें। एक बार तो जिलाधीश कहता है कि इससे ज्यादा भाव पर कभी बिकी नहीं और एक बार जिलाधीश कहता है कि २९ रु० प्रति मन तक इस मिल की चीनी बिकी। एक बात और देखें श्रीमन् कि यहां पर सरकार कहती है कि यह चीनी बेची गयी लेकिन पार्लियामेंट में जब श्री रामजी वर्मा ने २८ सितम्बर सन् ५३ को यह सवाल पूछा तो उसका क्या जवाब दिया गया इसको भी देख लें। मैं अधिक नहीं पढ़ता हूं, जो संबंधित पोर्शन है उसी को पढ़ देता हूं: "श्री रामजी वर्मा क्या माननीय मंत्री महोदय उन पार्टीज के नाम बतलायेंगे जिनको शुगर बेची गयी? श्री पी० एस० देशमुख··· It was sold by auction I have not got the name." वहां के कृषि मंत्री ने यह जवाब दिया कि यह बेची गयी नीलाम द्वारा और यह सरकार कहती है कि नहीं, यह बिना नीलाम के बेची गयी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका निर्णय आप ही करेंगे कि ऐसी बातों के होते हुये भी माननीय गुप्त जी कहते हैं कि उस तरफ से गैरजिम्मेदारी की बातें कही जाती हैं।

इसके आगे और देखा जाय कि श्री नारायणदत्त तिवारी के सवाल क जवाब में माननीय बनारसी दास जी ने क्या कहा है? जवाब यह दिया गया है कि "फैक्ट्री ने इस बात के लिये बार बार नोटिस दी कि कोयले का भुगतान नहीं कर सकती है इसलिये सरकार इसकी व्यवस्था करे नहीं तो एलेक्ट्रिक सप्लाई करना कम्पनी बन्द कर देगी। इसलिये सरकार ने चीनी बेचने का आदेश दिया। उसके ऊपर माननीय गुप्त जी कहते हैं, जैसा कि अभी बताया गया कि कोल का दाम फैक्ट्री को देना था और वह इलेक्ट्रिक सप्लाई, कम्पनी बन्द कर रही है, इसलिये जिलाधीश ने अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल किया और उन्होंने रुपया प्राप्त करने के लिये चीनी खेतान साहब को बिक्री के लिये दिया। श्रीमन्, माननीय बनारसी दास जी कहते हैं कि सरकार ने हुक्म दिया और माननीय उद्योग मंत्री जी कहते हैं कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अपने डिस्क्रिशन से बेचा। तो कौन गैरजिम्मेदारी की बात करता है इस सदन में, अध्यक्ष महोदय, आप ही इसका निर्णय दें।

फिर माननीय बनारसी दास जी ने श्री गेंदा सिंह जी के इस प्रश्न के उत्तर में कि २ फरवरी, ५३ के बाद जितनी चीनी बेची गई क्या वह जिलाधीश देवरिया के द्वारा बेची गयी? वह जवाब देते हैं कि देवरिया के जिलाधीश ने उसको बेचने की व्यवस्था की लेकिन उस का आर्डर केन यूनियन के था मिला। लेकिन रऊफ साहब ने जो मेरे सवाल का जवाब दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि ३ आदमियों यानी सर्वश्री मदनलाल एन्ड ब्रदर्स, पडरौना, को, केदारनाथ खेतान, पडरौना को और जनरल कामर्शियल कारपोरेशन, न्यू दिल्ली को। इस तरह से जो अलग-अलग बातें कही गई हैं पता नहीं लगता कि वह सही है या यह सही है?

श्री अध्यक्ष--आप कृपया इतना समय ल कि मंत्री जी को जवाब का भी मौका रह।

श्री जगन्नाथ मल्ल--उस दिन माननीय उद्योग मंत्री जी न यह भी कहा कि इस मिल की चीनी घटिया होती है। मैं बताना चाहता हूं कि हर किस्म की चीनी का एक नम्बर होता है और वह नम्बर शुगर टेकनालजिकल इन्सटीट्यूट, कानपुर से बनकर जाता है, यहां की चीनी जो श्री खेतान को बेची गई उसका नम्बर डी० २८ था जो इस प्रदेश की और देश की स्टैंडर्ड चीनी है इसलिये यह कहना कि वह चीनी घटिया थी बिलकुल गलत है और मैं चाहता हूं कि इस की इंक्वायरी कराई जाय। जो चीनी बिकती है उसका रिकार्ड कम्पनी के पास रहता है और उसका नम्बर उसमें दर्ज रहता है इसलिये यह कहना गलत है कि चीनी घटिया थी। मैं बता दूं कि इस तरह से कम्पनी का नुकसान कराया गया और जिलाधीश ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिये यहां अलग जवाब दिलवाये और पार्लियामेंट में अलग जवाब दिलवाये और यहां भी पहले दूसरे जवाब दिये गये और अब की बार दूसरे जवाब मंत्री जी द्वारा दिये गये। मंत्री जी कहते हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी से ऐसी बातें उठाई जाती हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा आदमी कि जिसको पता नहीं कि चीनी का रेट क्या है और जो गलत सूचना मंत्री जी द्वारा यहां दिलाता है उससे अगर हमें व्यक्तिगत दुश्मनी हो तो इसमें गुनाह क्या है? इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि यह ऐसी चीज हुई है कि जिसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी शामिल है और मैं सरकार से फिर निवेदन करूंगा कि खैर वह तो श्री गेंदासिंह ने कहा है, कि वह लिख कर देने जा रहे हैं और जो बड़े-बड़े आक्षेप हैं उनको वह लिख कर देंगे लेकिन क्योंकि वह जेलखाने में हैं इसलिये अभी नहीं दिया वर्ना अब तक वह दे दिये होते। मैं कहता हूं कि क्या सरकार को इन तमाम गड़बड़ियों का शुबहा भी नहीं होता? इन शब्दों के साथ मैं आप के द्वारा प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और ऐसी चीज जो हुई है उस पर इंक्वायरी करावें और इस तरह की चीजों को आइन्दा के लिये रोकने की कोशिश करें।

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)--माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे खेद है कि जो सवाल और जवाब इस संबंध में इस सदन में हुये उनके फलस्वरूप श्री मल्ल जी को यह चीज यहां लानी पड़ी और आदरणीय सदन को इतनी देर तक यहां बैठना पड़ा। इस पडरौना मिल के रुद्र प्रताप नारायण सिंह मैनेजिंग डायरेक्टर थे और गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदेश से खेतान जी उसके कंट्रोलर मुकर्रर हुये थे और असल में सवाल तो इतना है कि आया चीनी सस्ते दाम में बेची गई या नहीं और आया चीनी के खरीदार खेतान साहब थे या नहीं या कोई और था। जो कागज मेरे सामने हैं और उनकी बिना पर जो पूछताछ इस थोड़े से समय में मैं कर सका हूं उससे यह मालूम होता है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के पास आर० आर० आया और उसको छोड़ाने के लिये पैसे की जरूरत थी कि पैसा फौरन न दिया तो इलेक्ट्रिक की सप्लाई के बन्द होने का डर था। साथ ही और भी कुछ ऐसा बकाया था तो यह तय हुआ कि कुछ बैग्ज खेतान साहब को बेचने के लिये दी जाय। खेतान साहब उन बैग्ज को इस दर से जिसका चर्चा इन सवालों के जवाब, में है श्री सीताराम मारवाड़ी के नाम जिनका पता किताबों में कलकत्ते का दर्ज है उनको बेंच दी। अब एक तो यह कहा जाता है कि इस मिल की शुगर बहुत बढ़िया थी। जो स्टैंडर्ड शुगर है वह ई-२७ है और टेकनोलोजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर से जो कागज आया है जिस पर उन्होंने उसकी २८ रुपया ८ आने मन की चर्चा की है वह डी-२८ की है। उन्होंने यह नहीं लिखा कि पडरौना मिल के शुगर का भाव था बल्कि पूर्वी कुछ जिलों में डी-२८ का यह भाव है?

श्री जगन्नाथ मल्ल--डी-२८ मैंने भी कहा है।

श्री फूलसिंह--ठीक है मगर जहां तक मैं देख पाया हूं मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि पडरौना शुगर मिल की शुगर तो डी-२८, तो डी-२८, ई-२७ भी नहीं होती। बल्कि उससे भी घटिया चीज होती है। यही नहीं, मई के महीने में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कानपुर में लेबर कमिश्नर को लिखा कि आप वहां से कुछ पारटी ऐसी तैयार करें जो इस पडरौना मिल वाले शकर को खरीद ले। तो मई के महीने में श्री विष्णुदयाल हरिश्चन्द्र कानपुर की कोई

[श्री फूलसिंह]

पार्टी हैं उन्होंने २६ रुपये ९ आने का आफर किया। इतना ही नहीं २५ हजार बग्ज डिफेंस मिनिस्ट्री को बेंचा गया। और उनका टाइम भी गालिबन यही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--किस तारीख को बेचा गया ?

श्री फूलसिंह--इस मिल की कुल शुगर २७ रु० १ आ० ६ पाई० के ऊपर नहीं गई है सिवा एक ठाकुरदास के जिन्होंने मई के महीने में शक्कर नहीं खरीदी बल्कि जून की तारीख किताबों में लिखी हुई है और उसमें भी केवल ४ बोरे दर्ज हैं। रिटेल शुगर की बात थी और तमाम शुगर २७ रुपये १ आने ६ पाई से ज्यादा की नहीं बिकी।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--किस तारीख को ?

श्री फूलसिंह--सारे सीजन के अन्दर। और जो डिफस मिनिस्ट्री को शुगर बची है या किसी कम्पनी का नाम आप लें अगर किसी शख्स की चीज गवर्नमेंट सस्ते दामों पर बेच देगी तो सबसे पहले वह फरीक होगा जिसे एतराज होगा लेकिन आज तक उस मिल ने एतराज नहीं किया कि हमारी शुगर सस्ती बिक गई है। कोई ग्राहक शक्कर लेने नहीं आया सिवा ठाकुरदास के जिसने ४ बोरियां शक्कर की खरीदीं। इन हालात में मैं समझता हूं कि यह करीन कयास नहीं है कि शक्कर मंहगी बिकी है। यह एतराज किया गया कि सीताराम मारवाड़ी वहां के रहने वाले हैं। मैंने बहुत कोशिश की जानने की लेकिन जो कागजों में लिखा है उसके मुताबिक कलकत्ते में वह रहता है लेकिन यह भी हो सकता है कि कोई आदमी पडरौना का रहने वाला हो और बस गया हो कलकत्ते में ? मैं मालूम नहीं कर सका। न तो खेतान साहब को कांटेक्ट कर सका और न केन आफिसर ही अवेलेबिल हुये। जहां तक मेरी इत्तिला है इस मामले में कोई शिकायत की बात नहीं है। जितना यह केस मैंने देखा वह बहुत स्पष्ट है कि शक्कर के दाम इससे ज्यादा कहीं उठे ही नहीं और कोई वजह नहीं यह यकीन करने की कि शक्कर मंहगी थी और यह सस्ती बिक गई है। कम से कम २६ रुपये १४ आ० और ज्यादा से ज्यादा २७ रु० १ आना ६ पाई० वर्ना अक्सर दाम २६ रु० १४ आ० ही रहे। इन हालात में मैं समझता हूं कि हमारे दोस्त को जो शिकायत है उसका समाधान हो गया होगा और जो सवाल वह पूछेंगे उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो शुगर मिल्स हैं उनके रेट्स क्या थे जिस वक्त कि यह चीनी बेची गई ?

श्री फूलसिंह--शुगर मिल्स के रेट्स मेरे पास नहीं हैं। हर शुगर मिल के रेट्स एक से डिटरमिन नहीं होते। हर मिल की शुगर का अलग स्पेसिफिकेशन होता है, अलग स्टैंडर्ड होता है और उसका अलग भाव होता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो चीनी २६ रु० कुछ आनों पर खेतान जी को बची गई वह मिल के स्टाक में कितने दिनों से पड़ी थी ?

श्री फूलसिंह--यह तो मई का वाकया है और क्रशिंग सीजन की बात है लिहाजा काफी दिनों से पड़ी थी। बरसात आने वाली थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार बतलायगी कि २४ दिसम्बर, १९५३ को जो सरकार ने यह उत्तर दिया कि कुर्क की हुई चीनी को मदनलाल एन्ड ब्रदर्स, पडरौना, कदारनाथ खेतान, पडरौना और जनरल कामर्शियल कारपोरेशन, नई दिल्ली को २६ रु० ३ आ० से २९ रुपये तक प्रतिमन के हिसाब से बेची गई इसका क्या आधार है ?

श्री फूलसिंह—मैंने अर्ज किया कि २९ रु० तो कवल ठाकुरदास को ही बची और जिसको केवल ४ बोरे बेचे गये। कारपोरेशन ने बेचा है गवर्नमेंट आफ इंडिया को और ये जो रेट्स हैं, मुख्तलिफ एलाटमेंट्स के मुख्तलिफ रेट्स हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मदन लाल सेंड ब्रादर्स, केदार नाथ खेतान और जनरल कामर्शियल कारपोरेशन में किन को २९ रुपये प्रतिमन चीनी बिकी ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कह दिया। आप दोहरा रहे हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी अब भी इस स्थिति में है कि यह बता सकें कि जिला मैजिस्ट्रेट या केन कमिश्नर ने सरकार की राय स या स्वयं अपना हुक्म देकर इस चीनी को बेचा ?

श्री फूलसिंह—जिला मैजिस्ट्रेट ने तो खुद चीनी बेची। गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट ने एक कमेटी बुलाई थी कि जिसमें केन के प्रतिनिधि भी शामिल थे। यह भ्रम अगर हो कि केन का कोई नहीं था, यह बात नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को मालूम है कि केंद्रीय पार्लियामेंट में जब इस पर सवाल पूछा गया था तो वहां पर जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे उन्होंने यह कहा है कि यह चीनी नीलाम में बेची गई है ?

श्री फूलसिंह—यह तो अभी कहा गया है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार अभी भी सफाई के साथ बतायगी कि यह चीनी दरअसल नीलाम पर बेची गई या मनमाने ढंग पर ?

श्री फूलसिंह—कोई वजह नहीं कि सरकार सफाई क साथ बात न कर। जो मैं कह रहा हूं सफाई से ही कह रहा हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—क्या सरकार अभी भी पता लगायगी कि केंद्रीय सरकार ने उसी चीनी के बारे में और माननीय रऊफ जाफरी साहब ने उसी चीनी के बारे में और माननीय चन्द्रभानु गुप्त और श्री बनारसी दास जी ने उसी चीनी के बारे में तीन विभिन्न समयों पर तीन विभिन्न प्रकार के उत्तर क्यों दिये ?

श्री फूलसिंह—यह जो उत्तर यहां हुये हैं रऊफ जाफरी साहब क और बनारसी दास जी के और गुप्ता जी के, उनमें बहुत बड़ा अंतर मैं नहीं पाता।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कुछ भी अन्तर समझती है ?

श्री फूलसिंह—कुछ शाब्दिक अन्तर तो होगा और यह तो कम्पेयर करने से मालूम होगा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने रायबहादुर खेतान साहब के द्वारा ही चीनी क्यों बिकवाई और जो दूसरे डाइरेक्टर्स वहां थे उनके द्वारा क्यों नहीं बिकवाई गई ?

श्री फूलसिंह—मैं निवेदन कर चुका हूं कि खेतान साहब इन मिलों के कंट्रोलर मुकर्रर हुये थे और इसलिये उनको इस काम के लिये लिया गया।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—क्या यह बात सही है कि जिस समय कम्पनी की चीनी बेची गई उस समय कम्पनी के ऊपर वहां के किसानों का रुपया तथा मजदूरों की मजदूरी तथा कोयले के दाम पाने थे ?

श्री फूलसिंह—जी हां।

श्री राज नारायण—क्या सरकार अभी भी कृपा करके केंद्रीय पार्लियामेंट में जो उत्तर श्री पी० एस० देशमुख ने दिया है, उसके उत्तर में और प्रांतीय सरकार के उत्तर में जो फर्क है, उसके कारणों की जांच करायेगी ?

श्री फूलसिंह—अभी जो कुछ मैंने कहा है वह तो जांच करन के बाद ही कहा है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार के सामने केंद्रीय पार्लियामेंट में जो सवाल जवाब हुये हैं और जब वह खुद में उनकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा जो इस समय मेरे हाथ में विद्यमान है, तो उसको देखकर वह जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह—मैं निवेदन कर चुका हूं कि जांच कराई है। उस सवाल जवाब को देखकर कोई नई बात निकलने वाली नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री कृपा कर बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि वह इस पर कोई एक कमेटी नियुक्त करें जो इस पूरे मामले की जांच करे ?

श्री फूलसिंह—कमेटी की जरूरत मालूम नहीं होती। अगर कोई जरूरत मालूम होगी तो जरूर करूंगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को फ्राइडे, १८ सितम्बर, १९५३ की केंद्रीय पार्लियामेंट में जो इस संबंध में विवाद हुआ था, उसकी जानकारी आज के पहले थी ?

श्री फूलसिंह—साधारण तौर से मेरे सामने वह कागज थे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। कृपा करके यह जो पूछ रहे हैं वह उक्त विवाद की जानकारी के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री फूलसिंह—मैंने यह निवेदन किया कि जो प्रश्नोत्तर हुए साधारण तौर से मैंने उनको देखा था। कोई खास बात बाद में निकलेगी, इस ख्याल से मैंने उसको नहीं देखा था।

श्री राजनारायण—अब मैं माननीय मन्त्री जी की सेवा में खास बात रख रहा हूं। श्री पी० एस० देशमुख ने कहा था कि It was sold by auction. I have not got the names. अक्शन पर बेचे जाने पर नाम का न मिलना तो सम्भव है मगर किसी एक आदमी को बेची जाय तो नाम का मिलना आवश्यक है। इसके बारे में कोई जानकारी थी आपको ?

श्री अध्यक्ष—आप तो विवाद सा कर रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सवाल आप पूछें।

श्री राजनारायण—जो श्री पी० एस० देशमुख ने कहा It was sold by auction उसकी जानकारी सरकार को पहले थी ?

श्री फूलसिंह—पार्लियामेंट में यह कहा गया कि नीलाम की गयी। मगर जो मैंने यह निवेदन किया कि जांच करके जवाब दिया गया था कि नीलाम नहीं की गयी, बल्कि खेतान साहब के द्वारा बेची गयी थी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करेंगे कि पार्लियामेंट में गलत जवाब कैसे भेज दिया गया कि यह चीनी आक्शन की गयी थी ?

श्री फूल सिंह—मैं समझता हूं कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के जवाब में था।

श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार बतायेगी कि जो चीनी कुछ बढ़े हुए भाव से ठाकुरदास के हाथ बेची गयी थी वह एकमुश्त थी या मुख्तलिफ तारीखों को दी गयी।

श्री फूल सिंह—चार बोरे एक ही दिन में बिके।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या सरकार जिलाधीश देवरिया के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार करती है कि जब-जब वह प्रश्न पार्लियामेंट और विधान सभा में पूछा गया तो भिन्न-भिन्न उत्तर देने को सरकार को बाध्य किया ?

श्री फूल सिंह—ऐसा तो कोई अकेजन मालूम नहीं होता।

श्री जगन्नाथ मल्ल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ, माननीय मन्त्री जी के जवाब को सुनकर। मैं तो यह सोचता था कि वह यह कहेंगे कि हां इसमें दरअस्ल गल्तियां हुई हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने हर जगह अलग अलग बयान दिये हैं और अलग अलग इन्फार्मेशन दी है। लेकिन यह सुन कर बड़ा दुख हुआ कि जब कि इतनी बड़ी भारी गलती को माननीय मन्त्री जी कहते हैं, कि साहब उन्होंने तो कार्मशियल कारपोरेशन के द्वारा मार्केट के भाव ही वह चीनी बेची थी मिलिटरी को। तो चीनी, अध्यक्ष महोदय, २ तारीख को कुर्क की गयी थी और उसके बाद भी जैसा सरकार ने बताया अप्रैल के महीने मिल मालिक ने बेची यह भी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की थी कि उसने क्यों कम दाम पर बेचने दी। तो जो गलती मिल मालिक कर रहे हैं, वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का करना, क्या यह उचित था और ऐसा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कि वह इतने कम दाम पर चीनी बेचता है, पार्लियामेंट में कुछ कहता है, यहां पर कुछ उत्तर देता है, फिर मेरे सवाल के जवाब में कुछ कहता है, फिर भी माननीय मन्त्री जी डिफेंड करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रभानु गुप्त, बनारसी दास और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर प्रिविलेज का प्रश्न उठाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि मुझे कोई दिन आप दें, कल लिखकर दे दूं और माननीय रऊफ जाफरी साहब पर भी प्रिविलेज का प्रश्न उठाना चाहता हूं और तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मुझे बड़ा दुःख है सरकार अपने उन आदमियों को डिफेंड करती है, जो गलत काम करते हैं और इसीलिए इस सरकार का चलना मुश्किल है, क्योंकि गलत काम जो कोई अफसर करे उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए बल्कि उसका पता लगाना चाहिए कि दरअस्ल गलत काम किया या नहीं। चीनी सस्ते भाव पर बेची और उसको क्यों बेची यह मैं नहीं कहना चाहता। यह तो बहुत छोटी बात है। लेकिन श्री गेंदा सिंह लिखकर देंगे कि क्यों बेची और किस को बेची। मैं यहां कहना नहीं चाहता। मैं तो यह कह रहा हूं कि गुप्ता जी ने जो कुछ कहा, वह यह समझते थे कि हम जो कुछ यहां कहते हैं, उस पर कोई केस नहीं चल सकता। इसलिए हमको डरवाते थे। हम तो कभी नहीं डरे, अध्यक्ष महोदय। हम लोग हमेशा लड़े हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जो सही बात है उसके कहने से हम कभी नहीं डरते हैं, चाहे सदन में या बाहर।

श्री फूल सिंह—मुझे कुछ और निवेदन नहीं करना है। आज कोई बात मेरे इल्म में आती जो गलत होती तो मैं माननीय सदस्य को यकीन दिलाता हूं कि उसको तस्लीम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है और न मेरा काम है। यह थोड़ी गलतफहमी की बात है। लेकिन यह यकीन दिला सकता हूं कि इस मामले में और कोई बात सामने आयेगी तो पूरी छानबीन करने की कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष—अब यह वाद-विवाद समाप्त होता है।

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४३ मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,

सचिव, विधान मण्डल,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;

३१ मार्च, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ २८७ पर)

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण विधेयक, १९५५

उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के वध के प्रतिषेध (prohibit) तथा निवारण (prevent) करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में गाय तथा गाय के वंश के वध का प्रतिषेध (prohibit) तथा निवारण (prevent) किया जाय,

अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, १९५५ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

परिभाषायें।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में:—

(क) "गोमांस (beef)" का तात्पर्य गाय के मांस से है, किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में आयात किया गया (imported) मुहरबन्द पीपों (Containers) में रखा हुआ गोमांस नहीं है ;

(ख) "गाय" के अन्तर्गत सांड, बैल, बछिया अथवा बछड़ा (bull, bullock, heifer, or calf) है;

(ग) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है ;

(घ) "वध (slaughter)" का तात्पर्य किसी भी रीति से मारण (Killing) से है तथा इसके अन्तर्गत इस प्रकार से अंगहीन करना (maiming) तथा शारीरिक आघात पहुंचाना भी है जिससे सामान्य रूप में (in the ordinary course) मृत्यु हो जाय;

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; तथा

(च) "अलाभकर गाय (uneconomic cow)" के अन्तर्गत भटकती हुई, अरक्षित, दुर्बल, अक्षम, रुग्ण अथवा बंध्या (stray, unprotected, infirm, disabled, diseased or barren) गाय है।

गोवध का प्रतिषेध।

३—समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि (law) में किसी बात के अथवा किसी विपरीत उपाचार या आचार (usage or custom) के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थान में किसी गाय का न तो वध करेगा और न वध करवायेगा अथवा उसे वध के लिये न प्रस्तुत (offer) करेगा, न प्रस्तुत करवायेगा।

धारा ३ भयंकर रोगों (dangerous diseases), क्षत विक्षत (injured) अथवा दुर्बल गायों पर प्रवृत्त न होगी।

४—(१) धारा ३ की कोई भी बात किसी ऐसी गाय के वध पर प्रवृत्त न होगी।

(क) जो राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार विज्ञापित किसी सांस्पर्शिक (contagious) अथवा सांसर्गिक (infectious) रोग से पीड़ित हो ; अथवा

(ख) जो चिकित्सकीय अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी गवेषण (research) के हित में प्रयोगाधीन हो।

(२) जब उपधारा (१) के खण्ड (क) में वर्णित कारणोवश किसी गाय का वध किया जाय तो वह व्यक्ति जो ऐसी गाय का वध करे अथवा वध करवाये, वध के चौबीस घंटों के भीतर, सन्निकट थाने में अथवा ऐसे अधिकारी अथवा आधिकारिकी (authority) के समक्ष जो नियत किया जाय तत्सम्बन्धी सूचना देगा।

(३) उस गाय का शव (carcass) जिसका उपधारा (१) के खंड (क) के अधीन वध किया गया हो, ऐसी रीति से दफनाया अथवा निस्तारित किया जायगा जो नियत की जाय।

गोमांस बेचने का प्रतिषेध।

५—यहां पर दिये गये अपवाद को छोड़कर तथा समय विशेष पर प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति सिवाय ऐसे चिकित्सकीय प्रयोजनों के निमित्त जो नियत किये जायं, किसी भी रूप में गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ न बेचेगा, और न बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा और न बिकवायेगा।

अपवाद—वायुयान के अथवा रेलवे ट्रेन के वास्तविक (bonafide) यात्री द्वारा उपभोग के लिए कोई भी व्यक्ति गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ बेच सकता है तथा भोजनार्थ प्रस्तुत कर सकता है अथवा बिकवा और भोजनार्थ प्रस्तुत करवा सकता है।

संस्थाओं की स्थापना।

६—राज्य सरकार अथवा जब भी राज्य सरकार ऐसा आदेश दे, कोई स्थानिक आधिकारिकी (local authority) अलाभकर (uneconomic) गायों की देखभाल के लिए आवश्यकतानुसार संस्थायें स्थापित कर सकती है।

परिव्ययों अथवा शुल्कों का आदेय (levy) किया जाना।

७—राज्य सरकार अथवा स्थानिक आधिकारिकी जैसी भी दशा हो, संस्थाओं में अलाभकर गायों को रखने के निमित्त ऐसा परिव्यय अथवा शुल्क आदेय (levy) कर सकती है जो नियत किया जाय।

शास्ति (penalty)

८—(१) जो कोई भी व्यक्ति धारा ३ अथवा ५ के उपबन्धों का उल्लंघन करे अथवा उल्लंघन करने का प्रयास करे अथवा उल्लंघन का प्रवर्तन (abet) करे तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो कठिन कारावास के दण्ड द्वारा जो दो वर्ष तक का हो सकता है अथवा अर्थदण्ड द्वारा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा।

(२) जो कोई भी व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (२) में वर्णित रीति से तथा समय के भीतर सूचना प्रस्तुत न करे, तो वह ऐसे अपराध का दोषी होगा जो साधारण कारावास के दण्ड द्वारा जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थ दण्ड द्वारा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों द्वारा दण्डनीय होगा।

(३) उपधारा (१) अथवा उपधारा (२) के अधीन दण्डनीय अपराधों पर विचार (trial) करते समय इस बात को सिद्ध करने का भार (burden of proving) कि वध की गयी गाय धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में निर्दिष्ट वर्ग की थी, अभियुक्त पर होगा।

अपराध हस्तक्षेप (cognizable) तथा अप्रतिभाव्य (non-bailable) होंगे।

९—कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ में किसी बात के होते हुए भी, धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन दण्डनीय अपराध हस्तक्षेप (cognizable) तथा अप्रतिभाव्य (non-bailable) होंगे।

नियम बनाने का अधिकार।

१०—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) पूर्वोक्त अधिकार की व्याप्ति को न बाधित करते हुए, ऐसे नियम निम्नलिखित की व्यवस्था कर सकते हैं :—

(क) दशायें तथा परिस्थितियां, जिनमें धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन गायों का वध किया जायगा,

(ख) रीति, जिससे धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन रोग विज्ञापित किये जायेंगे,

(ग) रीति जिससे धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन सूचना प्रस्तुत की जायगी,

(घ) रीति जिस से तथा प्रतिबन्ध (conditions) जिनके अधीन गोमांस अथवा तज्जन्य पदार्थ धारा ५ के अधीन बेचे जायं अथवा बेचे और भोजनार्थ प्रस्तुत किये जायं,

(ङ) धारा ६ में अभिदिष्ट संस्थाओं के अधिष्ठान (establishment), रखरखाव, प्रबन्ध, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण से सम्बद्ध विषय,

(च) इस अधिनियम के अधीन अधिक्षेत्र रखने वाले किसी अधिकारी अथवा आधिकारिकी के कर्त्तव्य, ऐसे अधिकारी अथवा आधिकारिकी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और

(छ) वे विषय जो नियत किये जाने वाले हैं और नियत किये जायं।

उद्देश्य और कारण

भारत के संविधान के अनुच्छेद ४८ के अनुसार राज्य सरकारों का यह कर्त्तव्य है कि वे कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करें तथा विशेषतः गाय और उसके वंश की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए तथा उसके वध का प्रतिषेध करने के लिए अग्रसर हों। गो-रक्षा के लिए किये गये पहले के सभी प्रयत्न और कुछ श्रेणी के उपयोगी पशुओं के वध का निषेध करने वाले युद्धकालीन विधायिनी कार्यवाहियों का कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला। इस अनुभव को ध्यान में रखकर तथा इस विचार से कि गाय और उसके वंश की दूध, बैलों की शक्ति तथा खाद की व्यवस्था करने के लिए रक्षा करना आवश्यक है, गोवध पर पूर्णरूप से निषेध लगाना आवश्यक हो जाता है।

हुकुम सिंह विसेन,
कृषि मन्त्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१३ एल० ए० —१९५५-७९६।